खण्ड-328, अंक-5
सोमवार, 18 आश्विन, शक संवत् 1899
(10 अक्टूबर, 1977 ई0)

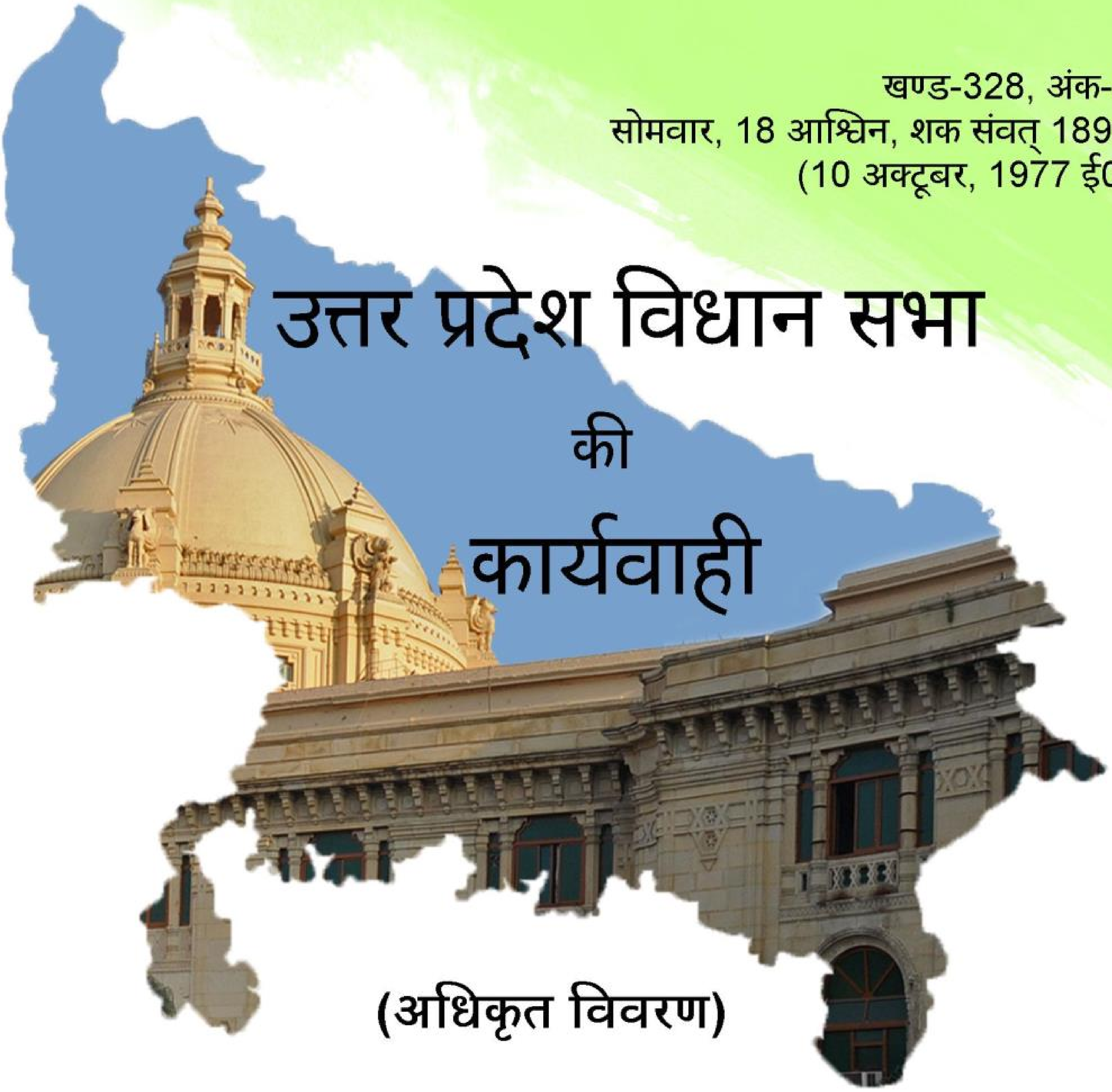

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ५०३–५०६
प्रश्नोत्तर	.. ५०७–५४१
लखनऊ नगर महापालिका द्वारा पंचवर्षीय कर निर्धारण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ५४२
लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में सामूहिक अवकाश लेने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ५४२
देवरिया में तिलहन तथा दलहन के बीजों के अभाव से किसानों में असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ५४२
महुली–माधवगंज प्रतापगढ़ कृषि मंडी के लिए किसानों की ली गई जमीन का मुआवजा न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	५४३
बस्ती जिले में विद्युत की मेन लाइन पर कार्यरत लाइन मैन की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ५४३
सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनाएं	..५४३–५४४
दर्शक दीर्घाओं में सी० आई० डी० के लोगों द्वारा बिना प्रवेश–पत्र जा कर सदन की कार्यवाहियां लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	५४४–५४५
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..५४६–५४९
सदन के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. ५५०
२९ अगस्त, १९७७ को श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	..५५०–५५१
५ अक्तूबर, १९७७ को श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २–३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	.. ५५१
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..५५२–५५३
१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ६०–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६१–सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८४–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८५–बहुउद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	..५५३–५८८
इलाहाबाद में हुई ट्रेन दुर्घटना की सूचना	.. ५८८
१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३०–वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध, अनुदान संख्या ५१–जल तथा अनुदान संख्या ८१–खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)	..५८८–५९४

विषय	पृष्ठ संख्या
एग्रो के विधान सभा सचिवालय स्टाल से खरीदे गये जूस के सम्बन्ध में शिकायत	५९४
१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध, अनुदान संख्या ५१–खाद्य तथा अनुदान संख्या ८१–खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	५९५–६१३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	.. ६१३–६१५
दर्शक दीर्घाओं में सी० आई० डी० के लोगों द्वारा बिना प्रवेश–पत्र के जाकर सदन की कार्यवाही लिखने के संबंध में आपत्ति	..६१५–६१६
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली,, १९७६ में संशोधन (वापस)	..६१७–६२५
सूखे, बाढ़ व कटाव के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन	.. ६२५
नस्थियां	..६२७–६३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा पटेरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य २८६

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री उर्फ राम मिलन सिंह
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल बिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुबसिया बेगम, (श्रीमती बेगम एजाज रसूल)
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जगन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पदमाकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पावन, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
वन्दन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाली, डाक्टर
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह, आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री

मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राम किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन्द, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दयाल, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पान्डेय, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री

श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल श्री,
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

विधान परिषद सचिवालय

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० अक्तूबर, १९७७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

परिवहन विभाग के एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का निलम्बन

*१—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग ने अपने आदेश दिनांक २ सितम्बर, १९७७ के द्वारा दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के निलम्बन का क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हां, श्री राज्यपाल के आदेशानुसार इन अधिकारियों को निलम्बित किया गया । उनके निलम्बन के कारण उनके निलम्बन आदेश में स्पष्ट किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं :—

मार्च, १९७६ में श्री संजय गांधी के सम्मान में लखनऊ में आयोजित रैलियों के लिये जनता को एकत्र करने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को अनुचित ढंग से उपलब्ध कराया जाना तथा इस दशा में अपने पद का गम्भीर दुरुपयोग किया जाना ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक सप्ताह पूर्व, भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने श्री आर० सी० चन्द्रा, श्री जी० बी० लाल, श्री जी० एन० चतुर्वेदी और मौड़वेल को अपने घर रात में बुलाया और तीनों अधिकारियों ने अपनी मजबूरी जाहिर की जिस पर आर० टी० ओ० और टी० सी० को भूतपूर्व मंत्री जी ने बुला कर लिखित आदेश दिए कि आपको ट्रान्सपोर्ट का प्रबन्ध करना होगा । इसके लिए श्री जी० एन० चतुर्वेदी और श्री नियाज बेग को गाड़ियों का इन्तजाम करने के लिए रायबरेली भेजा गया ?

श्री आबिद अली—

चूंकि यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द है और उसमें उनके द्वारा इन्क्वयरी चल रही है, इसलिए इस पर कुछ ज्यादा कहना जनहित में न होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि क्या भूतपूर्व मंत्री द्वारा इन अधिकारियों को कोई लिखित या मौखिक आदेश दिया गया था ?

श्री आबिद अली—

जैसा मैंने अभी अर्ज किया यह मामला सी० आई० डी० द्वारा जेरे जांच है, इसलिए इस बारे में कुछ कहना जनहित में न होगा ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

जब गाड़ियों के लिए ४ अधिकारियों को कहा गया तो क्या कारण है कि केवल २ को ही निलम्बित किया गया और दो को छोड़ दिया गया ?

श्री आबिद अली--

मैं फिर अर्ज करता हूं कि मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द है, वे जांच कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो जांच के बाद ही सब चीजें सामने आ जायेंगी।

श्री अध्यक्ष--

यह मामला न्यायालय के सामने नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट प्रश्न किया कि क्या भूतपूर्व मंत्री जी ने कोई लिखित आदेश दिया ? यदि हां, तो क्या यह ऐसा नहीं है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन हो ? अगर मामले में जांच हो रही है तो इवेसिव उत्तर नहीं देना चाहिए, स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। यह आपको साफ तौर से बता देना चाहिए कि क्या कोई आदेश पत्र लिखित दिया, अर्थात् लिख कर आदेश दिए ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज कि इस समय मेरे पास कोई कागजात इस बारे में फाइल में नहीं है। जितने भी कागजात थे वे सी० आई डी० की जांच में हैं। इसलिए इससे ज्यादा मैं और अर्ज नहीं कर सकता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह बात तो सही है कि किसी भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने आदेश दिया और ४ अधिकारियों में से आपने १ या दो को सस्पेन्ड कर दिया या क्या उनको भी सस्पेन्ड किया ? अव्वल तो उनका कोई कसूर नहीं था क्योंकि उन्होंने तो उस लिखित आदेश को कैरी आउट किया ....

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं ? कोई सूचना नहीं मांग रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

इस बात की गम्भीरता को देखते हुए इसमें पौलिटिक्स इन्वाल्व है जिससे सजा अधिकारियों को मिल रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी इन दो अधिकारियों के सस्पेन्शन पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री आबिद अली--

मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जांच के बाद जो लोग भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी और जो दोषी नहीं पाये जायेंगे, उनको छोड़ दिया जायगा। इन्क्वायरी हो जाने के बाद ही सही बात बता सकता हूं कि क्या बात सही है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या यह सही है कि उस समय के एम० एल० ए० माननीय आबिद अली जो आज जनता पार्टी के परिवहन मंत्री हैं, तत्कालीन माननीय मंत्री के कहने पर

सीतापुर गये और बस नं० यू० एस० टी० ८२०१ तथा यू० पी० एस० ७३७६५ आर० टी० ओ० ने उनके साथ सीतापुर से लखनऊ भेजो और उनके कहने पर उस समय के मन्त्री ने या आर० टी० ओ० ने बसेज का परमिट दिलाया जिसकी वजह से ये अधिकारी निलंबित किये जा रहे हैं ?

श्री आबिद अली--

यह सही नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि जब यह मामला सी० आई० डी० की इन्क्वायरी में है और अभी मन्त्री जी कुछ बताने में असमर्थ हैं जनहित की दृष्टि से, तो कौन से कारण थे जिन पर केवल दो अधिकारियों को मोअत्तिल करना मुनासिब समझा ?

श्री आबिद अली--

जो रिपोर्ट आयी थी सी० आई० डी० की उसी के मुताबिक किया गया उसके बाद जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आयेंगे, तो और कार्यवाही की जायगी ।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

जो दो अधिकारी निलंबित किये गये हैं क्या उनके खिलाफ जांच पूरी हो गयी है और उन्हीं दो के खिलाफ जांच चल रही है जो निलंबित नहीं हुए हैं ?

श्री आबिद अली--

अभी जांच मुकम्मल नहीं हुई है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मन्त्री जी ने कहा है कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयी है और उस पर कार्यवाही की गयी है तो सी० आई० डी० की रिपोर्ट क्या है ?

श्री आबिद अली--

अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं आयी । मेरी बात सुन लें । उन्होंने पूछा कि कैसे निलंबित किया गया तो उनकी रिपोर्ट पर निलंबित किया गया । उनकी रिपोर्ट थी कि इनको निलंबित किया जाय, इसी से उस पर निलंबित किया गया है । उससे ज्यादा रिपोर्ट नहीं है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपात् काल में बिना आरोप-पत्र के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों का निलंबन किया गया है और आज तक वे लोग बेकार फिर रहे हैं ? क्या उनकी सूची मंगा कर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह अतिरिक्त प्रश्न है, इससे पैदा नहीं होता ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कौन-कौन अधिकारियों के खिलाफ चल रही है ?

श्री आबिद अली—

अब दो अधिकारी निलंबित किये गये हैं, इससे ज्यादा कहना जनहित में नहीं होगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

जो ४ अधिकारी सम्बन्धित हैं और उनमें दो आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट आ गयी है, तो किस अधिकारी की रिपोर्ट आयी है जिस पर यह कार्यवाही की गयी है ?

श्री आबिद अली—

अभी किसी के लिए नहीं आयी है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने स्वयं कहा कि रिपोर्ट पर इनको निलंबित किया गया है । इवेजिव रिप्लाई देना नियमों के विरुद्ध है । किसने रिपोर्ट दी है ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

शब्दों का फर्क है ...

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा दो के लिए सी० आई० डी० ने कहा कि इनको निलंबित कर दो। उनका प्रश्न यह है कि सी० आई० डी० के किस अधिकारी ने कहा, उसका नाम तो बतलाना चाहिए ? फिर तो पूछने का कोई आशय नहीं है, अगर इसी तरह से इवेड करेंगे ।

श्री आबिद अली—

मेरे पास इसकी फाइल नहीं है, मैं नहीं बता सकता ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन फाइल देख कर आना चाहिए ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है वह सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर किया गया है । तो कौन से कारण हैं, जिनके ऊपर निलंबित किया गया है ? क्या मन्त्री जी ने आदेश दिये हैं कि निलंबन कर दिया जाय या विभाग ने सी० आई० डी० को इन्क्वायरी के आदेश दिये थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मूल उत्तर में ही दिया है, इसलिए नहीं उठता ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

जो अधिकारी निलंबित किये गये हैं उनके क्या नाम हैं ?

श्री आबिद अली--

एक तो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं और एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने नाम पूछा है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

इस प्रश्न को आप मुल्तवी कर दें क्योंकि मन्त्री जी अभी तैयार नहीं हैं ।

श्री आबिद अली--

इससे ज्यादा जवाब शायद बाद को भी नहीं दे पाऊंगा । उस वक्त तो मुमकिन हो सकता है जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ जाय ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, जो निलंबित हैं । उनका नाम आपको बतलाना चाहिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

फाइल तो सी० आई० डी० ले गयी है ।

श्री आबिद अली--

एक का नाम है बी० बी० लाल और दूसरे का नाम है जे० पी० चन्द्रा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

सी० आई० डी० की जिस अन्तरिम रिपोर्ट पर उन्हें सस्पेंड किया गया, वह अन्तरिम रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

देवरिया जिले में गन्ने की फसल पर टापबोरर एवं शल्यकीट का प्रभाव

*२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद में एक लाख पच्चीस हजार एकड़ क्षेत्रफल में गन्ने की फसल टापबोरर एवं शल्यकीट से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है ? तथा सर्वाधिक क्षति पडरौना तहसील के पडरौना एवं विशुनपुर विकास खंड में है जो प्रदेश का सर्वाधिक सघन गन्ना बहुल क्षेत्र है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या प्रभावी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

जी नहीं, अपितु जनपद देवरिया के कुल क्षेत्रफल १,७०,००० एकड़ में से २,३७२·१३ एकड़ गन्ने का क्षेत्रफल टापबोरर एवं शल्यकीट से आंशिकरूप से प्रभावित है । प्रभावित क्षेत्रफल में से लगभग ७१६·९१ एकड़

क्षेत्रफल नियंत्रित किया जा जा चुका है अवशेष के नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ।

चीनी मिलवार एकत्रित सूचना के अनुसार पडरौना चीनी मिल क्षेत्र में प्रश्नगत ब्लाक सम्मिलित है, जिसका प्रभावित क्षेत्रफल २४४ एकड़ है, जो उपरोक्त २,३७२·१३ एकड़ के इंगित प्रभावित क्षेत्रफल में सम्मिलित है और अब तक इस २४४ एकड़ प्रभावित क्षेत्रफल में से ५८·७५ एकड़ क्षेत्रफल नियंत्रित किया जा चुका है ।

[दिनांक १० अक्तुबर, १९७७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर के कर्मचारियों का अनशन एवं उनकी मांगे

*१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर स्थित, जिला सहकारी बैंक, सीतापुर के कर्मचारी अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लगभग एक माह से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनको पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर के कर्मचारी दिनांक ६ जून, १९७७ से १७ जुलाई, १९७७ तक क्रमिक अनशन पर रहे । उनकी मांगे निम्नलिखित हैं :—

१—श्री पी० डी० कपूर को सवेतन बहाल किया जाय ।

२—तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की रेगुलर ग्रेड में स्थाई किया जाय ।

३—डेपुटेशन पद्धति समाप्त की जाय ।

४—प्रमोशन पालिसी पर यूनियन से समझौता किया जाय ।

५—यूनियन को मान्यता प्रदान की जाय ।

६—बोनस संशोधन कानून रद्द किया जाय ।

७—अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर भुगतान किया जाय ।

क्रमांक १ से ५ तक उल्लिखित सभी मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय जिला सहकारी बैंक के स्तर पर ही लिया जाना है । शासन स्तर से उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

बैंक कर्मचारियों को बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत बोनस का भुगतान किया जाता था । उक्त अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप बैंकों की उपविधियों, सहकारी अधिनियम, सहकारी नियमावली में इस बात की व्यवस्था होते हुए भी कि सहकारी बैंक अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिय बाध्य नहीं है, भारत सरकार द्वारा बोनस संशोधन अध्यादेश के अनुसार रिजर्व बैंक से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

अनिवार्य जमा योजना भारत सरकार के ऐक्ट, १९७४ के अन्तर्गत लागू की गई थी जो समाप्त हो चुकी है तथा जमा धनराशि की प्रथम एवं द्वितीय किश्त

का भुगतान क्रमशः जुलाई, ७६ व अगस्त, ७७ में कर्मचारियों को कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर के एक अंश की ओर दिलाऊंगा जिसमें कहा गया है क्रमांक १ से ५ तक उल्लिखित सभी मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय जिला सहकारी बैंक स्तर पर ही लिया जाना है । शासन स्तर से उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की ओर से सचिव को पत्र संख्या २८-३-८०/मंडल/७६, दिनांक २८-५-७६ को लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि सेवा मंडल द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या सी-२४/मंडल/७६, दिनांक १८-३-७६ का स्मरण करें जिसमें आंशिक कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख है जो बिना सहकारी सेवा मंडल की पूर्व अनुमति के नहीं लिया जायगा । दूसरी बात अब आप देखें कि जिला सहायक निबन्धक तो सरकारी आदमी है, यह स्वयं संस्तुति करता है राज्य सरकार को । इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १२८ के अन्तर्गत निष्प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति इस प्रकार आवश्यक है । मान्यवर, इस तरह से अगर शासकीय नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसकी अपील सरकार के पास आवे, तो क्या शासन इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि इस तरह की कार्यवाही की गयी तो संस्थागत सेवा मंडल में वह अपनी अपील कर सकता है, हमारा कोई सम्बन्ध इससे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । प्रश्न तो यह है कि यदि जिला सहकारी बैंक कोआपरेटिव अधिनियम का उल्लंघन करे और उसकी अपील आपके यहां आये या सेवा मंडल में आये, तो उस अपील पर निर्णय करेंगे कि नहीं ? जो आपने कहा कि हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो अधिनियम के विरुद्ध है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, जैसा हमने बताया, उसकी अपील संस्थागत सेवा मंडल में की जायगी, तो उसका निर्णय वह करेगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार जी आप इसमें प्रश्न पूछिये ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्न पूछ रहा हूं । इसमें लिखा है कि डेपूटेशन पद्धति समाप्त की जाय, क्या डेपूटेशन पद्धति को एक बैंक समाप्त कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी, आप स्पेसिफिक प्रश्न यह पूछिये कि क्या सरकार डेपूटेशन प्रणाली को समाप्त करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं पूछ रहा हूं क्या सरकार इस प्रणाली को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, आप जवाब भी बतलायेंगे और सवाल भी करेंगे, दोनों काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

डेपूटेशन आपका विभाग स्वीकृत करता है, उनका निश्चयात्मक प्रश्न यह है कि यह जो बैंकों में आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो डेपूटेशन पर जाते हैं, क्या इस प्रणाली को सरकार समाप्त करेगी ? यह उनका निश्चित प्रश्न है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

नहीं करेगी, समाप्त ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछूंगा । क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब सीतापुर में यह अनशन चल रहा था, इसको समाप्त करने के लिए शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया था तो क्या उन आश्वासनों को पूरा किया गया था कि नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इसकी सूचना की जरूरत है ।

श्री हर प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह जो बैंक शाखा है, इनके जो नियम हैं, बोनस वगैरह के क्या इसके अलावा वह दूसरे किस्म के किसी नियम के अनुसार मांग रहे हैं या जो साधारण नियम हैं, उसके अनुसार मांग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

साधारण और विशेष नियम कोई अलग-अलग हैं क्या ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया)

विकास क्षेत्र दुद्धी, जिला मिर्जापुर के बी० डी० ओ० श्री एन० के० राय के विरुद्ध

शिकायती पत्र

*२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, दुद्धी, जिला मिर्जापुर के सहायक विकास अधिकारी (श्री एन० के० राय) तथा बी० डी० ओ० के खिलाफ एक शिकायती-पत्र जुलाई, १९७७ में जिलाधीश, मिर्जापुर, आयुक्त, वाराणसी, मुख्य मन्त्री, उप विकास आयुक्त, वाराणसी को २० प्रमुख शिकायतें लिख कर जिसमें गलत टी० ए० बनाने, लिमिट से ऊपर ए० डी० ओ० तथा ग्राम सेवकों को टी० ए० स्वीकृत करने, कुआं बनाने पर भी एडवान्स देने तथा मारपीट करने की तथा बिजली का गलत भुगतान करने आदि की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी हां ।

श्री एन० के० राय, बी० डी० ओ० के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं । सहायक निबन्धक, सहकारी समिति, मिर्जापुर को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

पंचायती राज विभाग के कार्य अधिकारी एसोसिएशन का ज्ञापन एवं अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पदों की समाप्ति

*३—श्री बेनी प्रसाद माधव—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री को उत्तर प्रदेश कार्य अधिकारी एसोसिएशन का कोई ज्ञापन अपनी पदोन्नति और अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद की समाप्ति के सम्बन्ध में जून, जुलाई, १९७७ में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां ।

अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों का पद समाप्त करने का निर्णय लिया गया है लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिकोण से उपरोक्त निर्णय का कार्यान्वयन ३० जून, १९७८ तक स्थगित कर दिया गया है ।

कार्याधिकारियों की पदोन्नति पूर्व निर्धारित कोटा के अनुसार अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों से पदों पर २० प्रतिशत की जाती है ।

*४—बेनी प्रसाद माधव—

क्या सरकार ने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी और कार्यअधिकारी में से एक पद की अनुपयोगिता के सम्बन्ध में निरीक्षक राजकीय कार्यालय एवं पंचायती राज विभाग के उप सचिव द्वारा जांच कराई थी ? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां । निर्णय की स्थिति पूर्व प्रश्न ३ के उत्तर में दे दी गई है ।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि शिक्षा की कठिनाइयों को देखते हुये जिला परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पद की समाप्ति के आदेश का कार्यान्वयन ३० जून, १९७८ तक रोक दिया गया है । क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या उन्हें अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पद पर नियुक्त अधिकारियों ने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां, दिया है ।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

मान्यवर, ऐसी सूरत में जब उन्होंने इस आदेश को पारित कर दिया है कि समाप्त कर दिया जायगा। तो इस समय कितने स्थान रिक्त हैं और क्या उन स्थानों की पूर्ति उनमें से वह करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, यह जो स्थान रिक्त हैं, उनके बारे में यह निर्णय लिया गया है कि जो कार्य अधिकारी हैं, उनको मुख्य अधिकारी के पावर जो हैं, उनको डेलीगेट कर दिये गए हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे कि जिन अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और जो इन स्थानों पर बैठे हैं। उनको हटाने की कोशिश करेंगे, इस सम्बन्ध में जांच करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

हां, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिवेदन दिया गया है, उसमें उनकी क्या-क्या मांगें हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह मांग थी कि अतिरिक्त कार्य अधिकारी का जो पद है, समाप्त कर दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में जिला परिषदों में जो कार्य अधिकारी और अतिरिक्त कार्याधिकारी हैं, तो कौन-कौन से काम हैं, जिनके लिये अतिरिक्त कार्याधिकारियों की अवश्यकता है सरकार को ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह तो शासन ने जब देखा कि उनकी आवश्यकता नहीं है तभी तो इस पद को समाप्त किया गया है।

*५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[१२ सितम्बर, १९७७ को अतारांकित प्रश्न संख्या ४ द्वारा उत्तरित]

लखनऊ जिले के मेसर्स सोहनलाल, सेवाराम जग्गी को दिया गया फर्टिलाइजर का लाइसेन्स

*६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्म जग्गी, लखनऊ को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश ने फर्टिलाइजर बेचने का लाइसेन्स दिया था और फर्म के घोटाला करने पर जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ ने सन् १९७६-७७ में उक्त

लाइसेन्स को रद्द कर दिया ? यदि हां, तो उक्त जग्गी फर्म को पुनः कृषि विभाग द्वारा लाइसेन्स देने का कारण क्या है और लाइसेंसिंग कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं ?

कृषि मन्त्री(श्री राजेन्द्र सिंह) --

जी हां, मेसर्स सोहनलाल सेवा राम जग्गी को जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ द्वारा १५ अप्रैल, १९७४ को निबन्धन प्रमाण-पत्र (लाइसेन्स) निर्गमित किया गया था। उक्त निबंधन प्रमाण-पत्र (लाइसेन्स) वर्ष १९७६-७७ में रद्द नहीं किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश, १९५७ के प्रस्तर-७ के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार जिला कृषि अधिकारी को है, कोई कमेटी नहीं है।

*७--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[७ सितम्बर, १९७७ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित]

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मन्त्रियों को स्टाफ कारों का आवंटन

*८--श्री बसन्त (जिला देवरिया) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मन्त्रियों को स्टाफ कारें आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो किन-किन भूतपूर्व मन्त्रियों को स्टाफ कारें आवंटित की गई थीं और क्या यह व्यवस्था वर्तमान में भी चालू है ? यदि हां, तो इस समय किन-किन मन्त्रियों के पास इस प्रकार आवंटित की गई विभिन्न विभागों एवं निगमों की कितनी-कितनी स्टाफ कारें हैं।

श्री आबिद अली--

जी नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, मेरा प्रश्न जो है, बहुत ही साफ है और मन्त्री जी ने किस तरह से अधिकारियों के प्रभाव में आकार इसको तोड़ मरोड़ करके सदन में उत्तर दिया है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है 'क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मन्त्रियों को स्टाफ कारें आवंटित की जाती हैं ? यदि हां, तो किन-किन भूतपूर्व मन्त्रियों को स्टाफ कारें आवंटित की गई थीं और क्या यह व्यवस्था वर्तमान में भी चालू है ? यदि हां, तो इस समय किन-किन मन्त्रियों के पास इस प्रकार आवंटित की गयी विभिन्न विभागों एवं निगमों की कितनी-कितनी स्टाफ कार हैं ?' मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं, जी नहीं। मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहूंगा कि वर्ष १९७६-७७ में कुल कितनी मोटरें दी गयीं, जो निगमों की हैं ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, स्टाफ कारें जो मन्त्रियों को दी जाती हैं, वह स्टेट डिपार्टमेंट देता है। रोडवेज से स्टाफ कारें नहीं दी जाती हैं। इस वास्ते जो जवाब दिया है कि रोडवेज से कोई स्टाफ कार नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें आप टेक्नीकल्टीज में जा रहे हैं। उनका प्रश्न यह है कि यदि गाड़ियां मन्त्रियों को आवंटित की गई हैं, तो नियम क्या है और किन-किन भूतपूर्व मन्त्रियों को दी गई हैं ? इसका उत्तर दिया जाना चाहिये। नहीं तो जो प्रश्न करने में सैकड़ों रुपये खर्च होता है, वह बेकार है। इससे बेहतर है कि सदस्य प्रश्न न करें, यदि इस प्रकार का आपका जवाब होगा। सीधा प्रश्न है कि क्या आपके रोडवेज से कारें मन्त्रियों को दी जाती हैं कि नहीं ? पहले भूतपूर्व मन्त्रियों को दी गई कि नहीं ? इसका उत्तर दें। यदि इस प्रकार से उत्तर देंगे, तो यह बिल्कुल सदस्यों का अपमान करना है।

श्री आबिद अली--

मान्यवर, जो गाड़ियां मन्त्रियों को दी जाती हैं, वह स्टाफ कारें नहीं होती हैं, वह टक्सीज होती हैं। जब मन्त्रियों को जरूरत होती है, दौरे पर होते हैं, तो मांग लेते हैं और मिल जाती है। लेकिन मुस्तकिल एलाटमेंट नहीं होता है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं और जैसा अभी मन्त्री जी ने बताया कि स्टाफ कारें और टैक्सीज दोनों विभाग में मौजूद हैं, तो सिर्फ १९७६-७७ के बीच में टोटल इस समय कितनी टक्सीज और स्टाफ कारें निगम के पास हैं ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, स्टाफ कारें लगभग ९५ हैं। जो अधिकारी हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और वह सूबे भर में फैली हुई हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

श्रीमन्, यह मन्त्री जी बता दें कि कौन-कौन अधिकारियों के इस्तेमाल में वह आती हैं ?

श्री आबिद अली--

इसके लिए सूचना की जरूरत है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं उत्तर को देख रहा हूं और एजेन्डे में ४-५ सवाल हैं कि क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निगम द्वारा मन्त्रियों को स्टाफ कारें आवंटित की जाती हैं ? उत्तर है 'जी नहीं'। फिर प्रश्न है यदि हां, तो किन-किन भूतपूर्व मन्त्रियों को स्टाफ कारें आवंटित की गई थीं ? उत्तर है 'जी नहीं'। क्या यह व्यवस्था वर्तमान में भी चालू है ? उत्तर 'जी नहीं'। फिर प्रश्न यदि हां, तो इस समय किन-किन मन्त्रियों के पास एलाट की गई कारें हैं ? उत्तर इसका भी वही 'जी नहीं'। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 'जी नहीं' यदि एक प्रश्न का उत्तर है तो भी ठीक है, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा सभी का उत्तर 'जी नहीं' दिया जाता है, तो यह तो टेक्नीकल उत्तर है। इसको आप चाहें तो स्वीकार कर लें, लेकिन पांचों का 'जी नहीं' यह कैसे माना जायेगा। इसलिये मन्त्री जी साफ कर दें कि 'जी नहीं' किस पर लागू है।

श्री आबिद अली--

मान्यवर, पहले निवेदन किया है कि रोडवेज से कोई स्टाफ कार मन्त्रियों को नहीं दी जाती हैं। स्टेट डिपार्टमेंट मन्त्रियों को स्टाफ कारें एलाट करता है। रोडवेज विभाग से जो स्टाफ कारें आवंटित की गई हैं, वह अधिकारियों के सिवाय किसी को नहीं की गई हैं। इसिलये यह अलग प्रश्न हो गया है चूंकि रोडवेज से मन्त्रियों को आवंटित नहीं की जाती हैं। इसलिये उत्तर 'जी नहीं' तो होगा ही।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि स्टाफ कारें किसके द्वारा मेन्टेन की जाती हैं ? क्या वह परिवहन विभाग द्वारा मेन्टेन की जाती हैं ?

श्री आबिद अली--

परिवहन विभाग द्वारा नहीं, रोडवेज विभाग द्वारा स्टाफ कारें मेन्टेन होती हैं, जो कि आफिसरों के पास हैं।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। रजिस्टर्ड टैक्सीज मिनिस्टर की डिमांड पर आप देते हैं। उनका रेट क्या है और उनका पेमेंट स्टेट डिपार्टमेंट करता है या वह पर्टीकुलर डिपार्टमेंट देता है, जिससे मन्त्री का सम्बन्ध होता है ?

श्री आबिद अली--

यह सवाल इससे कवर नहीं होगा। वैसे जो फेयर होता होगा वही चार्ज होता होगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

स्टाफ कारें मन्त्रियों को दी जाती हैं। ७६/७७ में टोटल खर्च क्या था ?

श्री अध्यक्ष--

यह बड़ा व्यापक प्रश्न है ?

श्री हरिकेवल प्रसाद--

यह जो मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, वह तथ्यों पर पर्दा डालने के लिए है। क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि विगत चुनाव में जो स्टाफ कारें थीं, उनका इस्तेमाल किया गया और उन पर टोटल खर्चा कितना हुआ ? इसकी जांच करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री आबिद अली--

अगर कोई डेफिनिट बात कही जायगी, तो जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप तो पुराने सदस्य हैं और मन्त्री भी रह चुके हैं। आप जानते होंगे कि यह परम्परा भी है कि अगर कोई माननीय सदस्य कहता है तो वही काफी आधार है। अगर आप आश्वासन देना चाहें तो दें कि जांच करवा लेंगे।

श्री आबिद अली--

जांच करवा लेंगे ।

गढ़वाल मंडल से दिल्ली, के लिए रोडवेज बस सर्विस

*९--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल से दिल्ली के लिए कितनी रोडवेज बसें प्रति दिन चलती थीं ? क्या यह सही है कि इन रोडवेज बसों का चलना अचानक बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बताएगी कि जनता की सुविधा के लिए इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री आबिद अली--

गढ़वाल मंडल से दिल्ली के लिए कोई भी रोडवेज की बस सीधी नहीं चलती थी परन्तु गढ़वाल मंडल से ३ ऐसी सेवायें हरिद्वार तक चलती थी, जिससे दिल्ली जाने वाली सवारियों को दिल्ली के लिए हरद्वार से कनेक्शन मिलता था एवं इन गाड़ियों में दिल्ली के सीधे टिकट बांटे जाते थे । यह सेवायें टेहरी, उत्तर काशी एवं रुद्रप्रयाग से चलती थीं । इन्हें दिनांक ११ अगस्त, १९७७ से स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुपालन में आर० टी० ए० पौड़ी द्वारा अस्थाई परमिट रद्द कर देने के कारण बन्द कर देना पड़ा । परन्तु पुनः परमिट लेकर इन सेवाओं का संचालन दिनांक १३ सितम्बर, १९७७ से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिससे पूर्ववत् दिल्ली तक सेवायें उपलब्ध हो गई हैं ।

*१०--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून से गढ़वाल मण्डल के समस्त जिलों के लिए जो रोडवेज बसें चलती थीं वह भी बन्द की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार जनता की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री आबिद अली--

जी हां , रोडवेज बसें अनुज्ञापत्र लेकर चलायी जा रही थीं परन्तु टेहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन था श्री बी० के० सकलानी द्वारा स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट अपिलेट ट्रिब्युनल में दायर किए गए रिवीजन के फलस्वरूप रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी पौड़ी द्वारा १९-२-७७ को प्रदान किए गए प्रश्नगत मार्गों के अनुज्ञापत्रों को दिनांक ११ अगस्त, १९७७ से निरस्त कर दिया गया अतः दिनांक ११-८-७७ से उन मार्गों पर संचालन बन्द करना पड़ा । लेकिन जनता की सुविधा के लिए इन्हीं मार्गों को कवर (cover) करते हुए कुछ मार्गों पर अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और उन पर सेवायें चलायी जा रही है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ६७-६८ में रोडवेड ने जोशीमठ से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीयकरण किया । कुछ दिन वहां बसें चलने के बाद काफी नुकसान हुआ और बस बन्द कर दी गयीं । दो बार ट्रिब्युनल में गए और दोनों बार

रोडवेज को हार खानी पड़ी । तीसरी बात यह है कि यह वहां के लोगों का क्षेत्रीय उद्योग है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शास्त्री जी, आप तो वक्तव्य दे रहे हैं । आप कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के इस उद्योग को समाप्त कर, वहां बार-बार क्यों रोडवेज की बसें चलाना चाहते हैं ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, वहां जनता की मांग है, इस वास्ते ये बसें चलाई जा रही हैं ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व मंत्री, श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी वहां टेहरी मोटर यूनियन और गढ़वाल मोटर यूनियन से चुनाव के समय सहयोग लेते थे, लेकिन चूंकि इस बार चुनाव में इन लोगों ने सहयोग नहीं दिया, इस कारण ये रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सहयोग की बात कही, वह पूरी तरह समझ में नहीं आयी और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको और स्पष्ट कर दें।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मान्यवर, गढ़वाल मोटर्स यूनियन और और टेहरी मोटर यूनियन गत कई वर्षों से बसें चलाती थी और माननीय शांति प्रपन्न शर्मा के सहयोग से चलाती थी । लेकिन इस चुनाव में उन्होंने श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा को सहयोग नहीं दिया, इसलिए माननीय शर्मा जी के अप्रत्यक्ष इशारे पर रोडवेज की बसें क्या चलायी जा रही हैं ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, ऐसा नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)--

क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही या उनकी खास दिलचस्पी के कारण रोडवेज बसें कुछ दिनों के लिए वहां बन्द कर दी गयी थीं ? यदि ऐसा है, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय मंत्री जी लेंगे ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य डिफनिट बात बतायेंगे, तो अवश्य कार्यवाही करायेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, इसमें वस्तुस्थिति इस प्रकार है : गढ़वाल मोटर यूनियन और टेहरी मोटर यूनियन के अध्यक्ष कुछ प्रायवेट गाड़ियां चलाते हैं । चूंकि आपकी

रोडवेज सर्विसेज देहरादून और और हरिद्वार के क्षेत्र में लगा दी गई हैं, इसलिए उनका कहना है कि जब गर्मियों में यात्रियों का सीजन होता है, तब तो यहां ये नहीं आते हैं लेकिन जब जाड़े में वहां के लोग के पास कोई काम नहीं रहता तो रोडवेज की गाड़ियां लगा देते हैं। तो क्या रोडवेज के अधिकारियों और प्राइवेट आपरेटर्स को बुलकर इन समस्याओं का हल ढूंढ़ने की कृपा माननीय परिवहन मंत्री जी करेंगे ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, बात कर ली जायेगी।

श्री एस० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं आश्वासन समिति में था, तो यह बात आश्वासन कमेटी के सामने आयी थी। मैं उस कमेटी के साथ देखने भी गया था। हम लोगों को पता लगा था कि बस चलाने के अलावा इम्प्लायमेंट का और कोई साधन है ही नहीं। तब हम लोगों ने रिकमेण्ड किया था कि गवर्नमेंट रोडवेज की बसें वहां न चलाई जायं और प्राइवेट बिजनेस चलती रहे। हम लोगों ने यह भी रिकमेंड किया था कि आई० टी० आई० वहां खोल दिया जाय और वर्कशाप वगैरह खोल दी जायं। हमारे रिकमेन्डेशन पर आश्वासन हुआ था कि सरकार वहां बसें नहीं चलायेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो माननीय परिवहन मंत्री जी जब आश्वासन समिति की रिपोर्ट देख लेंगे, तब दे पायेंगे।

श्री आबिद अली--

मान्यवर, रिपोर्ट देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप सूचना मांग लें। आप समय मांग लें रिपोर्ट देखने का।

श्री आबिद अली--

माननीय सदस्य सूचना दे देंगे तो जवाब दे दूंगा।

क्षेत्रीय सहकारी समिति पचपेड़वा, गोण्डा के सचिव के विरुद्ध गबन एवं जालसाजी का मुकदमा

*११--श्री राम पति (जिला गोंडा)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्रीय सहकारी समिति पचपेड़वा गोंडा के सचिव के विरुद्ध इस समय कितने गबन और जालसाजी के मुकदमे पुलिस में दर्ज हैं और कितने में चार्जशीट न्यायालय भेजी गयी है ? क्या यह सही है कि सचिव निलम्बित तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति, पचपेड़वा का कार्यालय सीलबन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को खुलवाने की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्षेत्रीय सहकारी समिति पचपेड़वा, जिला गोंडा के सचिव के विरुद्ध इस समय २६ मामले गबन व जालसाजी के पुलिस में दर्ज हैं जिनमें से २० मामलों में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है।

यह सही है कि उक्त समिति के सचिव निलम्बित हैं और समिति का कार्यालय सीलबन्द है। उक्त विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध समिति के सभापति ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रखी है जिस पर न्यायालय ने अन्य आदेशों तक विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त मामले में कोई भी कार्यवाही न किये जाने की निषेधाज्ञा पारित की है। याचिका अभी उच्च न्यायालय में लम्बित है।

श्री राम पति--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कार्यालय अभी सीलबन्द है, उसे कब तक खुलवाने की कृपा करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आदेश यह दे दिए गए हैं क्योंकि वह सील्ड रहेगा ही, उच्च न्यायालय में उसका स्टे ले लिया गया। अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जिन किसानों पर बकायेदारी नहीं है, निकटनिसे कट संस्था से उनको ऋण और उर्वरक दिए जायेंगे।

श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--

यह जो सत्यापन की योजना चल रही है, जालसाजी का मुकदमा चल रहा है, इसके माने यह है कि वहां काफी घोटाला हुआ है। इस योजना को कैसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था करा रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दे दिया है। जब यह मसला न्यायालय में है तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

श्री बिन्दू लाल--

ऐसा है सत्यापन उनका चल रहा है, लाखों रुपयों के फर्जी मामले हैं। इसे इसी महीने पूरा होना चाहिए। उसके लिए क्या सोच रहे हैं? कैसी व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसके लिए मान्यवर, हम लोग स्टे खारिज कराने का प्रयास करेंगे, सरकार की तरफ से।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

कई सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनके गबन के मामले हाई कोर्ट में नहीं गये। इतना निवेदन है मंत्री जी से कि उनके बारे में क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। इससे यह उत्पन्न नहीं होता।

श्री हर प्रताप सिंह--

मान्यवर, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो जालसाजी का मुकदमा है, यह किस सन् का है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर निश्चित तारीख तो नहीं है, लेकिन लगभग सन् ७२ का है।

श्री हर प्रताप सिंह--

यह ७२ का है तो यह जो नई सरकार, जनता सरकार बनी है यह मुकदमा चलायेगी या पिछली सरकार चलायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो जाहिर है सन् ७२ में नई सरकार कहां से आई ?

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं ?

अलीगढ़ स्थित ग्लैक्सो कम्पनी को सेन्ट्रल डेरी फार्म द्वारा दूध की आपूर्ति एवं उसका मूल्य

*१२--श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में स्थित ग्लैक्सो कम्पनी को सरकारी डेरी फार्म कितना दूध सम्लाई करती है तथा यह कम्पनी प्रतिलीटर दूध का मूल्य क्या देती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सरकारी डेरी फार्म (सेन्ट्रल डेरी फार्म) द्वारा दूध ग्लैक्सो कम्पनी को आपूर्ति नहीं की जाती है।

*१३--श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में स्थित ग्लैक्सो कम्पनी को किस श्रेणी का दूध दिया जाता है ? इसमें मक्खन का क्या अनुपात होता है ? जनता को दिए जाने वाले तथा कम्पनी को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में क्या कोई अन्तर है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

ग्लैक्सो कम्पनी को बच्चा दूध, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अलीगढ़ द्वारा दिया जाता है। जिसमें ६.५ प्रतिशत बसा एवं ९ प्रतिशत एस० एन० एफ० होता है। अलीगढ़ दूध संघ द्वारा ग्लैक्सो कम्पनी को दिए जाने वाले दूध तथा उक्त संघ द्वारा मथुरा दुग्धशाला में विधिकृत दूध को अलीगढ़ नगर में बेचा जाता है के मूल्य में ०.२३ रु० प्रति लीटर का अन्तर है। इसका कारण यह है कि ग्लैक्सो कम्पनी को कच्चा दूध दिया जाता है जबकि उपभोक्ताओं को पेश्चुराईज्ड दूध दिया जाता है जिसकी प्रक्रिया व वितरण में अतिरिक्त व्यय होता है।

श्री एस० एन० सिंह, परियोजना अधिकारी कृषि, गोंडा के विरुद्ध जांच रिपोर्ट एवं उनका स्थानान्तरण

*-१४--श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा प्रश्न सं० २४ के उत्तर में भूतपूर्व कृषि मन्त्री श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने दिनांक ९ नवम्बर, १९७६ को बताया

था कि श्री एस० एन० सिंह, परियोजना अधिकारी, गोंडा के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोंडा के स्तर से एवं संयुक्त कृषि निदेशक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की, गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर कृषि बीज भंडारों पर खादों में मिलावट कराना पुराने दर पर खाद की बिक्री करके नए दर पर रसीद कटवाना तथा पुराने एवं घिसे हुए बांटों का प्रयोग कराना आदि भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है ? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्री एस० एन० सिंह, परियोजना अधिकारी के विरुद्ध संयुक्त कृषि निदेशक (प्रशासन) तथा जिलाधिकारी गोंडा के आदेशानुसार उप निदेशक (चकबन्दी) गोंडा द्वारा जांच की गयी। प्रमाणित हुए आरोपों के सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही कराई जा रही है। इनका स्थानान्तरण गोंडा से बस्ती जनपद के लिए किया जा चुका है।

श्री दीप नरायन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच हुए एक वर्ष हो चुका है और एक वर्ष में अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही विभाग द्वारा क्यों नहीं की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

पहले प्रिलिमिनरी जांच श्री जैन से कराई गयी जिसकी रिपोर्ट २८ अक्तूबर ७६ को प्राप्त हुई। इसके बाद परियोजना अधिकारी से ३ दिसम्बर, ७६ को स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। शासन ने २४-२-७७ को सी० सी० ए० नियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिए हैं। अभी तक उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए देर हो रही है।

श्री दीप नरायन--

जांच रिपोर्ट में यह बात सिद्ध पाई गयी कि खाद में मिलावट की गयी, पुराने दर की खाद, नये दर से बेची गयी और पुराने बांट घिसे हुए इस्तेमाल किए गए, तो क्या उनके विरुद्ध क्रिमिनल केस भी मंत्री जी चलायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसा साबित हुआ, तो जरूर चलाया जायगा।

श्री दीप नरायन--

मेरा सवाल था कि जांच में यह साबित हो चुका है। अब अगर साबित हो चुका है, तो क्रिमिनल केस चलायेंगे या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह जांच रिपोर्ट बहुत बड़ी है। मैंने इसे अभी देखा नहीं है। अगर ऐसा होगा, तो उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

जब उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट आ चुकी है, तो उनको निलम्बित करके, तबादला ही क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

जांच रिपोर्ट उन्होंने अभी देखी नहीं है, इसलिए ट्रान्सफर अनुशासनात्मक आधार पर कर दिया गया, लेकिन मंत्री जी ने जांच रिपोर्ट को देख कर, उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे इसका उन्होंने आश्वासन दे दिया है ।

श्री श्याम मत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

अधिकारी से जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसके लिए उनको जितना समय दिया गया था क्या वह बीत गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

वह समय बीत चुका है ।

श्री मैनेजर सिंह---

जब उस जांच रिपोर्ट में यह बात सिद्ध है कि खाद में मिलावट पाई गई, पुराने बाटों का प्रयोग किया गया और अधिक दाम पर खाद बेची गई, तो क्या अन्तिम निर्णय के पहले उस अधिकारी को तत्काल मुअत्तल करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

प्राइमा फेसाई केस जो सिद्ध हुआ है, वह यह है कि बीज भंडारों में उपलब्ध खाद को पुराने रेट पर न बेच कर नये रेट्स पर बेची गयी और उसे कालीचरण द्वारा बेचा दिखाया गया है और इस प्रकार ये चार्जेज कालीचरण के खिलाफ होते हैं । परियोजना अधिकारी भी उस संदर्भ में आता है । लिहाजा जिनके खिलाफ चार्जेज होंगे, उसके खिलाफ एक्शन होगा और इसी हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

*१५---श्री शम्भू नाथ चौधरी---

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि अमीनों एवं चपरासियों की भूख हड़ताल तथा उनकी मांगें

*१७---श्री हरि केवल प्रसाद, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग १२ हजार कृषि अमीन तथा चपरासी आपातकालीन स्थिति के तहत सेवामुक्त कर दिए गए थे ? क्या सेवा में पुनः लेने की मांग को लेकर उनका संघ विधान सभा के सामने दिनांक १६ अगस्त, १९७७ से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहा है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सेवा में कब तक नियुक्ति का आदेश दे दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

कुल ७,८२३ अमीनों/चपरासियों की सेवायें दिनांक १ सितम्बर, १९७५ से समाप्त की गई ।

इनके संघ ने दिनांक १९ अगस्त, १९७७ से क्रमिक अन्शन प्रारम्भ किया था ।

मांगों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

चूंकि कृषि विभाग में अमीनों/चपरासियों के पद समाप्त कर दिये गये थे अतएव उन पदों पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२७ पर ।)

श्री हरि केवल प्रसाद--

सप्लाई स्कीम के तहत कृषि अमीन, चपरासी, तकावी लेखपाल, डी०जी०आई०, अतिरिक्त कृषि जिला अधिकारी, सप्लाई सहायक निदेशक पदों का सृजन किस समय किया गया था और उन पदों पर केवल कृषि अमीन, चपरासी को ही क्यों सर्विस से वंचित कर दिया गया और बाकी सभी लोग अपने पदों पर सेवारत रखे गये ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इस प्रश्न में स्थिति जो है, वह अमीनों और चपरासियों की मांगी गई थी बाकी के बारे में सूचना की आवश्यकता होगी और बता दी जायेगी ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

आपने कहा कि जो स्कीम बनाई गई थी वह स्कीम ही खतम हो गई जिसके अधीन अन्य लोग भी रखे गये थे, जो अभी सेवारत हैं, तो इन चपरासियों और अमीनों को क्यों हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने कहा है कि अमीन और चपरासियों की सेवा समाप्त करने का निश्चय सरकार ने किया है । अब आप इसमें कोई बात डिसकस करना चाहते हैं, तो मंत्री जी से कर लें । आपकी सूचना मिल गई है, जो आपने पूछा था ।

श्री रियासत हुसैन--

अमीन और चपरासियों की सेवायें समाप्त करने के बाद क्या इनके प्रतिनिधि, मंत्री जी से मिले थे यदि मिले थे तो क्या उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको दूसरी जगहों पर नौकरी दी जायेगी । यदि हां, तो अभी तक कितनों की नौकरी दी गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, प्रतिनिधि मंडल तो कई बार मिल चुका है और यह शासन स्वयं प्रयास कर रहा है कि जितना संभव हो सके इनको सेवा में ले लिया जाय, जहां भी संभव हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, यह जो ७,८२३ अमीन और चपरासी बेरोजगार हो गये और भूखों मर रहे हैं। इससे आगे बढ़ कर एक बात जानना चाहता हूं इतने वर्ष नौकरी करने के बाद इनमें से बहुत से लोग ओवरएज हो गये। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इनमें से जो अन्यत्र नौकरी में जाना चाहें, उन्होंने जितने वर्ष नौकरी की है, उतनी उनको छूट दे दी जायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, यह पहले ही छूट दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष--

इनका सुझाव है कि जितने साल इन्होंने नौकरी की उतने साल की छूट दे दी जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह--

छूट के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने अमीन निकाले गये उनके बाद दुबारा उनमें से कोई नियुक्त किये गये हैं। यदि हां, तो कितने ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसके लिए श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। अभी उत्तर दिया गया कि जितना संभव होगा उनको दूसरे विभागों में खपाया जायेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह संभव की परिभाषा क्या है और उस संभव में कितने कर्मचारी आते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं निकलता।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, नानपारा, जिला बहराइच में बोई गयी मूंग की शुद्धता की जांच

*१८--श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत जायद फसल में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, नानपारा, जनपद बहराइच में नं० ४४ टाइप मूंग की बोवाई की गई थी ? यदि हां, तो क्या बोवाई करने के पूर्व इसकी शुद्धता का परीक्षण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां। बीज की शुद्धता का परीक्षण कराया गया था।

*१९—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या यह सही है कि उक्त बोई गई मूंग टाइप नं० ४४ के नाम से क्रय की गई थी, जबकि वह अशुद्ध थी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जवाब मंत्री जी का है 'जी हां' बिल्कुल गलत है क्या अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ने १६ जुलाई, १९७७ को इस फार्म का मुआयना किया उसमें उन्होंने लिख कर दिया कि यह मूंग अशुद्ध है और इसकी पल्टी कर दी जाय ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं देख लूंगा ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि २० जुलाई, १९७७ को अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर जाकर मूंग को तुड़वाया और सवा चार किलोग्राम निकला जिसे सैम्पुल के तौर पर रख लिया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इस सम्बन्ध में सूचना मेरे पास नहीं है ।

वेतन असंगति समिति की संस्तुतियों को कृषि विभाग में लागू किये जाने की मांग

*२०—श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अगस्त, १९७२ से लागू वेतन आयोग, उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों पर राज्य वेतन असंगति समिति (एनामली कमेटी) द्वारा जो संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की गई थीं, शासन ने दिनांक १ अक्तूबर, १९७५ से लागू करना स्वीकार कर लिया था ? यदि हां, तो कृषि निदेशालय में अभी तक ये संस्तुतियां लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

वेतन असंगतियां समिति की रिपोर्ट में संस्तुत कृषि निदेशालय से संबंधित समस्त संशोधित वेतनमानों के बारे में शासन के निर्णय को यथास्थिति लागू किया जा चुका है । किन्तु उक्त समिति ने कुछ नई संस्तुतियां जो कृषि सेवा वर्ग १ व २ में सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च अर्हता रखने वाले आर्टिस्टों को उच्च वेतनमान आदि के बारे में की हैं, उन पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

श्री मकबूल अहमद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि मेजर मांगों के बारे में शासन का निर्णय यथास्थिति लागू किया जा चुका है, तो

रिपोर्ट को तो १ अगस्त, १९७५ से लागू किया गया है, तो यह कब से लागू किया गया था और कितनों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

एनोमली कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था, किन्तु कैबिनेट की एक सब कमेटी भी बैठी थी, उसने कुछ नये सुझाव दिए थे उन्हीं को अब लागू करना शेष है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

१९७५ वाली जो मंत्रि मंडल की उपसमिति की अनुसंशाएं हुई थीं, उसमें यह लिखा हुआ है कि यह निर्देश जारी कर दिया जाए, तो उन निर्देशों को अब तक जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सेवा वर्ग १ व २ के बारे में कुछ चीजें इसमें कही थीं, एक सेलेक्शन ग्रेड का पद इसमें रखा गया था । जैसे इसमें एक स्केल ३५०-७०० का, इसमें पदाधिकारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु १० प्रतिशत स्थान ५०० से १,०५० में रखने की सिफारिश की गयी थी । उसी तरह वर्ग दो में १५ प्रतिशत को सेलेक्शन ग्रेड देने के बारे में बात थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसमें शब्द हैं--कर दिया जाए, तो अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

उसको लागू किया जा रहा है, उससे इन्कार थोड़े ह ।

बरेली जिले के ग्राम सिरसा फार्म में गोबर गैस प्लान्ट दुर्घटना

*२१--श्री सियाराम सागर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ जून, १९७७ को ग्राम सिरसा फार्म (तहसील बहेड़ी जनपद बरेली) में गोबर गैस प्लान्ट दुर्घटना में पांच व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु हो गई थी ? क्या यह सही है कि यह दुर्घटना सयंत्र स्थापित करने वाले इन्जीनियर की असावधानी के कारण हुई ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित इन्जीनियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां । यह संयंत्र विभाग के किसी इन्जीनियर द्वारा स्थापित नहीं कराया गया था, अतः इन्जीनियर द्वारा असावधानी बरतने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली पर बकाया गन्ना मूल्य

*२२--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के गन्ना सेन्टर कटरा व तिलहर का कितना रुपया एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली पर पिछला बकाया है

और इस बकाया का भुगतान कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब-कब तक भुगतान करा देगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली पर शाहजहांपुर जनपद के गन्ना क्रय केन्द्र, कटरा का कुल बकाया गन्ना मूल्य १.८३ लाख रुपया है। क्रय केन्द्र, तिलहर का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है।

उक्त बकाये के शीघ्र भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है।

राज्य परिवहन निगम की केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के यांत्रिक अभियन्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच

*२३--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राज्य परिवहन निगम की केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के मुख्य यांत्रिक अभियन्ता (श्री राजकुमार मित्तल) के विरुद्ध वर्ष १९६९ से लगायत १९७७ तक गम्भीर आरोप सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन, अनियमितता, चोरी, भ्रष्टाचार आदि के लगाए गए हैं, जिनकी जांच उच्च स्तर पर कराई गई है और यांत्रिक मुख्य अभियन्ता को विभिन्न जांचों से दोषी भी पाया गया किन्तु अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के टास्क फोर्स द्वारा केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर का निरीक्षण करने के पश्चात् श्री मित्तल के विरुद्ध कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही चल रही है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं उसमें मुख्य-मुख्य कौन सी हैं ?

श्री आबिद अली--

एक तो श्री राजमंगल तिवारी थे जो स्टोर कीपर थे, उनका कुछ करेक्टर रोल खराब था, लेकिन उन्होंने छिपाया और उन्हें सुपरिन्डेन्ट बना दिया। एक में १ लाख ६८ हजार रुपये का स्टोर कम पाया गया, तो इन दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमानुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री आबिद अली--

जनरल मैनेजर इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की कार्यवाही की जा रही है, एक्सप्लेनेशन काल किया जा रहा है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ कार्यवाही, प्रश्न होने के बाद शुरू की गई ? और जब उनके खिलाफ लाखों रुपये की अनियमितता और गड़बड़ी करने का चार्ज है, तो क्या उनको निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली--

सवाल करने और कार्यवाही करने से कोई ताल्लुक नहीं है। यह अलग चीज है। किन्तु मैं आश्वासन देता हूं कि इसमें होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होगी, इसमें कोई नरमी नहीं होगी।

ग्राम सेवक संघ की मांगें

*२४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेवक संघ, उत्तर प्रदेश के महामन्त्री का दिनांक १९ जुलाई, १९७७ को वह पत्र मिला है, जिसमें कतिपय मांगों की पूर्ति न होने पर १९ सितम्बर, १९७७ से प्रदेशीय स्तर पर आन्दोलन की बात कही गई है ? यदि हां, तो संघ की मांगें क्या हैं, एवं उन्हें पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

ग्राम सेवक संघ, उत्तर प्रदेश के महामंत्री का १९-७-७७ का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें निम्नलिखित मांगों की पूर्ति न होने पर १९-९-७७ से आन्दोलन की बात कही गई है।

मांग--

१--२० प्रतिशत पद विशेष वेतन क्रम में।

२--कृषि सेवा नियमावली में संशोधन।

३--कृषि विभाग के ग्राम सेवक के स्थायीकरण।

४--कृषि स्नातक ग्राम सेवक को १५ रु० प्रति माह निश्चित यात्रा-भत्ता।

५--विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत ग्राम सेवक को निश्चित यात्रा-भत्ता दिया जाय।

६--लम्बित सेवा सम्बन्धी मामलों का निराकरण।

७--अनुपयुक्त सामानों को राइट आफ करना। उक्त सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

अलीगढ़ क्षेत्र में निजी बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से चलाये जाने के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

*२५--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र अलीगढ़ क्षेत्र के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निजी बसों को निगम

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बचत योजना के अन्तर्गत एवं सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद के लिए वर्ष १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में गन्ना मूल्य से निम्नांकित कटौती की गई है :

वर्ष	अल्प बचत योजनान्तर्गत	महमूदाबाद चीनी मिल हेतु कृषकों के हिस्सा पूंजी के रूप में
	(लाख रुपयों में)	
१९७५-७६	१.२७	५.९७
१९७६-७७	३.८४	४.८६
योग ..	५.११	१०.८३

उपरोक्त कटौती की स्वीकृति समिति की जनरल बाडी से नहीं प्राप्त की गई थी क्योंकि संदर्भित वर्षों में वार्षिक साधारण सभा की बैठक सम्पन्न नहीं हुई थी। वर्ष ७५-७६ की कटौतियां समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा वर्ष ७६-७७ की कटौतियां प्रबन्ध समिति के द्वारा जनरल बाडी की स्वीकृति की प्रत्याशा में राष्ट्रीय योजना, सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना कृषकों के हित में की गई थी और जनरल बाडी की मीटिंग के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेंगी अतः अभी इस धनराशि को वापिस कराने का प्रश्न नहीं उठता

देवरिया जिले के कुशीनगर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में कथित-पत्र

*२८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद में कुशीनगर, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ है, को आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने तथा सारनाथ, लुम्बिनी एवं बोध गया की भांति विकास करने हेतु वर्ष १९७६ में प्रश्नकर्ता ने कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली--

जी नहीं।

१७ जून, १९७६ को एक पत्र में प्रश्नकर्ता ने पडरौना तहसील (जिला देवरिया) में भगवान बुद्ध तथा जैन तीर्थांकर स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना का जिक्र किया था, उक्त पत्र में कुशीनगर को आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई सुझाव नहीं था।

*२९-३०--श्री रियासत हुसैन--

[परिवहन निगम के आन्तरिक प्रशासन से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

शाहजहांपुर के ग्राम सिठौली के निवासियों का सहकारी समिति के ऋण से मुक्ति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*३१—श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद के ग्राम सिठौली निवासी नत्थू सिंह पुत्र मितान सिंह आदि ने १९ प्रार्थीगणों का प्रार्थना-पत्र दिनांक ३-८-७७ जो रामगंगा से कृषि भूमि तथा मकान के कट जाने के फलस्वरूप सहकारी समिति का ऋण, जो लगभग १०,००० रु० (दस हजार रुपया) है, से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जांच की गई। आवेदन कर्ता सभी व्यक्ति साधन सहकारी समिति लि०, आतिरी निजामपुर के सदस्य हैं। जांच के अनुसार इन लोगों पर लग वर्ष १९६७-६८ से वर्ष १९६९-७० तक के ऋण की वसूली हेतु सालसी कार्यवाही की जा चुकी है। सदस्यों की प्रार्थनानुसार ऋण माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है। परन्तु यदि दैवी आपत्तियों से फसल की कुल क्षति आठ आने या उससे अधिक होने का प्रमाण माल विभाग से प्राप्त कर लिया जाय तो संदर्भित फसल पर लगे हुए अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध है किन्तु प्रार्थीगण ने इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं दिया। सारे प्रदेश में बकाये ऋणों का सत्यापन मौके पर स्थिति की वृहद् विवेचना करके किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात् यदि प्रश्नगत मामले में बकाये ऋणों को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करना सम्भव हो सकेगा तो तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज बस स्टेशन के निर्माण सम्बन्धी कथित आदेश

*३२—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६६ में सरकार ने गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज बस स्टेशन बनाने का कोई आदेश जारी किया था और तब से परिवहन विभाग इस सम्बन्ध में कार्यवाही करता रहा और अब राज्य सड़क परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र के अधीक्षक ने एक पत्र ग्राम सभा प्रधान बुढनपुरा, जिला गोरखपुर को दिनांक ४-११-७५ को लिखा था भूमि के सम्बन्ध में ? यदि हां, तो शासन ने उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने आदेश की पूर्ति हेतु कब-कब क्या-क्या आदेश १९६६ के पूर्व या बाद में जारी किए हैं और उस पर विभाग या परिवहन निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं।

अलीगढ़ क्षेत्र में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निजी बसों को चलाये जाने सम्बन्धी अनुबन्ध

*३३—श्री नेतराम सिंह तथा श्री राम सिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ क्षेत्र में माह अक्तूबर, ७६ में कोई अनुबन्ध निजी बसों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम

से चलाने का हुआ था ? क्या यह सत्य है कि उक्त अनुबन्ध के माध्यम से विभाग लाभान्वित हुआ था ? यदि हां, तो क्या लाभान्वित होते हुए भी उक्त अनुबन्ध बिना किसी राजाज्ञा के समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

जी हां । माह अक्तूबर, १९७६ में ९ निजी बसों का अनुबन्ध कर उन्हें ३१ मार्च, १९७७ तक परिवहन निगम के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाया गया था जिससे निगम को लाभ हुआ था । १ अप्रल, १९७७ से निगम के पास पर्याप्त संख्या में अपनी गाड़ियां उपलब्ध होने के कारण निजी बसों का अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया था । चूंकि परिवहन निगम एक स्वशासी संस्था है अतएव इस सम्बन्ध में राजाज्ञा प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री अशोक बाजपेयी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिए गए]

पीलीभीत—बिलसंडा व पीलीभीत-देवरिया कलां मार्ग पर निजी बसों की चेकिंग

३—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निजी बसों की चेकिंग का कोई प्राविधान है । यदि हां, तो पीलीभीत-बिलसड़ा व पीलीभीत देवरिया कलां पर पिछले वर्ष १९७६-७७ व इस वर्ष अब तक कितनी बार चेकिंग किन बसों की की गयी तथा क्या अनियमिमता पाई गई एवं उस पर कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली—

जी हां, निजी बसों की चेकिंग हेतु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टक्सेशन ऐक्ट, १९३५, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, १९६२, उ० प्र० मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, १९६४ तथा उन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाई गई नियमावलियों में प्राविधान है ।

पीलीभीत-बिलसंडा व पीलीभीत-देवरिया कलां मार्ग पर वर्ष १९७६-७७ में ३५ तथा इस वर्ष १० बार बसों की चेकिंग की गयी । जिन बसों की चेकिंग की गयी और उनके विरुद्ध जो अनियमिततायें पायी गयीं तथा उन अनियमितताओं के कारण उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गयीं उसका *विवरण संलग्नक विवरण-पत्र 'अ' तथा 'ब' में दिया गया है ।

वाराणसी जिले में सूखा राहत योजनान्तर्गत पौधशाला पर व्यय की गयी धनराशि एवं पौध का उत्पादन

४—श्री अठई राम—(जिला इलाहाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग में १९७५-७६ में दस हजार रुपए के व्यय पर सोलह हजार पौधे तैयार हुए परन्तु इस वर्ष १९७६-७७ में तिरासी हजार (८३,०००) रुपए व्यय करने पर सोलह हजार भी पौधे तैयार नहीं हुए ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जानकारी करके सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

*छापा नहीं गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूखा राहत योजना का आरम्भ वर्ष १९७५–७६ में हुआ तथा माह फरवरी एवं मार्च, १९७६ में मु० रु० ९९९९.९५ पै० का आबंटन हुआ। इस आवंटित धनराशि में रु० ४५७४.६५ पै० पूंजीगत व्यय तथा मु० रु० ५३०५ पौध उत्पादन में व्यय हुआ। क्योंकि पौध उत्पादन का कार्य फरवरी, १९७६ में प्रारम्भ किया गया। अतः उस वर्ष उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

वर्ष १९७६–७७ में मु० रु० ७९००० का आबंटन हुआ जिसमें से पुरानी पौधशाला पर पूंजीगत व्यय मु० रु० ४०२९.२३ पै० तथा नई पौधशाला की स्थापना पर मु० रु० ५७२६६.४७ पै० व्यय हुआ। इस प्रकार कुल पूंजीगत व्यय रु० ६१२९५.६० पै० हुआ। पौध उत्पादन कार्य पर रु० १७,६४७.७२ पैसे व्यय हुआ। इस वर्ष बिक्री योग्य १५००० पौधे उपलब्ध हुए यह उत्पादन पिछले वर्ष १९७५–७६ तथा १९७६–७७ के उत्पादन क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ।

परन्तु १९७६–७७ के उत्पादन क्रियाओं के कारण बोये गये बीजों से १९७७–७८ में कृषकों को आपूर्ति हेतु २०,००० पौधे उपलब्ध है।

गोरखपुर की रामगढ़ झील को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने की योजना

५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर नगर से लगे हुए रामगढ़ ताल को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है और इसके कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

श्री आबिद अली—

जी हां।

योजना का प्रारूप निम्नलिखित है :—

१—झील के निकट सुन्दर उद्यान लगाया जाना।

२—बोट क्लब का निर्माण।

३—मोटेल और कैफेटेरिया का निर्माण।

४—ओपिन एयर थियेटर की व्यवस्था।

५—नौका बिहार एवं मत्स्यघात की सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रश्नगत योजना को कई विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसके ब्योरे सम्बन्धित विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। जैसे ही झील के विकास का कार्य आवास विभाग द्वारा हो जायेगा वैसे ही इस विभाग द्वारा मोटेल और कैफेटेरिया की योजना पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

विकास खण्ड बछरावां, रायबरेली में जिप्सम खाद के वितरण के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट

६—श्री हरि केवल प्रसाद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बछरावां, जिला रायबरेली में वर्ष १९७२–७३ में बहुफसली योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार के नाम पर ६८ टन जिप्सम खाद बड़े कृषकों तथा खाद के व्यापारियों को फर्जी तौर पर

लघु कृषक बताकर केवल १/५ कीमत पर विक्रय करना दिखाया गया तथा शेष ४/५ कीमत अनुदान दिखाकर धन का अपहरण किया गया, जिसकी जांच सतर्कता विभाग ने वर्ष १९७५-७६ व १९७६-७७ में की है ? यदि हां, तो क्या सरकार सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट करके सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

विकास खण्ड, बछरावां, जिला रायबरेली में जिप्सम खाद के वितरण के सम्बन्ध में कतिपय शिकायती पत्रों के आधार पर वर्ष १९७५ में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई थी। सतर्कता विभाग की जांच आख्या गोपनीय है, अतः उसे सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[६ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में सरकारी डेरीफार्म तथा चिलिंग प्लान्ट पर व्यय की गयी धनराशि

८--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी सरकारी डेरियां एवं कितने चिलिंग प्लान्ट लगे हैं ? यह किन-किन जिलों में बनाए गए हैं ? इन पर कितना सरकारी धन व्यय हुआ है तथा इनकी क्या क्षमता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दुग्धशाला विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में सरकारी डेरियों में केवल आगरा जनपद की राजकीय दुग्धशाला है। इसकी क्षमता १०,००० लीटर है और इस दुग्धशाला पर शासन को रु० २२,३०,४०४ की धनराशि लगी है।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास विभाग के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध संघों में ३९ चिलिंग प्लान्ट स्थापित हैं। इन चिलिंग प्लान्ट में से १०,००० लीटर क्षमता के दो, ५००० लीटर क्षमता के तीन, ४००० लीटर क्षमता के तेरह, २००० लीटर क्षमता के सत्रह, २,५०० लीटर क्षमता का एक, १,८०० लीटर क्षमता का एक, तथा १,००० लीटर क्षमता के दो हैं। ये चिलिंग प्लान्ट हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ पौड़ी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर, बदायूं, फतेहपुर, जालौन आजमगढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, देहरादून, उन्नाव, सीतापुर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, शाहजहांपुर, नैनीताल तथा आगरा जनपदों में है। इन पर शासन की कुल धनराशि रु० १,३०,२०, ३३९.२६ व्यय हुई है।

गोंडा जिले के बीज एवं खाद गोदामों को दी गयी खाद की मात्रा

९--श्री विष्णु प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के अन्तर्गत तहसील गोंडा, तहसील उतरौला व तहसील तरबगंज में कितने राजकीय बीज एवं खाद गोदाम हैं और उन खाद गोदामों में वर्ष ७७ में खरीफ अभियान के सिलसिले में कितनी मात्रा में नत्रजनिक, फासफेटिक तथा पोटाशिक उर्वरक भेजी गई है तथा कितनी आवश्यकता थी यदि आवश्यकतानुसार उर्वरक नहीं भेजी गयी, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

गोण्डा जनपद की तहसील गोण्डा में १५, तहसील उतरौला में १४ एवं तहसील तरबगंज में ११ राजकीय कृषि बीज एवं खाद गोदाम हैं। उक्त तहसीलों

के राजकीय भण्डारों पर वर्ष १९७७ के खरीफ अभियान में निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत उपलब्ध कराये गये उर्वरक की मात्रा संलग्न *तालिका में दर्शायी गयी है। खरीफ अभियान के बाद भी भण्डारों पर उक्त सभी प्रकार के उर्वरकों का स्टाक अवशेष रह गया था जिससे स्पष्ट है कि उक्त भण्डारों पर आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध था और कोई कमी नहीं रही।

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२९।

गन्ना यूनियन, बलरामपुर गोण्डा द्वारा पेड़ी गन्ना पर यूरिया का छिड़काव

१०—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना यूनियन, बलरामपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत सर्किल नं० ७, ८, वी-९ में यूरिया के पेड़ी गन्ने पर छिड़काव हेतु वर्ष १९७६-७७ में कितनी मजदूरी दी गई ? उक्त यूनियन द्वारा उपरोक्त सर्किलों में जहां छिड़काव कराया गया उन काश्तकारों का नाम क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रश्नगत समिति के अन्तर्गत वर्ष १९७६-७७ में केवल सर्किल नं० ८ में पेड़ी गन्ने पर यूरिया के छिड़काव का कार्यक्रम विभाग द्वारा सम्पन्न कराया गया है परन्तु छिड़काव सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों के कारण मजदूरी का भुगतान अब तक रुका हुआ है। शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। छिड़काव कार्य से सम्बन्धित कृषकों की सूची संलग्न है।

हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लाक के बी० डी० ओ० श्री दीन दयाल चौरसिया की सेवा समाप्ति

११—श्री प्रेम नारायण अहेरवार—जिला झांसी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ में मौदहा ब्लाक हमीरपुर में कौन बी० डी० ओ० था और बी० डी० ओ०, मौदहा जब क्रिमिनल केस में ४ अप्रैल, १९६१ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गये थे तो क्या उन्हें उसी तिथि से वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड २, भाग २ से ४ के Subsidiary Rules १९९ के अनुसार निलम्बित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ को मौदहा ब्लाक में श्री दीनदयाल चौरसिया बी० डी० ओ० के पद पर थे। उन्हें दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ से निलम्बित नहीं किया गया क्योंकि उक्त तिथि को श्री चौरसिया खण्ड विकास अधिकारी पद पर सेवा समाप्ति की एक माह की नोटिस अवधि पर चल रहे थे।

गाजीपुर जिले में त्वरित योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

१२—श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे गाजीपुर जनपद में क्रैश प्रोग्राम (त्वरित योजना) के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़कों को लिया गया था

†छापी नहीं गयी।

तथा उन पर आवंटित धनराशि क्या थी ? क्या सम्पूर्ण आवंटित धनराशि व्यय हो चुकी है ? यदि हां, तो जिन सड़कों पर धनराशि व्यय हुई उनकी स्थिति क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

गाजीपुर जनपद में त्वरित योजनान्तर्गत ७५ किलोमीटर सड़क के निर्माण का कार्य लिया गया था जिसके लिये रु० ३४,३१,००० की धनराशि आवंटित की गई थी । इस में से केवल रु० ३३,८०,१६३.०० की धनराशि व्यय हुई है । निर्मित सड़कों की स्थिति संलग्न *तालिका में दी हुई है ।

*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३० पर ।

राज्य सड़क परिवहन निगम में यातायात स्टेशन अधीक्षकों के पद हेतु ली गयी परीक्षा एवं उनकी नियुक्ति

१३—श्री राजबली तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा यातायात अधीक्षक एवं स्टेशन अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु १९७३ में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली गई और १९७४ में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में साक्षात्कार द्वारा ६० व्यक्तियों का चयन किया गया और इनमें से ४७ को सरकारी खर्च पर तीन महीने तक ट्रेनिंग दी गई किन्तु अब तक केवल ३१ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो शेष लोगों की नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में यातायात स्टेशन अधीक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा मुरादाबाद में लिये जाने हेतु दिनांक ३० दिसम्बर, १९७३ की तिथि निर्धारित की थी किन्तु लखनऊ व आगरा में परीक्षार्थियों द्वारा गड़बड़ी किये जाने के फल-स्वरूप परीक्षा सम्पन्न नहीं की जा सकी और इन दोनों स्थानों पर दिनांक १० फरवरी, १९७४ को लिखित परीक्षा ली गयी । सभी सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय लखनऊ में २९ अप्रैल, १९७४ से ३ मई, १९७४ को हुआ था । उनके आधार पर ६० यातायात स्टेशन अधीक्षकों को नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची बनाई गयी थी इन ६० अभ्यर्थियों में से भारत सरकार द्वारा पोषित 'हाफ-ए-मिलियन जाब्स' योजना के अन्तर्गत वर्ष ७४-७५ में २५ अभ्यर्थियों को रु० १५०.०० प्रति माह स्टाईपेन्ड देकर ३ माह का प्रशिक्षण दिया गया । इन ६० अभ्यर्थियों में से प्रथम ३१ अभ्यर्थियों को जुलाई, १९७७ तक यातायात/स्टेशन अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा चुका था । इन ३१ अभ्यर्थियों में वे भी सम्मिलित हैं जिनको 'हाफ-ए-मिलियन जाब्स' योजना के अन्तर्गत ३ माह का प्रशिक्षण दिया गया । लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बैठक दिनांक २७ जुलाई १९७७ के संकल्प संख्या ६४९/७७ में यह निर्णय लिया गया कि सब श्रेणियों की प्रतीक्षा सूची जो एक साल से अधिक समय की है रद्द कर दी जायं । अतः यह सूची भी रद्द कर दी गयी इसके अतिरिक्त निगम बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि यातायात/स्टेशन अधीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां विभागीय कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार ही की जायं । इस प्रकार अब प्रतीक्षा सूची के शेष अभ्यर्थियों को यातायात/स्टेशन अधीक्षकों के पदों पर नियुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

१४—श्री तेज भान सिंह—

[६ठें सोमवार के लिये स्थगित]

शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र निगोही को दी गयी धनराशि एवं उसका व्यय

१५—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र निगोही को १ जनवरी, १९७५ से अब तक विकास कार्य के लिए कितना रुपया दिया गया और रुपया क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में खर्च हुआ और इन ग्रामों में किस प्रकार का विकास कार्य किया गया और जिन ग्रामों में जो रुपया खर्च हुआ उसकी तफसील क्या है ? जिन गांवों में कोई कार्य नहीं किया गया उनके नाम क्या हैं और कार्य न किए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

प्रश्न में बहुत अधिक ब्यौरे की सूचना पूछी गयी है, जिसके एकत्रित करने में जो श्रम, समय तथा धन व्यय होगा वह उसके उत्तर के लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

विकास खण्ड सुरियावां, वाराणसी के ग्राम सेवक, श्री राम प्रसाद त्रिपाठी की सेवा पुस्तिका

१६—श्री अठई राम—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेवक (राम प्रसाद त्रिपाठी) विकास खण्ड सुरियावां, जिला वाराणसी की सेवा पुस्तिका वर्ष १९६५ से आज तक जिला नियोजन अधिकारी (विकास), वाराणसी द्वारा सत्यापित (पूर्ण) नहीं की गई जिससे उनका वेतन तथा अन्य उपलब्धियां जिसका योग लगभग १२ हजार रुपया बकाया पड़ा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कब तक भुगतान किया जाएगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं।

सेवा पुस्तिका पूर्ण कर दी गई है और अवकाश कालीन वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा पंचवर्षीय कर-निर्धारण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने सदन के पटल पर और सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान किया था कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा पंचवर्षीय कर-निर्धारण में हुई ज्यादतियों की जांच वे कर रहे हैं। इस सिलसिले में २८ फाइलें उन्होंने मंगायी थीं जिसमें २६ फाइलों में उन्हें लगा कि अन्याय हुआ है। चूंकि सदन का कार्य जल्द ही खत्म होने वाला है और वह स्थगित हो जायगा। इस १५ लाख लोगों के जनहित के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय करा के जनता को इमर्जेंसी के दौर में की गयी ज्यादतियों से राहत दिलाने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी०पी० दोरा--]

माननीय मन्त्री जी ने जिन मकानों का वार्षिक कर निर्धारण ३६० रुपये तक हुआ है उनका समान्य कर माफ करने की घोषणा की थी पर वह ऐक्ट में तरमीम करके ही होना था । वह अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

माननीय मन्त्री जी ने ऐलान किया था कि जिन मकानों में लोगों ने वाटर कनेक्शन नहीं ले रखा है, इस तरीके के निर्धन लोगों को जल-कर से छूट रहेगी ।

ये दोनों ही रियायतें गरीब लोगों के लिए माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने राहत देने के नियत से की थीं पर उनके क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण लोग अत्यधिक चिन्तित हैं । कृपया माननीय मन्त्री जी से इस महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में सामूहिक अवकाश लेने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, अपनी मांगों के समर्थन में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों न संघर्ष का रास्ता अपना लिया है । वे ११ अक्टूबर को सामूहिक अवकाश ले रहे हैं और आगे इससे गम्भीर कदम उठा सकते हैं । यदि ऐसा हुआ तो विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र में समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है । विश्वविद्यालय का नया सत्र ११ अक्टूबर से ही प्रारम्भ होने जा रहा है । बहुत सारी कक्षाओं का परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है । यदि लखनऊ विश्वविद्यालय की सम्मिलित हड़ताल ने गपभीर रुख अपना लिया तो स्थिति भयावह हो सकती है । पठन-पाठन प्रभावित हो सकता है । छात्र-अशान्ति हो सकती है ।

अनुरोध है कि सरकार तुरन्त इस समस्या का हल निकाले ।

देवरिया में तिलहन तथा दलहन के बीजों के अभाव से किसानों में असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में इन तथ्यों को प्रकाश में लाना चाहता हूं । देवरिया जनपद में तिलहन तथा दलहन के बीज के अभाव के कारण किसानों में काफी असन्तोष एवं बेचैनी व्याप्त है क्योंकि दलहन एवं तिलहन की बुआई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो जानी चाहिए । प्रदेश में दलहन एवं तिलहन के अभाव के कारण पहले से ही इनका काफी भाव बढ़ा हुआ है, यदि इस वर्ष भी ध्यान नहीं दिया गया, तो प्रदेश के समक्ष दालों व तेलों की भीषण कमी व उसकी कीमतों के बढ़ने की समस्या खड़ी होगी । कृषि विभाग इस समस्या के सम्बन्ध में बिलकुल मौन है ।

अतः सदन के माध्यम से कृषि मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए, यह कहना चाहता हूं कि तकाल दालहन एवं तिलहन के बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महुली माधवगंज (प्रतापगढ़) कृषि मण्डी के लिए किसानों की ली गई जमीन का मुआवजा न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के महुली माधवगंज नामक स्थान पर कृषि मंडी निर्माणाधीन है। काम की शुरुआत दो ढाई वर्ष पहले ही हुई थी किन्तु अफसोस है कि आज तक उन किसानों को जिनकी जमीनें मन्डी हेतु ली गयी है, मुआवजा नहीं दिया गया। किसान अपनी जमीन जोत बो नहीं पा रहा है। पता नहीं अधिग्रहण की कार्यवाही के इतने दिन बीत जाने के पश्चात् भी आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? श्रीमन, ऊबकर किसानों ने पिछले आठ दस दिनों से अनशन का सहारा ले रखा है, अपनी बात सुनाने के लिए गूंगे बहरे जिला प्रशासन को। ज्ञातव्य है कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास अब एक इंच जमीन भी जोतने बोने के लिए रह नहीं गयी है अनशन जारी है, निरन्तर भुखमरी का नतीजा है कि दो किसान कुसमय मौत के शिकार हो चुके हैं, भयंकर असन्तोष व्याप्त है। स्थिति निरन्तर बद से बदतर होती जा रही है। तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उपरोक्त लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा चाहता हूं।

बस्ती जिले के विद्युत् की मेन लाइन पर कार्यरत लाइन मैन की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और आपके माध्यम से माननीय विद्युत् मन्त्री जी का ध्यान बस्ती जिले में लाइन मैन की मृत्यु दिनांक ६ अक्टूबर, १९७७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त लाइन मैन को लाइन ठीक करने के लिए कलेक्टर साहब के सामने बुलाया गया था कि खम्भे को ठीक कर दे, उक्त लाइन मैन के पास दस्ताना नहीं था, फिर भी उसके इन्कार करने पर बाध्य किया गया कि कलेक्टर साहब के सामने के खम्भे को ठीक करे। परन्तु लाइन मैन के कहने के बावजूद भी अधिकारियों ने उसकी बात नहीं मानी और उसको खम्भे पर चढ़ा दिया। दुर्भाग्यवश करेन्ट लगा और खम्भे से गिरकर लाइन मैन की अस्पताल में जाते समय मृत्यु हो गयी। आपातकालीन स्थिति में लाइन मैन की धर्मपत्नी का बंधीकरण कराया था और आपरेशन के समय में उसकी मृत्यु हो गयी। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका कोई साहारा नहीं है। अतः आज आपके माध्यम से माननीय विद्युत् मन्त्री जी से मांग करता हूं कि मृतक लाइन मैन की मृत्यु से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और निःसहाय बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर सरकार ले जब तक वे बालिग न हो जाये।

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बलिया के पत्र दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्टूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री बच्चा पाठक, सदस्य, विधान सभा (बलिया) को दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ के अपरान्ह १-३० बजे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के पक्ष में तथा वर्तमान सरकार विरोधी नारे लगाने एवं जलूस निकालने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत बन्दी कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष--]

लिया गया है और उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बलिया के आदेश से इस समय जिला जेल, बलिया में रखा गया है ।

चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट तथा अधीक्षक, जिला कारागर, रायबरेली के वायरलेस संदेश दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्टूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राम दुलारे सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ के सायंकाल आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जिला कारागर, रायबरेली में रखा गया है ।

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा ए० एस० आई० ओ० हरदोई के वायरलेस सन्देश दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्टूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री बिहारी लाल हंस, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) को दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ को संडीला तहसील में सी० आर० पी० सी० की धारा १४४ के उल्लंघन में श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है ।

जिला मजिस्ट्रेट, शाहजाहांपुर तथा अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर के वायरलेस मेसेज दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्टूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री सत्य पाल सिंह तथा श्री जगदीश सिंह, सदस्य विधान सभा (शाहजहांपुर) दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ को १-०० बजे अपहरान्ह भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तथा जिला जेल, शाहजहांपुर में रखे गये हैं ।

जिला मजिस्ट्रेट एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा तथा अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा के वायरलेस मेसेज दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्टूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्धु, सदस्य, विधान सभा (आगरा) को दिनांक ९ अक्टूबर, १९७७ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के उल्लंघन करने में भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट (आगरा) शहर के आदेश से उक्त दिनांक को ५-४२ बजे अपरान्ह जिला कारागार, आगरा में रखा गया है माननीय सदस्य को दिनांक २२ अक्टूबर, १९७७ तक न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर रखा गया है ।

जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक एवं ए० एस० आई० ई० ओ० तथा अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई के वायरलेस संदेश दिनांक ८ अक्टूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १० अक्टूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री मन्नी लाल, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) को दिनांक ८ अक्टूबर, १९७७ को श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के उल्लंघन में भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला कारागार, हरदोई में रखा गया ।

दर्शक दीर्घाओं में सी० आई० डी० लोगों द्वारा बिना प्रवेशपत्र जाकर सदन की कार्यवहियों को लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ३०५ के अन्तर्गत सदन के परिसर के उन भागों में जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

मान्यवर, मेरा प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है । सदन की मर्यादा और उसकी सुरक्षा से सम्बन्धित है । सदन की कार्यवाही बिना आपकी आज्ञा कुछ लोग इस समय नोट कर रहे हैं । मान्यवर, दर्शक दीर्घा में सरकारी विभागों के कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पास नहीं लिया है । मुझे निश्चित जानकारी है कि आपके यहां से करीब १७ अधिकारियों को ही पास दिये जाते हैं लेकिन लगभग ५० आदमी बैठते हैं । इस समय भी दस लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास कोई पास नहीं है । मैं समझता हूं कि यहां जो माननीय सदस्य बोलते हैं, उसे विभाग के कर्मचारी ही नोट करते हैं या पत्रकार लोग नोट करते हैं । लेकिन मान्यवर, दर्शक दीर्घा में कुछ ऐसे लोग सदन की कार्यवाही नोट कर रहे हैं जो न तो विभाग के कर्मचारी ही हैं और न पत्रकार ही हैं ।

अभी २९ या ३० तारीख को विधान परिषद् में सभापति ने अपनी व्यवस्था दी थी, जब माननीय ओम प्रकाश शर्मा ने सभापति का ध्यान इसी प्रकार के प्रश्न की ओर आकर्षित किया था जिसमें कुछ लोग परिषद् की कार्यवाही नोट कर रहे थे । माननीय सभापति जी ने तुरन्त उसी समय दर्शक दीर्घा के दरवाजों को बंद करवा कर तलाशी लेने की व्यवस्था दी थी ।

अतः मेरा निवेदन है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए इस सदन की मर्यादा के लिए आप कृपा कर दर्शक दीर्घा के समस्त दरवाजों को बंद करवा कर उसमें बैठे हुए लोगों की तलाशी लें और जो लोग कार्यवाही नोट कर रहे हैं, उन्हें दंडित करने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष--

जो भी व्यक्ति यहां पर हैं, उन्हें बिना पास के प्रवेश नहीं करने दिया जाता है । लेकिन दीर्घाओं में बैठ कर कार्यवाही नोट करने का किसी को अधिकार नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि कुछ लोग ऐसा बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपकी अनुमति के बगैर, बिना किसी पास के प्रवेश पा लिया है और सदन की कार्यवाही नोट कर रहे हैं । चाहे वे सी० आई० डी० वाले हों, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको रोका जाय और दन्डित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, आप जाकर कृपया चेकिंग कर लीजिए और यह भी देखिए कि कोई नोट तो नहीं कर रहा है ? और अगर कोई नोट कर रहा हो, तो उसे ऐसा करने से रोकिये और उनके नाम मेरे सामने पेश कीजिए । आप स्वयं जा कर चेक कर लें ।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन ने मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कहकर कि—

"सदन के अन्दर लखनऊ में हुए शिया-सुन्नी दंगे की चर्चा के कारण कानपुर में भी शिया-सुन्नी दंगा हो गया।" सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन का अवमान किया है।

मैंने ७ अक्तूबर, १९७७ की कार्यवाही देखी। इसे देखने से यह ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य श्री देव बहादुर सिंह के यह पूछने पर कि—

"कानपुर में नहीं करवाई जुडिशियल इन्क्वायरी ?" माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में पहले यह कहा था कि—

"कानपुर का जहां तक सवाल है, वह आपने लखनऊ की चर्चा को उठाकर सदन के अन्तर्गत बाहर कानपुर में होने का अवसर दिया. . . ."

इस पर माननीय रियासत हुसैन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह भी कहा कि वे इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री को सदन के अवमान का नोटिस देते हैं। मैंने उस समय यह आश्वासन दिया था कि सदन के अवमान की सूचना प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में, मैं बाद में व्यवस्था दूंगा। किन्तु इसके तुरन्त पश्चात् माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सदन मे अपना भाषण जारी रखते हुये यह स्पष्ट कर दिया था कि—

"सदन में चर्चा होने का मतलब यह है कि सदन को अधिकार है, सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है अपने विचारों को रखने का, लेकिन ऐसे समय में जब कि हम शान्ति और व्यवस्था की बात करें और सदन में इस तरह की चर्चा आवेश में आकर करने लगें तो उसका असर दूसरी जगहों पर पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ इस तरह की बातें होती हैं। यह मैं कह रहा था, इससे माननीय सदस्यों को विचलित नहीं होना चाहिए।"

संविधान के अनुच्छेद १९४ के खंड (१). . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर. . . . . ,

श्री अध्यक्ष

आप बैठ जायं। इस समय आवश्यक नहीं कि आप कुछ कहें। आपने नोटिस दी नियम के अन्तर्गत। उसके अनुसार अध्यक्ष का यह अधिकार है कि यदि वह निर्णय देने से पहले कोई सहायता चाहते हैं तो. . . .इसलिए मैं कोई सहायता की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इतना तो हमें अधिकार है ही....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। सदन का समय बचाने के लिए उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन सवाल यह है कि नोटिस जो दी गई है, वह बड़ी संक्षेप में दी गई है। इसलिए कम से कम दो-चार मिनट का मौका इस पर निर्णय देने से पहले सुनने के लिए दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपने विशेषाधिकार की नोटिस दी है और नियम के अनुसार ही मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यह इतना स्पष्ट है, जिसमें किसी की सहायता की और आपके विशेष वक्तव्य की जरूरत नहीं लगती है। मैंने अपनी व्यवस्था इस सम्बन्ध में विचार करके लिखी है और वह मैं दे रहा हूं।

संविधान के अनुच्छेद १९४ के खण्ड (१) के उपबन्धों के अनुसार सदन में संविधान तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में व्यवस्थित उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाक्य स्वातन्त्र्य है। इससे स्पष्ट है कि सदन में अपने राय प्रकट करने तथा उचित आलोचना करने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार है, यदि वह संविधान के किसी उपबन्ध या नियमावली से प्रतिबन्धित नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री ने जो बात कही है और जिसका बाद में स्पष्टीकरण किया, उसको देखते हुए, उनके द्वारा किए गए कथन, जिस पर आपत्ति की गई है, मात्र एक राय प्रकट करना कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि सदन में इस आसन से तथा अन्य नेताओं द्वारा ऐसे मामलों में प्रायः माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे अपने भाषणों में ऐसे विषयों पर, जिनका प्रभाव उत्तेजनात्मक हो सकता है, संयम से काम लें। माननीय मुख्य मन्त्री के कथन का आशय उसे, उनके बाद के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने पर, स्पष्टतः इस प्रकार की ही भावना व्यक्त किए जाने का द्योतक प्रतीत होता है, यद्यपि जो शब्द प्रारम्भ में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा कहे गए, वे यदि किसी दूसरे प्रकार से कहे गए होते, तो अधिक उचित होता।

उक्त परिस्थिति में, मैं इसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न प्रागदर्शन में नहीं समझता। अतएव मैं इसे उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके समक्ष एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय रियासत साहब ने उठाया, माननीय मुख्य मन्त्री जी के एक वक्तव्य के सम्बन्ध में, जो उन्होंने सदन में दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहिए, आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय सदस्य मेरे बिना समझ ये हुए समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं

माननीय रियासत हुसैन ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया, माननीय मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ, आपने उस पर एक व्यवस्था दी, आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने जो व्यवस्था दी उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो आपने व्यवस्था दी है, जो आज्ञा दी है, उसमें आप देखलें वह तो आपने माननीय रियासत साहब के खिलाफ दी है। आपको मालूम होगा कि माननीय सदस्य को.... (व्यवधान)

(वित्त मन्त्री के खड़े होने पर और कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

मधुकर दिघे जी आप खड़े न हों। आप कृपया बैठें।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न या कोई ऐसी बात नहीं उठाई। उठाई है माननीय रियासत हुसैन ने माननीय मुख्य मन्त्री के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो २ बार कहा एक दूसरे के सम्बन्ध में एक दूसरी बात कही। आपकी जो रूलिंग है, उस पर कोई नुक्ता-चीनी नहीं कर रहा हूं। क्या कारण है कि उस सम्बन्ध में आपने बिना माननीय मुख्य मन्त्री के विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये रियासत साहब के खिलाफ निर्णय दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था पर ही आप विवाद कर रहे हैं। इस पर मैंने स्पष्ट रूप से कहा, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री के भाषण के उद्धरण का हवाला दिया। माननीय मुख्य मन्त्री को उतना ही वाक स्वातन्त्र्य है जितना आपको। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि "यह अपेक्षा की जाती है कि सदन में ऐसे अवसरों पर संयम से काम लें और ऐसी कोई बात उत्पन्न न होने देनी चाहिए, जिससे उत्तेजनात्मक प्रभाव पड़ता हो"। यह कहना माननीय मुख्य मन्त्री जी के वाक स्वातन्त्र्य में है। उसके बाद मैंने कहा है कि रियासत साहब के विरुद्ध कोई बात नहीं कही है, क्योंकि उन्होंने कोई उत्तेजनात्मक बात भी नहीं कही। मैंने तो केवल उसमें केवल यह कहा है कि मात्र जो स्पीचेज होती हैं, यह अध्यक्ष का अधिकार होता है कि वह किसी भी समय सदन को सम्बोधित कर सकता है और यह राय भी दे सकता है कि सदन का संचालन किस प्रकार से किया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी....

श्री अध्यक्ष—

जब मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं तो आप बीच में न खड़े हों। जब तक समाप्त न करूं, आप बैठे रहा करें।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री नेगी जी आप बैठिये ? मैंने अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं बोल रहा हूं, आप खड़े न हुआ कीजिए ? अभी मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न न उठाइए । आप स्वयं जानते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं, आपको उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए ? मैं यह कह रहा था कि इसमें किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध मैंने व्यवस्था नहीं दी, किसी की भर्त्सना नहीं की, इसलिए प्रश्न मैंने तुरन्त करने के बाद अग्राह्य किया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी कह रहा हूं । अभी अनुमति नहीं दे रहा हूं । फिर आप देखते हैं कि नियम ६६ के अनुसार, उसमें लिखा है, "यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे, किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे ।" तो जब मैंने इसको अग्राह्य कर दिया तो किसी को सुनने का प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

निवेदन यह करना है कि आपने जो निर्णय दिया वह ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मन्त्री जी ने कानपुर के उसी सिलसिले में २९ तारीख को इस माननीय सदन में अपने ही भाषण में यह कहा था कि कानपुर में झगड़ा "सियासत" अखबार की वजह से हो गया, दूसरे उस सम्बन्ध में भी आपने एक व्यवस्था दी । तो दो चीजें एक ही सिलसिले में अलग-अलग हो गयीं । एक "सियासत" के हवाले से यह बतलाया गया और दूसरे एक चीज हुई, जिसके बारे में आपने निर्णय दे दिया, तो एक ही चीज के लिए एक बात होनी चाहिए, दो नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने दो प्रश्नों को एक जगह उलझा दिया । मैंने व्यवस्था केवल आपके विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर दी है । दूसरा प्रश्न, जहां तक माननीय मुख्य मन्त्री जी ने "सियासत" के बारे में कहा, वह मेरे सामने विचाराधीन नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

सदन के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। विधान सभा में इस सदन का कोई नेता है या नहीं ? क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता नहीं हो सकते, वह सम्मानीय सदन के सदस्य नहीं हैं। विधान परिषद् में भी देखते हैं कि जो माननीय सदस्य विधान परिषद् का सदस्य होगा, वही सदन का नेता होगा। मैं तो व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मौजूदा विधान सभा में कोई सदन का नेता है या नहीं, और यदि हैं, तो कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। सदन में परम्पराएं अपना स्थान रखती हैं। यहां पर श्री चन्द्रभानु गुप्त सन् ६० के अन्दर जब वह इसे सदन के सदस्य नहीं थे, नेता निर्वाचित किये गये थे, पार्टी द्वारा। श्री टी० एन० सिंह—वह भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन सदन के नेता थे। इसलिये इस विधान सभा की परम्परा रही है। इसलिए माननीय रामनरेश यादव, जिनके दल ने उनको अपना नेता चुना, वह मुख्य मन्त्री हैं, इसलिए वह सदन के नेता हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, एक सूचना है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के पेज ७९ पर २९९ में लिखा हुआ है कि "अध्यक्ष अव्यवस्था स्थापित रखेंगे"। तो माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें बहुत से ऐसे भी सदस्य हैं जो "अव्यवस्था" स्थापित करते हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

इसमें होना चाहिए कि "व्यवस्था" स्थापित रखेंगे, लेकिन लिखा है "अव्यवस्था स्थापित रखेंगे।"

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

२९ अगस्त, १९७७ को श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २९ अगस्त, १९७७ को श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ९ के सम्बन्ध में श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या यह बात सही है कि परसों भारत सरकार के राज्य वित्त मन्त्री आये थे और मुख्य मन्त्री ने १४ रुपया कुन्टल गन्ने के दाम निर्धारित करने के लिए सिफारिस की है और सभी अखबारों में आ गया है, तो क्या सरकार ने सिफारिश कर दी है या विचाराधीन है ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "यह सही है कि १४ रुपया कुन्टल की राज्य सरकार ने सिफारिश की है, निर्णय नहीं आया है ?"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

"यह सही है कि १४ रुपये प्रति कुन्टल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए तथा १३ रुपया प्रति कुन्टल पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए सिफारिश की गई है। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३१ पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कोई व्यवस्था नहीं। पहले कार्यक्रम के अनुसार चलने दीजिये। कोई प्रश्न नहीं है। संशोधित उत्तर देना था, दे दिया। कल्पनाथ जी, आप तो बहुत अनुभवी सदस्य हैं, नियम के अनुसार मुझे बताइये। उसमें यह कहां है कि जब एक विषय समाप्त होता हो तो सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाना चाहें या अव्यवस्था होती हो नियम संचालन में, जैसे कोई चीत्कार करता हो तथा कोई अशिष्टता करता हो, पुनरावृत्ति करता हो। तो इस तरह की चीजें अभी तो कोई हैं नहीं।

५ अक्तूबर, १९७७ को श्री ऊदल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २—३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को श्री ऊदल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २—३ के सम्बन्ध में श्री श्यामधर मिश्र ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने राजस्व विभाग के अनुदान पर उत्तर देते हुए कहा था कि जहां पर नहरें बन जायेंगी, वहां पर हमने फिर से चकबन्दी कराने का निर्णय ले लिया है। वहां पर फिर से चकबन्दी होगी और आज माननीय सिंचाई मन्त्री जी कह रहे हैं कि निर्णय लेना बाकी है। उन्होंने घोषणा कर दी है जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मेरी जानकारी तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है। अगर कहा है तो ठीक ही कहा है। मैं स्वयं कह चुका हूं कि उस पर कानूनी परामर्श होने के बाद निर्णय हो सकेगा। कानून में किस तरह परिवर्तन किया जाय, इस पर तो निर्णय लेना ही होगा।

३—उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है, "मेरी जानकारी तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है। मैं स्वयं कह चुका हूं कि उस पर कानूनी परामर्श होने के बाद निर्णय हो सकेगा। कानून में किस तरह परिवर्तन किया जाए, इस पर तो निर्णय लेना ही होगा। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३३ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो मुझको प्राप्त हुये हैं, उनमें से एक श्री सुन्दर लाल दीक्षित का है, उत्तर प्रदेश के समस्त पशु चिकित्सा संस्थान तथा जन चिकित्सकों की १० अक्तूबर के हड़ताल के सम्बन्ध में--इस सम्बन्ध में १५ अक्तूबर को नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य देने का निर्देश दिया जा चुका है। इसलिए अस्वीकृत किया जाता है।

दूसरा श्री श्यामधर मिश्र का है--शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश का दिनांक ७-१०-७७ का आदेश जिसके अन्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालय दशहरे की छुट्टियों से ७ दिन पूर्व ही बन्द कर दिए गए हैं तथा छात्रों की पढ़ाई के बारे में। इसी तरह से श्री इन्द्रमणी बडौनी तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी का है। तो यह प्रश्न पहले शून्य प्रहर में कई दफा आ चुका है और इसकी चर्चा हो चुकी है कि गढ़वाल और सारे पहाड़ी प्रदेश के स्कूल बन्द हैं और वहां के शिक्षक हड़ताल पर हैं....

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर।)

श्री सुन्दर लाल जी, मैंने अभी कहा, आपकी बात मैंने मान ली है, १५ अक्तूबर को....

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

एक बात,

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं। १५ अक्तूबर को मैंने नियम ५१ की एक सूचना मान लिया है। आप बैठ जायं। १५ अक्तूबर को माननीय सहकारिता मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं जो यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया हूं, मैं जानता हूं कि उस सम्बन्ध में नियम ५१ में, शून्य प्रहर मे कई बार इस सदन में चर्चा हुई। मैं उस विषय का प्रस्ताव नहीं लाया। मेरा प्रश्न देखा जाय, बिल्कुल साफ है। वह यह है कि जो शिक्षा निदेशक ने ७-१०-७७ को जब शिक्षा की ग्रान्ट हो गई, उसके बाद एक आज्ञा दी है कि जो राजकीय विद्यालय हैं, वह २० दिन के लिए बन्द कर दिए जायं, दशहरे की छुट्टियों के साथ १० दिन की और छुट्टी कर दी जाय तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है। मैं नहीं जानता कि हड़ताल से ताल्लुक है या नहीं, लेकिन लाखों विद्यार्थी वंचित कर दिए जाएंगे विद्याध्ययन से। इसलिए हमने कार्य-स्थगन प्रस्तुत किया है। नियम ५१ में, आप प्रोसीडिंग देखें, शून्य प्रहर में देखें, हड़ताल को लेकर सब चीजें आई हैं। मैं उसको लेकर नहीं आया हूं। मैं यह कह रहा हूं कि शिक्षा निदेशक ने इस प्रान्त के लाखों लड़कों को जो १० दिन की छुट्टी होनी चाहिए, वह २० दिन की कर दी। हो सकता है, उसमें हड़ताल का ताल्लुक हो।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको अस्वीकृत किया है लेकिन मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से अपेक्षा करता हूं, क्योंकि सारे प्रदेश में राजकीय स्कूल बन्द कर दिये गये हैं, वह कल प्रश्नों के बाद इस पर अपना वक्तव्य दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, हमारे वाले में क्या किया आपने ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों को अस्वीकृत किया है, आपका भी उसमें शामिल है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, हमारे वाले का वक्तव्य दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कह चुका हूं कि १५ अक्तूबर को इस विषय पर वक्तव्य दिया जायगा ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ६०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६१--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८५--बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, सिंचाई का हमारे प्रदेश की प्रगति का कितना सीधा सम्बन्ध है. . .।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं । चूंकि २ बजे इस पर मतदान होगा, इसलिए मुझे बड़ा खेद है कि सदस्यों को ५ मिनट से ज्यादा अवसर नहीं मिलेगा । कृपया ५ मिनट में समाप्त कीजिए । जब मैं लाल बत्ती जला दूं, उसके १ मिनट में भाषण समाप्त कर दीजिए । जब मैं लाल बत्ती बुझा दूं, तब आपको बैठना होगा, तब मैं दूसरे सदस्य को बुला लूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस प्रदेश की प्रगति का कितना सीधा सम्बन्ध सिंचाई से है । इस प्रदेश की ७५·४ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है । खेती का प्रमुख उद्योग है । जब तक खेती की प्रगति के सारे साधन सम्पन्न नहीं किये जायेंगे, यह निश्चित है कि इस प्रदेश की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध रहेगा । मान्यवर, यह दुर्भाग्य की ही बात है कि अभी तक हमारे प्रदेश की खेती प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करती है । आये दिन नेचुरल कैलेमिटी का शिकार हुआ करती है, कभी बाढ़ से, कभी सूखा से, कभी-कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है

---

† ८ अक्तूबर, १९७७ की कार्यवाही से ।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

कि एक ही जिले में कुछ हिस्से में बाढ़ और कुछ क्षेत्र में सूखा । मेरा एक निवेदन है, हमारे डा० नेता राम मनोहर लोहिया थे, वह तो स्वप्न देखते थे, सूखा दूर करने के लिए गंगा को, कावेरी और दूसरी नदियों से मिलाया जाय । वह तो केन्द्र स्तर की योजना है । कम से कम हमारी सरकार को एक विशेषज्ञों का आयोग बैठालकर सूखा और जल निकासी का एक साथ समाधान करना चाहिए । ताकि यह जो आये दिन हमारे सामने सूखे और बाढ़ की समस्यायें होती हैं, इसका निराकरण हो सके ।

कुछ इलाके ऐसे हैं खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हिस्से बाढ़ से पीड़ित होते हैं, हमारे जिले में मान्यवर, तमाम नदी और नाले हैं, छोटे-छोटे बरसाती नाले मड़हा, बिसुई, किसआ आदि हैं, कई बार इनका सर्वेक्षण कराया गया सरकारी स्तर पर, लेकिन सारी जो योजनायें स्वीकृत भी होती हैं, दफ्तरशाही का शिकार बनकर रह जाती हैं । प्रदेश में कृषि का जो बहुमूल्य स्थान है उसको मद्देनजर रखते हुए, दफ्तरशाही को इस प्रगति के रास्ते पर नहीं आने दिया जाय और अगर कोई आता है, चूंकि इसका देश की प्रगति से सम्बन्ध है, इसलिए इसमें अवरोध करने वाले को राष्ट्रीय अवरोध करार किया जाय, उनके साथ उसी तरह का सलूक किया जाय, उन्हें उसी तरह का दन्ड दिया जाय । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि योजनाओं का सर्वेक्षण न हो । फैजाबाद में २२ जून, १९७६ को जो वहां पर मंत्रि परिषद् की स्थायी मंडलीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें तमाम प्रस्ताव आये थे, उस पर काफी मेहनत की गई थी, लेकिन आज तक उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ ।

एक दूसरी बात भी होती है । भ्रष्टाचार की बात है, मुझसे पहले इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने कहा है । मान्यवर, यह भ्रष्टाचार केवल विभाग की ही बात नहीं है । भ्रष्टाचार को पूरा-पूरा गैंग मिलकर करता है । चाहे ठेकेदार हों या अधिकारी हों । मान्यवर, इसमें किसी वरिष्ठ नेता का बचाव हासिल होता है । यह सारे लोग मिल कर गड़बड़ करते हैं । इस तरह का भ्रष्टाचार विभाग में है । इसके लिये सरकार को देखना होगा और इसमें सुधार करना होगा तभी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा । मान्यवर, अगर कोई अधिकारी किसी मन्त्री या किसी बड़े नेता का बचाव हासिल कर लेता है वह हर तरह से डरने से उसे (खुश) please करता है, अगर आप सर्वे करायें तो पता चलेगा ।

मान्यवर, इसी तरह से मन्त्रियों को खुश करने के लिये कहीं-कहीं पर गलत तरीके से योजनायें बनाई जातीं हैं । मुझे सूचना मिली है, मुख्य मन्त्री के गांव आंधीपुर के बगल में एक नहर जाती है, लेकिन वहां पर एक ट्यूबवेल बोर हो रहा है । इस तरह से यह नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है । अगर इस तरह से मन्त्रियों को प्लीज करने के लिये कोई अधिकारी नियमों के विरुद्ध योजना बनाते हैं तो मेरा अनुरोध है कि माननीय सिंचाई मन्त्री उस अधिकारी के खिलाफ शख्ती से कार्यवाही करेंगे । ताकि दोबारा इस तरह का काम करने को कोई अधिकारी हिम्मत न करे । इन शब्दों के साथ मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सिंचाई, सूखा और जल निकासी आदि सभी समस्याओं को एक साथ मद्देनजर रखते हुये योजनायें बनाई जायं तभी इस देश की सिंचाई की समस्या का समाधान होगा । इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई की ग्रांट्स का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा माइक पर बोलिये ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

मान्यवर, देश की ७० प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । पिछली सरकार ने सबसे बड़ी गलती यह की है कि कृषि की तरफ तथा कृषि के साधनों को बढ़ाने के लिये जो भी योजनायें आवश्यक थीं, वह नहीं बनाई हैं । बजट का अधिकांश भाग व्यर्थ के कामों में लगाया गया है । ७० प्रतिशत जनता की उपेक्षा करके देश एवं प्रदेश की उन्नति सम्भव नहीं है । जब कि अपने प्रदेश में उद्योगों की कमी है, कृषि की उन्नति और भी आवश्यक हो जाती है । पर मान्यवर, कृषि की उन्नति उस समय तक सम्भव नहीं जब तक किसानों को सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न हों । मान्यवर, अपनी जनता सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि सिंचाई योजनाओं के लिये अधिक से अधिक धन लगाया जाय और क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये योजनायें तैयार की जायें । साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि नलकूप विभाग नहर विभाग से अलग होना चाहिये । वैसे भी अगर देखा जाय तो इन दोनों विभागों में आपस में कोई तालमेल नहीं है । नलकूप विभाग नहर विभाग से कहीं अधिक बिजली विभाग पर आधारित है ।

श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र जिला जालौन की बात जानता हूं और वही समस्या करीब सारे प्रदेश की है । खासतौर बुन्देलखंड की है । एक तो नलकूप हैं ही कम, इस पर उनको नालियां नहीं हैं और अगर नालियां भी हैं तो बिजली नहीं है । पिछली सरकार यह आश्वासन देती रही है कि बिजली की कटौती कृषि क्षेत्र में नहीं होगी पर किसानों को बिजली की कटौती की गई और किसानों के खेत प्यासे के प्यासे ही रहे । उनके साथ एक और अन्याय किया गया कि किसानों को पानी भी नहीं मिला और मिनिमम चार्ज लगाया गया और आबपाशी वसूल की गई । श्रीमन्, किसानों के साथ यह अन्याय बन्द होना चाहिये । किसानों को अगर पानी दिया जाये तभी उससे आबपाशी वसूल की जाये । सरकार यह भी देखे कि जब फसल खेत में खड़ी हो तब चाहे जहां आपको कटौती करनी पड़े, किसान को बिजली मिलनी ही चाहिये ।

मान्यवर, इसी संदर्भ में यह कह दूं कि बुंदेलखंड में सिंचाई के साधन काफी कम है । हमारे यहां जो नहरें आई हैं वह माता टीला, सुकवा, डिकवां तथा परीक्षा बांध से आई हैं जो बेतवा नदी पर है और उसी बांध पर यह नहरें आश्रित हैं । मान्यवर, हमारे यहां की नहरें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाती हैं और न अधिक रकबे की सिंचाई ही कर पाती हैं । इसके लिये आवश्यक है कि राजघाट योजना को शीघ्र लागू कर बांध का नियंत्रण कराया जाये तथा दूसरी तरफ पंचनद बांध को बनाने की योजना जो सरकार के पास

[श्री कृष्ण कुमार पालीवाल]

विचाराधीन है । अगर यह बांध बन जाता है तो जिला जालौन के बुंदेलखंड तथा मध्य उत्तर प्रदेश के पानी की समस्या हल हो जायेगी । यह बांध सरकार के पास विचाराधीन है । अतः शीघ्र इसके बनाने की योजना बनायी जाय जिससे बुंदेलखंड तथा मध्य प्रदेश के जिलों को लाभ मिलेगा । यह एक कल्याणकारी योजना होगी ।

पिछली सरकार ने जिला जालौन तथा झांसी के साथ अन्याय किया वह यह है कि बेतवा नहर को शेड्यूल 'ए' में कर दिया गया है । शेड्यूल 'ए' में वह नहर आती है जो बारहों महीना किसानों को पानी देती रहती है । इन नहरों का निकास उन नदियों से होता जिनसे गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने से नदियों में पानी बना रहता है । इन नदियों से निकली नहरें सुनिश्चित सिंचाई करती हैं । यही नहरें शेड्यूल 'ए' में आती हैं पर बेतवा नहर बेतवा नदी पर बने बांध से निकली है जो धीरे-धीरे बांध से पानी मिलता है । यह बांध बरसात में पानी से भरता है । जब इन नहरों की डिजाइन बनाई गई थी तब गेहूं की फसल को एक पानी दिया जाता था । पर अब स्थिति भिन्न है आज गेहूं ५-६ पानी चाहता है पर यह नहर केवल दो पानी ही दे पाती है जिससे गेहूं पतला पड़ जाता है और किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है । शेड्यूल 'ए' में नहर होने के कारण किसानों को ज्यादा आबपाशी देनी पड़ती है । इसलिये मान्यवर, मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि बेतवा नहर को पुनः शेड्यूल 'बी' में कर दिया जाय । अन्त में मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मन्त्री जी ने अपने भाषण में बुंदेलखंड के सम्बन्ध में एक सहानुभूतिपूर्वक शब्द कहा था जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं । मैं अपनी चर्चा के अन्तर्गत पिछले शासन द्वारा बुंदेलखंड की की गयी उपेक्षा की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । मान्यवर, आज जो यह बजट प्रकाशित हुआ है उसकी जिम्मेदारी शासन पर भी है भले ही उनको प्रकाशन की जानकारी हमारी सरकार की न रही हो । इसमें ऐसे तथ्य प्रकाशित किये गये हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है । मैं उनकी ओर बाद में संकेत करूंगा ।

सर्व प्रथम मैं बुन्देलखंड की जो नहरें हैं उनकी ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । मान्यवर, बुन्देलखंड में जो नहरें हैं उनका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से मिला है । विशेषकर बांदा जिले में जो केन नदी है वह मध्य प्रदेश से आती है । पहले मध्य प्रदेश इस जलाशय से पानी नहीं लेता था । बीच में वह पानी लेने लगा जिससे बांदा जिले की सिंचाई संकट में पड़ गयी है । इसके समझौते के लिये पिछली सरकार ने प्रयत्न किये । किन्तु क्या समझौता हो पाया यह मुझे नहीं पता है । प्रस्तुत बजट में उस केन नहर के पुनरुद्धार की बात कही गयी है जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में है । उससे ऐसा प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश के भाग में आने वाला निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन जो मध्य प्रदेश में आता है वह पूरा नहीं हुआ है । मैं सिंचाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि छोटी-छोटी नदियां, जिनका सम्बन्ध सिंचाई से होता है उसके लिये जब तक मध्य प्रदेश से समझौता नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी समस्या का हल नहीं होगा, जैसा कि बताया गया है कि राजघाट बांध का समझौता हो चुका है, बुन्देलखंड की सिंचाई के लिये व्यापक समझौते की आवश्यकता है। चूंकि छोटी-छोटी नदियां बुन्देलखंड से बहती हैं जिनका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। इसलिये बिना उसके सम्पूर्ण सिंचाई व्यवस्था खटाई में जायेगी। जितनी नहरें हैं, विभाग ने माना है कि उनकी सिंचित क्षमता बहुत कम है और जब यह नहरें बनी थीं इनको शेड्यूल 'बी' में रखा गया था। हमारे साथ कैसा अन्याय है। यह नहरें जिनकी कुछ क्षमता नहीं है इनको शिड्यूल 'ए' में रखा गया है। इसलिए इसको मन्त्री जी विशेष रूप से देखें।

आप यह भी देखें कि विकास की जो गति है वह असामान्य है। कहीं तो विकास के नाम पर पूरा पैसा दिया जाता है और कहीं पर धोखा दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर बुन्देलखंड को धोखा दिया गया है जिसके कारण वहां लोगों में बड़ा विद्रोह है। आज जनता सरकार से सबको अपेक्षाएं हैं और बुन्देलखंड भी आशाभरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है। इस असमानता को मिटाने के लिए आपको कुछ स्पेशल वहां के लिए देना होगा। तभी वहां की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे जिले में जो लिफ्ट स्कीम है उसके सम्बन्ध में प्रार्थना करना चाहता हूं। पिछली सरकार से मैंने एक प्रश्न किया था। जपुरा ब्लाक सींचने के लिए भौंरा से स्कीम बनी। माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने कहा कि वह स्कीम चल रही है। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यह उत्तर भ्रामक है तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया।

श्री अध्यक्ष--

आपको पांच मिनट हो गये। आप समाप्त करें।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

मैं पहली बार बोल रहा हूं। मुझे कुछ अधिक समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप दो मिनट और बोल लीजिये।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

यह जो प्रकाशित ग्रन्थ है उनको भले ही आपने न देखा हो लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो आप पर ही है। क्योंकि इनका प्रकाशन आपके काल में ही हुआ है। वह भौंरा वाली स्कीम खत्म की गयी और सिरौली बुजुर्ग में एक स्कीम बनायी गयी। यह जो पुस्तक है कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक इसके पृ० ४ पर चलित नहरें दिखायी गयी हैं। इसमें लिखा है सिरसौली बुजुर्ग नहर २६·६ लाख की लागत से बनी। लेकिन यह नहर कहीं है कि नहीं, आज तक उस सरकार ने हमारी आंखों में धूल झोंका था और अब आप हमारी आंख फोड़ डालना चाहते

[श्री जगन्नाथ सिंह परमार]

हैं । मान्यवर, इस प्रकार से धोखा दिया गया है । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसमें यह दिखायी गयी है तो इसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए इसको इसी वर्ष पूरा किया जाना चाहिए । अन्यथा आप और हम जनता का विश्वास खो देंगे ।

बांदा में जितनी लिफ्ट स्कीम्स है वह पूरी नहीं हुई । लेकिन इसमें दिखाया गया है कि काम पूरा हो गया । आप हमें नये काम न दीजिये लेकिन जो स्कीम ७० में पूरी हो जानी चाहिए थी वह पड़ी हुई है । उनको पूरा कराइये । बांदा और हमीरपुर के बीच से बहती केन नदी है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे कुछ और समय दे दें स्पेशलतौर पर ।

श्री अध्यक्ष--

आपको तीन मिनट पहले ही अधिक दे दिया । और लोगों को भी बोलना है । मन्त्री जी भी बैठे हैं ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की विषम परिस्थिति है ।

श्री अध्यक्ष--

किसी और दिन बोल लेना ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

मान्यवर, आप जैसा आदेश देंगे, वैसा करेंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र की विषम स्थिति को देखते हुये, मुझे कुछ और समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा एक मिनट और ले लें ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो योजनायें वहां पूरी नहीं हुयी हैं, उनको तुरन्त पूरा किया जाय । एक निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री जी अपने विभाग के बजट की रक्षा करें । इंजीनियरों से इसकी रक्षा नहीं हो सकती । यदि इंजीनियर्स से इस विभाग की बजट की रक्षा हो गई । तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने कार्य को निश्चितरूप से ५ वर्ष के अन्दर पूरा कर सकेंगे और जनता सरकार ने जो वायदे किये हैं, उन वायदों को आप पूरा कर सकेंगे ।

मान्यवर, बांदा जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ काम नहीं हुआ । अतः निवेदन है कि जिन क्षेत्रों को किसी प्रकार से सुविधा नहीं दी गई, उनको आप प्रथम वरीयता दीजिए । ऐसे वरीयता देने वाले स्थानों में बांदा जिले का जखपुरा ब्लाक आता है । उस क्षेत्र के लिये मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मन्त्री जी से सम्पर्क स्थापित करके बात किया था और उन्होंने आश्वासन भी

दिया कि देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी यहां की समस्याओं को अवश्य देखेंगे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बुन्देलखण्ड जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उसके लिए अलग से कोटा निर्धारित करेंगे।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से श्री श्यामधर मिश्र द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं और अपने बजट भाषण में जो उन्होंने कुछ घोषणायें की हैं, उन पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए मन्त्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो घोषणायें उन्होंने की हैं, उनको जरा फिर दुबारा देख लें कि क्या वे इस देश और प्रदेश के किसानों को कुछ मदद देने जा रहे हैं कि नहीं। मुझे आशा थी माननीय मन्त्री जी से, क्योंकि मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं कि वह गांव के रहने वाले हैं, एक किसान परिवार से सम्बन्धित हैं और मुझे आशा थी कि किसानों की जो दैनिक प्राबलम्स हैं, उनका कुछ वे निदान करेंगे, लेकिन उनकी यह घोषणा कि एक रुपये में ६००० गैलन पानी किसान को दिया करेंगे, केवल एक शब्दजाल है और उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उससे तो केवल उलझनें पैदा हो जायेंगी और लाभ कुछ नहीं होगा।

दूसरी घोषणा उन्होंने की कि इरीगेशन डिपार्टमेंट कामर्शियल नहीं होगा। लेकिन इसको कामर्शियल किसने माना? यह तो हमेशा नानकामर्शियल रहा है। एक घोषणा उन्होंने की कि स्टेट ट्यूबवेल के नजदीक २०० गज या २०० मीटर के फासले पर किसी को अपना ट्यूबवेल लगाने की पहले इजाजत नहीं थी। उसमें थोड़ा-थोड़ा सन्तोष हुआ कि किसानों को इस सम्बन्ध में कुछ सुविधा देने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें यह किया गया है कि उनकी प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। लेकिन उसमें अच्छा तो यह होता कि अगर मन्त्री जी यह घोषणा किये होते कि स्टेट ट्यूबवेल के नजदीक जिस स्थान पर किसान अपना ट्यूबवेल लगाना चाहें, उसे कोई प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और वे लगा सकते हैं। माननीय मन्त्री जी ने स्टेट ट्यूबवेल के बारे में जो घोषणा की ६००० गैलन पानी एक रुपये में देंगे। रजबाहों के बारे में उन की जानकारी नहीं है। मैं उनको कुछ जानकारी इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं।

मान्यवर, राजगांव कैनाल जिस समय निकाली गई थी उस वक्त सिद्धान्त यह माना गया था कि केवल पानी देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी कि वह फसलों को बचा सके। आज तक निरन्तर वही उद्देश्य सरकार की चलती आ रही है। अव्वल तो सदैव से ही इस प्रदेश का आर्थिक जीवन कृषि माना कि गया है। कृषि की अधिक उपज के लिए, सघन खेती के लिए फरटिलाइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और उसके लिए एस्योर्ड जब तक सिंचाई आप नहीं देंगे तब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि कृपया अपने विभाग के लिए वह इस प्रकार के कुछ आदेश निकालें जिससे वह पुराना उद्देश्य समाप्त हो और अब से कृषकों को एस्योर्ड एरिगेशन दी जायगी। मान्यवर, मैं राजगांव कैनाल के बारे में मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं

[श्री यशपाल सिंह]

कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं, जितनी क्यूसेक्स की कैपेसिटी है उनके ऊपर कमान्ड एरिया, बहुत पुरानी चली आ रही है। ३ इंच कुलावा देते हैं ५० से ८० एकड़ तक के किसान को, चार इंच कुलावा देते हैं ८० से डेढ़ सौ तक, ६ इंच कुलावा देते हैं, इसके बाद आप देखें क्या इस कुलावे से आज के जमाने में सिंचाई हो सकती है ? कदाचित नहीं। मैं कृषक होने के नाते उनको यह बतलाने के लिए तैयार हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो इरिगेशन का सिस्टम चला आ रहा है उससे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है।

मान्यवर, एक चीज और मैं मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी तक आबपाशी का मतलब यह है कि केवल खेत में पानी पहुंचना चाहिये और आबपाशी सरकार की हुयी मानी जाती है कि हमने पानी दे दिया। क्या केवल खेत के किनारे तक या खेत में पानी जाने तक पर आबपाशी हो गई ? मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि कृपया इस सिद्धान्त को बदलें। जब तक खेत पूरा पानी से भर न जाय उस वक्त तक सिंचाई का कोई औचित्य नहीं होता। इसके अलावा मान्यवर, मैं एक हकीकत से मन्त्री जी को आगाह करना चाहता हूं। राजबहों पर सिंचित कमान्ड एरिया बढ़ता चला जा रहा है, पानी की कैपेसिटी ज्यों की त्यों है। कब तक यह कमान्ड एरिया बढ़ता चला जायगी ? क्या इससे उन काश्तकारों को जो राजबहों से अपनी खेती चला रहे हैं उन को यह सहूलियत मिलने वाली नहीं है ? मान्यवर, इसको आप देखें कि जहां-जहां पर सिंचित कमान्ड एरिया इतनी बढ़ी है वहां पर पानी की कैपेसिटी बढ़ाने का भी तरीका सोचें।

इस सिलसिले में कल ईस्टर्न यमुना कैनाल के बारे में माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि थोड़ा बहुत विचार किया है। उसके पानी की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में कहना चाहता हूं। वहां पर एक ताजेवाला बैराज के पुनरोद्धार के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा लेकिन आप देखें कि उसकी पोजीशन क्या है, सन् ७२ में यह स्वीकृत हुआ दोनों स्टेट के अन्दर। फैसला अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है सेन्ट्रल गवर्नमेंट के यहां। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि कृपया उसके ऊपर तुरन्त कोई फैसला लें और जल्दी से बैराज को बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी यहां खारा नहर है जो ७७-७८ में बनने वाली है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि खारा नहर को आप पानी दे सकेंगे या नहीं ? मेरे ख्याल में पानी मिलने वाला नहीं है। कृपया इसे देख लें।

एक आपने भरमिगोड़ा हेड वर्क्स का पुनरोद्धार इस पुस्तक में दिया है। मेहरबानी करके यह स्कीम आपने दे दी है इस पर कार्यवाही शुरू कर दें। इसके अलावा लखवाट बांध परियोजना आपने स्वीकार की। इसकी प्रगति को देख लीजिये जिससे ईस्टर्न जमुना कैनाल के किसानों को पानी मिल सके तो बहुत अच्छा है। किसाऊ बांध की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे ईस्टर्न जमुना कैनाल को काफी पानी मिल सकेगा। इसमें डिले होगी तो किसान बहुत परेशान होगा। इसके साथ ही ईस्टर्न जमुना कैनाल पर कुछ ट्यूबवेल्स लगाने का प्राविधान हुआ था पिछले साल, उसके ऊपर थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई, उस कार्य को शीघ्रता से पूरा कराया जाय वर्ना मुजफ्फरनगर तथा मेरठ के किसान बहुत परेशान होंगे। ईस्टर्न जमुना कैनाल को उतना पानी उपलब्ध नहीं है जितना उसको होना चाहिये।

इसके साथ में फ्लड रिलीफ की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । जिला सहारनपुर के कुछ कामों की तरफ में ध्यान दिलाना चाहूंगा और इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान बेदी बांध की तरफ दिलाना चाहूंगा । हरियाणा वाले बहुत चालाक तथा होशियार हैं । उनके कार्यकलापों की ओर आपको ध्यान देना चाहिये । इसके लिए शीघ्रता से काम कराने की आवश्यकता है क्योंकि वे बीच स्तर तक पहुंच जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं । इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

*श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)—

सिंचाई मन्त्री जी ने, मान्यवर, जो अनुदान पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और श्यामधर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मुझे सख्त अफसोस हुआ । ३० साल तक शासन जिन लोगों के हाथ में रहा है उनमें बहुमत ऐसे लोगों का रहा है जिनका कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । आज भी जो पदाधिकारी इसके हैं बहुमत उनका ही है जिसका खेती से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । सिंचाई खेती का प्रमुख अंग माना जाता है, सिंचाई से ही पैदावार बढ़ती है । कहावत है पैदावार बढ़ाने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है खाद, जोत और पानी । इसमें से पानी बहुत प्रमुख है । पानी के सवाल को पिछली सरकार तीस साल के अन्दर कहां तक हल कर सकी है और अधिकारियों ने उसमें कितना सहयोग किया है यह बात किसी से छिपी नहीं है । सही बात यह है जैसा अकबर इलाहाबादी ने अपने शेर में कहा है ।

"खुदा जाने मेरी बरबादियों में हाथ किसका है
मगर सब देखने वाले तुम्हारा नाम लेते हैं ।"

तो यह सब इनका काम है । तीस साल तक पानी की उपेक्षा ये करते रहे । सिंचाई मन्त्री जी ने इस बार जिस फराखदिली से, उदारता तथा निर्भीकता से और सत्यता के साथ बजट रखा है और अपना भाषण रखा सदन के सम्मुख, मैं समझता हूं कि अभी तक मन्त्रि परिषद् में कोई दूसरा आदमी उस तरह से रख नहीं सका । वैसे उनकी भी मजबूरियां हैं । जनता पार्टी से भी मुझे शिकायत है । जो आशायें हम उससे करते थे कि एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा वह नहीं हुआ । जितना बजट सिंचाई पर जनता पार्टी की सरकार को रखना चाहिये था उतना उसने सिंचाई पर नहीं रखा । इस पर भी मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है :

साहिल के तमाशाई हैं डूबने वाले,
अफसोस तो करते हैं मगर इकरार नहीं करते ।

जितना हम कहते थे उतना हमने किया नहीं । सही बात यह है कि जो समस्यायें आज हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं । श्रीमन्, सही बात यह है कि नहर विभाग में हमारे यहां कई समस्यायें हैं । आपके यहां ट्यूबवेल की आवश्यकता है और कहीं पर नालियां निकालने की आवश्यकता है । बुन्देलखंड में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू सिंह]

मान्यवर, लोवर गंगा कैनाल जो है उसमें २० मील तक गरकी पड़ गई है और ४०–५० गांव उससे परेशान हो गये हैं और वह गांव डूबते चले जा रहे हैं। १९६३ में इस विभाग में जब श्री ओ० पी० गुप्ता चीफ इंजीनियर थे उस वक्त नैनीताल में एक मीटिंग हुई थी उसमें यह बात आई थी और हमारे यहां जल्दी से जल्दी गरकी निकालने की जरूरत है जिन नहरों में १२ फुट तक पानी जाता है उसमें ९ या १० फुट तक ही पानी जा पाता है। आज तक वहां नालों से उस गरकी की निकासी का प्रबन्ध नहीं हुआ है।

दूसरा मान्यवर, आपके यहां पी० आई० जी० सी० से सिंचाई का काम हो रहा है। इसमें किसानों की जमीन ले ली गई लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान आज भटक रहे हैं। उनसे कहते हैं कि आगरा में मुआवजा मिलेगा। तो साकड़ी का आदमी आगरा दफ्तर में चक्कर काटता है उसे दफ्तर नहीं मिलता वह बेचारा वैसे ही लौट आता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जब आप जमीन लेते हैं तो २ महीनेमें मुआवजा मिल जाना चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट में समाप्त करने की कृपा करें।

श्री बाबू सिंह—

मेरा अनुरोध है कि जब आप जमीन लेते हैं तो आपके अधिकारी जो हैं उनसे कह दें कि गरीब किसानों को मुआवजा समय पर मिल जाये और उसे उसी मुकाम पर ही वह मिल जाय। साकड़ी का आदमी आगरा में लेने के लिए कैसे आयेगा। उसे मुआवजा नहीं मिल पाता है।

श्रीमन्, हमारे यहां कई तालाब ऐसे हैं जिनमें अलग–अलग नाले डाल दिये गये हैं। चितपुरा में एक तालाब है। हमारे यहां उप–सिंचाई मन्त्री गये थे। उन्होंने उसे देखा है उस तालाब को समुद्र बना दिया गया है। ८, १० नाले उसमें डाल दिये गये हैं किन्तु उसकी नालियां जो हैं वह नहीं निकाली गई हैं। गर्की पड़ जाने से वहां पर जमीन जो है वह बेकार होती जा रही है। नीम नदी में अगर गर्की निकाल दी जाय तो हजारों एकड़ जमीन जो खराब हो रही है बच सकती है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है इस में एक सवाल आया था कि फलां–फलां ट्यूबवेल इंजीनियर मिस्टर दीक्षित बड़े भ्रष्ट हैं। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि उनको तरक्की देकर सुपरिस्टेंडिंग इंजीनियर बना कर मुरादाबाद भेज दिया। श्रीमन्, कम से कम जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी आप जांच करायें और उनके प्रमोशन पर बन्दिश लगायें।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, जहां तक छोटे कर्मचारियों का सवाल है जैसे पतरोल है या जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री बाबू सिंह––

जहां तक गरीबों का प्रश्न है पतरोल और ट्यूब वेल आपरेटर तथा मेट उनकी शक्ल को देखकर आपको पता चल जायेगा कि वे कितने गरीब हैं और आपके विभाग के कर्मचारी हैं। उनका बहुत कम स्केल है उनके समान्तर जो दूसरे विभाग के पटवारी, हेड कानिस्टेबल या बी० एल० डब्लू० हैं उनकी तनख्वाह चौगुनी हो गई लेकिन आपके महकमे में वह बेचारे बहुत कम तनख्वाह पाते हैं। लिहाजा इनकी तनख्वाह बढ़ाइयें।

श्रीमन्, एक सवाल और है आपके यहां पर अवर अभियन्ता जो हैं। आपने १९६७ में करीब २१७ आदमियों को तरक्की दी लेकिन आज भी बहुत से आदमी हैं जिनको १२ साल और १४ साल हो गये हैं वह अस्थायी पड़े हुए हैं यह जो अवर अभियन्ता हैं यह कितने सालों से अस्थायी हैं इनको स्थायी हो जाना चाहिये। इसमें जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी तलवार उनके ऊपर लटकी रहती है, जब तक वे स्थायी नहीं होते। जब तक वे स्थायी नहीं होते उनको अपना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो पुराने और अनुभवी लोग हैं और जिनकी लम्बी सेवायें की हैं और उनमें जो स्थायी होने योग्य हैं, उन्हें तत्काल स्थायी किया जाए।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपके १० मिनट हो गए हैं, आप बैठें।

श्री बाबू सिंह––

आज अपने यहां बहुत बेकारी है, आपको लोगों को काम देना है। लोग डेली वेजेज पर लगाए जा रहे हैं। मजदूरों और दूसरे लोगों की गांव में भरमार है। मेरा अनुभव है कि डेली वेजेज पर जो लगाए जाते हैं, वह बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि इसमें गांवों के लोगों को काम मिल सके, तो अच्छा होगा, इसमें भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लोग डेली वेजेज पर बड़े–बड़ काम करेंगे। उन्हें बताया जाता है कि तुम इतना काम करोगे तो तुम्हें इतना रुपया या ५ रुपया मिलेगा, इससे वह बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जो गांव में बेरोजगारी है, उसको आप अपने यहां काम दे दीजिये, तो बहुत अच्छा है। इन तमाम बातों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के बजट की ताईद करता हूं।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)––

मान्यवर, प्रदेश में सिंचाई साधनों की कमी है, यह सत्य है, किन्तु ३० वर्षों के शासन काल में जिन राजकीय संस्थानों का विकास किया गया वह कुछ सीमित क्षेत्र में किया गया और कुछ क्षेत्र को बिलकुल उपेक्षित छोड़ दिया गया है। श्रीमन्, पूर्वी उत्तर प्रदेश सिंचाई के मामले में बहुत पीछे है और उसमें भी गोंडा जिला एक ऐसा जिला है जिसका मुख्य पेशा खेती है, दूसरा कोई

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दशरथ सिंह]

धंधा नहीं है। खेती में बीज, खाद और पानी तीन चीजों की आवश्यकता होती है और उसमें भी पानी परमावश्यक है। जिसके लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है। गोंडा जिले की सिंचाई क्षमता केवल ९ प्रतिशत है। वहां पर कई विकास खंड ऐसे हैं, जहां पर एक प्रतिशत की ही सिंचाई क्षमता है।

हमारा एक ब्लाक बभनजोत ऐसा ही क्षेत्र है, जहां पर केवल १ प्वाइन्ट कुछ की ही सिंचाई क्षमता है। बभनजोत में सरकारी साधनों से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह कांग्रेस शासन काल में हुआ किन्तु आज हम जनता पार्टी के माध्यम से सामान्य विकास कर रहे हैं, वहां भी हम देख रहे हैं जहां थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, किन्तु जितना बढ़ना चहिये था उतना नहीं बढ़े हैं। वह जिला अब तक एकदम पिछड़ा जिला रहा है और जहां खाली नलकूप की व्यवस्था है। वहां हमारे यहां बामतटीय घाघरा नहर है, उसके लिए बहुत दिनों से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हमारे मन्त्री जी ने बताया है उस पर सन् ७७-७८ में काम लग जाएगा और नलकूप के लिए कहा गया है कि यथासमय, यथासम्भव नलकूप लगाए जायेंगे। उनकी बातें ऐसी हैं, जिनसे फिलहाल हम लोगों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हो सकता है। वह नहर ८१-८२ तक कहीं पूरी होगी और नलकूप की व्यवस्था वैसी ही की गई है, जैसे जब इच्छा हो कोई टुकड़ा फेंक दो और इच्छा न आए तो न फेंको। उसके लिए कोई निश्चित आंकड़े नहीं बताये गये हैं।

दूसरी ओर सूखा है, वह सूखाग्रस्त इलाका है, वहां पर सूखे से ऐसी तबाही है कि एक इंच जमीन बोई नहीं जायेगी। जिसके पास निजी नलकूप न हो वह व्यक्ति और वहां निजी नलकूप न के बराबर हैं, तो वह सिंचाई नहीं कर सकता। हमारे विकास खंड बभनजोत में जहां पर एक भी सरकारी नलकूप नहीं है, सूखे की स्थिति में एक बीघा भी बोया नहीं जायगा। पूरा अकाल पड़ जायगा। मैंने माननीय उप मंत्री जी से कहा था कि गोंडा जिले के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर दीजिए। माननीय उपमंत्री जी ने वही बात दोहराई जो कि लोकपति जी त्रिपाठी ने सिंचाई कमेटी की मीटिंग में, जिसमें माननीय उपमंत्री जी भी मौजूद थे, कही थी। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां नलकूप की व्यवस्था कीजिए तो उन्होंने कहा कि घबड़ाते क्यों हो जब तक धान का समय आयेगा तब तक नहर पहुंचा देंगे। वह चले गये और दूसरी विधान सभा आ गई और नहर नहीं गई। वही उप मंत्री जी ने गैरजिम्मेदारी से कह दिया कि हम नहर पहुंचा देंगे। नहर आयेगी १९८०-८१ में। तब तक हम भूख से मर जायेंगे। मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि वहां के लिए विशेष व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई पर चल रही इस बहस को सुना और सिंचाई मंत्री महोदय के वक्तव्य को भी। मैं सोचता हूं कि पहली बार किसानों की समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनकर आया हूं शासन ने उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं सिंचाई के लिए जुटाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दो चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां से जितना धन पहाड़ के लिए भेजा जाता है, वह उन अधिकारियों के हाथ में सौंपा जाता है, जिनको दंडस्वरूप अपराध या गोलमाल के कारण पहाड़ में भेजा जाता है। सिंचाई मंत्री महोदय, आप पहाड़ में किसी भी ऐसे अधिकारी को नहीं भेजेंगे जो इस तरह से दंडित हुआ न हो। दूसरी समस्या वहां पर यह है कि सिंचाई का बजट वहां इतनी देर में पहुंचता है, फरवरी के आखीर में या मार्च के प्रथम सप्ताह में जनपद चमोली में पहुंचता है। एक महीने में पूरा करना होता है। यह सम्भव नहीं होता। नतीजा क्या होता है कि योजना ठीक ढंग से कार्य करती नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहाड़ों के लिए बजट की जितनी धनराशि हो वहां तुरन्त भेज दें ताकि उसका ठीक से उपयोग हो सके।

महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है, ४८५ लिटर पानी एक किलो धान को पैदा करने में खर्च होता है जबकि जापान में केवल ८५ लिटर पानी द्वारा एक किलो धान पैदा किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जापान से हमारे यहां छः गुना पानी एक किलो धान पैदा करने के लिए खर्च होता है। उसका कारण यह है कि हमारी जो नहरें बनती हैं वह बड़ी दोषपूर्ण होती हैं। जितना पानी पहुंचाना होता है उतना नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बात को देखा जाये कि कम से कम पानी से अधिक से अधिक खेतों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर लिफ्ट योजनायें अधिक सफल होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहाड़ों को सिंचाई के लिए जो रुपया खर्च किया जाये उसका दुरुपयोग न हो। आपने लिखा है कि पहाड़ों के लिए बिना हानि का विचार किए हुए, पानी देंगे। एक नाली के लिए २० रुपया देते हैं और एक एकड़ भूमि सींचने के लिए १००० रुपया देते हैं। तो यह नाली अवरोध पैदा करती हैं। आप अपने वचन का ध्यान रखते हुए जितना खर्च होता है उतना दें।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। माननीय सिंचाई मंत्री का वक्तव्य हो रहा था, उन्होंने टिहरी डैम का जिक्र किया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एशिया का सबसे ऊंचा डैम होगा और दुनिया में दूसरा होगा। इतनी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन बदकिस्मती क्या है। दसों साल से इस डैम का जिक्र हो रहा है और उसके नाम पर यहां का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

लगातार आश्वासन दिए गए कि जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान दिए जायेंगे। आप अन्दाजा लगायें कि २२ गांव टोटली जलमग्न हो जायेंगे और करीब ८० गांव आंशिक रूप से जलमग्न होंगे। घाटियों के अन्दर जो सिंचित भूमि है वह जलमग्न हो जायेगी, केवल थोड़ी पहाड़ों पर भूमि रह जावेगी। मान्यवर, इस योजना से २५,००० परिवार विस्थापित होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक उन के पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बीच में कुछ बनी थी कि उनको विस्थापित किया जायेगा। वन विभाग ने कुछ जमीन साफ करवायी थी उसी में उनको पुनर्वासित करने की योजना थी लेकिन अब वन विभाग रोड़े अटका रहा है। वहां की भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और अधिकारी भूमि लेने की कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरी जगह पर बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मुख्य मंत्री से मैंने कहा था, उन्होंने वायरलेस भेजे कि उनको बेदखल न किया जाय। १४ तारीख को नोटिस भेज दिया और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपने जो साइट दिया है वह कोई और जगह बताया है और जो एलान किया गया है वह और कोई जगह बताई गई है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह सबसे पहले यह निश्चित करें कि टेहरी नगर कहां बसाया जायेगा। फिर आप उसके लिए निर्माण कार्य करें और उसके पश्चात् मेरा निवेदन यह है कि शासन उनको विस्थापित करने के सम्बन्ध में पुनः विचार करें। बहुत पैनिक फैला हुआ है, वहां के लोगों में। जब तक वहां के लोगों को बसाने की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वहां के किसी भी व्यक्ति की जमीन नहीं ली जायगी। यह वहां के लोगों की मांग है।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपको भी तजुर्बा है और मेरा भी तजुर्बा है। आप कहते हैं कि ५ साल के अंदर जलमग्न हो जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उसे जलमग्न हो जाने में कम से कम १०-१५ साल लगेंगे। तो वहां पर जो विकास कार्य हुए हैं, वे सब रुक जायेंगे। टेहरी के अंदर बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, वे डूब जायेंगी लेकिन तब तक कम से कम हमारी पीढ़ी को वहां, जो विकास कार्य हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उनसे महरूम न कीजिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे टेहरी गढ़वाल के लोगों से और हमसे यह टेहरी-गढ़वाल की धरती बिछड़ रही है। अपनी धरती छोड़ने के बाद और विस्थापित होने के बाद आज टेहरी गढ़वाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को प्रकाश देने जा रहा है, इस पर हमें गर्व है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां हम इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं, इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं, तो इस प्रदेश की सरकार की नतिक जिम्मेदारी हो जाती है, कानूनी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन लोगों के लिए जो अपना घर-बार छोड़ रहे हैं, उनको कहीं और विस्थापित कर पुनः बसाने की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं और मुझे यकीन भी है कि जब हमारे सिंचाई मंत्री जी विरोध पक्ष में थे तो नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने शासन के समक्ष कुछ प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने मेरी मांगों का जोरदार समर्थन किया था। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जब वे उत्तर दें तो उन सवालों का भी ध्यान रखते हुए जवाब दें ताकि मैं अपने क्षेत्र के उन हजारों लोगों को वहां जाकर यह बता सकूं कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है ?

श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह बात सही है कि बगैर सिंचाई के देश में अन्न की पैदावार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं अपनी तरफ से बार–बार यह निवेदन कर दूं, माननीय सदस्यों की एक ऐसी बेंच बना दी जाये जो पूरे प्रदेश के पिछड़े हुए इलाकों का सर्वेक्षण करे और देखे कि कौन–कौन से इलाके किस–किस क्षेत्र में पिछड़े हैं।

मान्यवर, बलिया जिला एक अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसकी पूर्णतया उपेक्षा की जाती रही है। वहां रतनपुरा, पुरबिया रसड़ा ब्लाक हैं। इन क्षेत्रों में जहां तक सिंचाई का प्रश्न है आप देखेंगे कि दोहरी घाट कैनाल सिंचाई योजना जो चलाई गई वह आजमगढ़ तक ही पहुंच पाती है, लेकिन जैसे बलिया के कई गांवों में पिछले ८–१० वर्षों से सिंचाई की समस्या बराबर बनी हुई है। उसका कारण यह है कि जब पानी भर आता है तो नाली न होने के कारण वह इलाका डूब जाता है यह उस समय होता है, जब पानी की कोई जरूरत नहीं होती है। पूरे का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और जब पानी की जरूरत होती है तो नाली न होने के कारण पानी नहीं मिल पाता। आप देखेंगे कि दौलतपुर मौजा जो बलिया इलाके में है, को बन्द कर रोक दिया गया है। जब पानी की आजमगढ़ जिले को जरूरत नहीं होती है, तो उसे छोड़ दिया जाता है और यहां पानी जमा हो जाता है जिसकी निकासी न होने के कारण पूरा पश्चिमांचल का इलाका बर्बाद हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि वहां पर दो–तीन गांव हैं जैसे बेरूकी, जमदरा, चकरा दौलतपुर आदि। इन गांवों में सिंचाई की वसूली की जाती है। लेकिन पानी मिलता नहीं।

वह नाली कागज में १० वर्षों से प्रस्तावित है वह बनाई गई दिखाई गई है, परन्तु अभी तक नहीं बनी। इसको महुवार से चकरा, नाकाहेड़ी, ढिलसाबपुर, खरारगाड़ी, बकुची से आरदौना तक बनवा दी जाय।

जहां तक शारदा नहर परियोजना के शाखा को बनाने का प्रश्न है, उसका आपने सर्वे कराया है। जो ग्राम मेऊंडी के बीच में होकर ले जाना दिखाई गई है। इसको मानिकपुर व मुहुंवा गांव से मेऊंडी गांव के पूर्वी हिस्से से बसनही ताल के किनारे से ले जाया जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह गांव बरबाद हो जायगा। इसकी मडसुडी गांव से रतनपुरा व खरका गांव ले जाया जाय।

मान्यवर, जहां तक दोहरीघाट की जो शाखा बिलौशा जा रही है, इसको नसीराबाद से बढ़ाते हुए बंजलपुर तक पहुंचाया जाय। बिलौशा के पास इस नहर की भूमि नीची होने के कारण प्रतिवर्ष टूट जाती है व पूरा गांव एवं रबी की फसल डूबकर बरबाद हो जाती है। इसको तुरन्त ऊंचा एवं पक्का बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

[श्री अधिष्ठाता]

जहां तक शारदा सहायक परियोजना की शाखा जो खरगांव से पंचकार पारीसिया होकर चांदपुर डुमरिया तक जाने का प्रस्ताव रखा गया है, इसको शीघ्र बनाया जाय। इसी से शाखा निकलकर सुलई सुल्तानपुर से जाम-बसनही, बिसवार, कटया-मिलाई से टीकादेवरी नगपुरा एवं कोटवारी तक पहुंचाया जाय ताकि इस गन्ना विकास वाले क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके एवं चीनी मिल रसड़ा को गन्ना उपलब्ध हो सके।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण का प्रश्न है अरदौना का पानी एक ड्रेन द्वारा इटौराताल में गिराना नितांत आवश्यक है। इसका निरीक्षण मेरे साथ अधिशासी अभियंता (बाढ़), बलिया ने करके स्वयं देखा है और अगर यह हो जायेगा, तो लाखों रुपये की फसल प्रतिवर्ष बाढ़ से बचेगी और सैकड़ों गांव पानी से डूबने से बचेंगे।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा अनुदान संख्या ६०, ६१, ८४ तथा ८५ जो प्रस्तुत की है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और जो विरोध पक्ष से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, सिंचाई का जो विभाग है, वह हर विभागों से अपना प्रथम स्थान रखता है और इसका सीधा सम्बन्ध कृषि से है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन हमारा भारतवर्ष स्वतन्त्र होने के बाद ३० साल से कांग्रेसी सरकार ने कृषि का बहुत उपेक्षा की। कृषि में इतनी लापरवाही इस सरकार ने किया कि कृषि का उत्पादन कम हो गया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे प्रदेश और देश में बाहर, मक्का, क्या-क्या चीजें खानी पड़ी थी और लगान लगानी पड़ती थी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जितना रुपया खर्च हुआ, उसका १०० प्रतिशत में से ७५ प्रतिशत मंत्रियों और अधिकारियों की जेब में गया। यह मशीनरी बड़ी खराब हो चुकी है। मान्यवर, सिंचाई विभाग में ही नहीं, तमाम प्रदेश के ऐसे-ऐसे विभाग हैं जो इस कांग्रेसी शासन में भ्रष्ट हो चुके हैं जिन्हें जनता पार्टी को साफ करना है। उसका आपरेशन करना है। जनता पार्टी की जो नीति है कि कृषि को प्राथमिकता देंगे और पिछड़े हुए क्षेत्रों को आगे बढ़ायेंगे, लोगों को आगे बढ़ायेंगे, मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को समझ लें कि अगर इस नीति पर चलना है तो वरिष्ठ अधिकारियों को यह चेतावनी देनी होगी कि घूस लेना बन्द करें। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी, हमारे मुख्य मंत्री जी, बड़े ईमानदार हैं और अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करते पाये जायेंगे तो पहले उनको बरखास्त कर दिया जायेगा।

श्रीमन्, मैं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के जमाने में बने जितने ट्यूबवेल हैं, या तो उनमें पानी नहीं है और या वे बिगड़ी हुई हालत में पड़े हैं। जनता सरकार ने अब इन ट्यूबवेलों को ठीक करने और नालियों को ठीक करने का काम अपने हाथ में लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जब नहरों में पानी नहीं आता था और सूखा पड़ता था तो कहा जाता था कि दैवी प्रकोप है और या जब अतिवृष्टि हो जाती थी तो कहा जाता था कि यह भी दैवी प्रकोप है। पहले शासन काल में न सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था थी और न बाढ़ से जो नुकसान हुआ करता था उसको रोकने का ही कोई प्रबन्ध था। जनता सरकार के माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, इसके द्वारा वे उस सारे कूड़े–करकट को, जो कांग्रेस के जमाने में इकट्ठा हुआ था, ५ साल के अन्दर साफ करने का प्रयत्न करेंगे। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक तो ट्यूबवेल्स हैं, दूसरे पम्प कैनाल हैं और तीसरे शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहरें हैं लेकिन फिर भी सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। कई बार मैंने वर्तमान मंत्री जी को और पुरानी सरकार को लिख कर दिया है लेकिन आज तक भी कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया है।

मान्यवर, मोहम्मदपुर में जो पम्प कनाल है टोंस नदी पर, वह बिलकुल ही बेकार है। टोंस नदी का पानी सूख जाता है जिससे नहर में पानी ही नहीं आ पाता है। मेरा सुझाव है कि इस पम्प नहर को बिलकुल ही निरस्त करना चाहिए। शारदा सहायक परियोजना में जो नहर बनी है वह हमारे क्षेत्र में से होकर जाती है। छोटे–छोटे जो किसान हैं उनकी जमीन उसमें ले ली गई है जबकि जो बड़े–बड़े किसान हैं उन्होंने अपनी जमीनें बचा ली हैं। हमारे क्षेत्र में चकबन्दी भी हो गई है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जहां पर चकबन्दी हो गई है, आप वहां पर चकबन्दी दुबारा कराने की व्यवस्था करें। वहां के किसान तैयार हैं कि जितनी भूमि आपको चाहिए वह आपको दे दी जाय इससे आपको मुआविजा भी कम देना पड़ेगा और वे अपने–अपने हिस्से में से आपको जमीन भी दे देंगे।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा)––

मान्यवर, आज सदन में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जो बजट प्रस्तुत है उसका पूरे सदन ने स्वागत किया है। इतना ही नहीं विरोध पक्ष के लोगों से, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, भी यह कहते सुना है कि परम्परा के अनुसार हमें इस पर विरोध के लिए विरोध करना पड़ रहा है नहीं तो इस बजट में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हमें कटौती का प्रस्ताव पेश करना पड़े। हम चाहते थे कि इसमें हमें और भी पैसा मिले। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो जो घोषणायें की हैं, उनसे विभाग में जो कमियां थीं, उनको समस्त रूप से दूर करने का प्रयास किया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य है। जहां तक पूरे प्रदेश के लिए माननीय मंत्री जी ने कई योजनायें पेश की हैं, उनको सुनकर बड़ा ही संतोष हुआ, लेकिन एक बात से बड़ी निराशा हुई।

मान्यवर, मथुरा और आगरा जिले को ओखला बांध सिंचित करता है। यह जमुना पर एक बांध बना है जिस पर पुराने जमाने से अंग्रेजों ने इस बांध को बनाया था,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह परिहार]

अब उस बांध में इतनी क्षमता नहीं रही है कि वह जितना क्षेत्र बढ़ गया है उसको पानी सप्लाई कर सके। क्षेत्र बढ़ता चला गया लेकिन सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ी। आज कई नहरें निकाली गयीं कांग्रेस सरकार ने ढोल पीटा कि हम कई नहरें निकाल रहे हैं और उन्होंने आगरा नहर से माइनर निकाल दी और किसानों को बतलाया कि वह बड़ा प्रबन्ध कर रहे हैं, लेकिन पानी जो कि ओखला बांध से आता था वह उतना ही रहा और क्षेत्रफल बढ़ता चला गया, दूना हो गया। उस क्षेत्र के किसानों के लिए जो कि आगरा और मथुरा के हैं पानी के अभाव में अकाल पड़ गया। आगरा नहर की दोनों शाखाओं में हालत यह हो गयी है कि पानी पलेवा तक के लिए नहीं मिलता और १९७६ में हजारों एकड़ जमीन बिना सिंचाई के बिना पलेवा के रह गयी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपातकालीन परिस्थिति में कोई बोल सकता नहीं था इसलिए अधिकारियों ने मनमानी की। अगर पैसा नहीं मिला तो पानी ऊपर से ही ऊपर ले गये। अब तो पानी के बटवारे के लिए चन्दा इकट्ठा होने लगा। १९७६ में किसानों ने दसियों हजार रुपया इंजीनियर्स को दिये और जहां पैसे दे दिये वहीं पानी लाया गया। तो इस घपले को भ्रष्टाचार को रोकना होगा...

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक मिनट है।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

श्रीमन्, दो मिनट।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में खत्म करिये।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मेरा निवेदन यह है कि सबसे बड़ा काम आप यह कर दें कि ओखला बांध का पुनर्नवीनीकरण करें। उसकी योजना जो हरियाणा सरकार और हमारी सरकार दोनों से मिलकर बननी है उसके संबंध में एक बात रखी गयी लेकिन मुझे निराशा हुई कि हरियाणा सरकार ने आपकी बात को नहीं माना। तो आगरा और मथुरा दोनों के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि वहां किसानों के लिए नहर के पानी का प्रबन्ध करावें और जो बहुत पुराना बांध है उसका पुनर्नवीनीकरण करें और जो उस संबंध में योजना विचाराधीन है उसको कार्यान्वित करें। रामगंगा परियोजना से साढ़े ६२ क्यूसेक मिलने का १९५२ से वादा किया गया था, लेकिन इस नहर को पानी नहीं मिला और आगरा मथुरा दोनों जिले असिंचित रह गये। साढ़े चार क्यूसेक रहा। वह फिर पीने के लिए दे दिया। मेरा निवेदन है...

श्री अधिष्ठाता—

हुक्म सिंह जी, बैठिये।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

इस कारण और यही प्रबन्ध हो जाय और उसका पुनर्नवीनीकरण हो जाय तो बहुत बड़ा काम होगा।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ तक पहुंचते हैं क्या उन्हीं को बोलने के लिए अवसर दिया जाता है ?

श्री अधिष्ठाता--

आपकी धारणा बिलकुल गलत है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा दी हुई लिस्ट है और जो माननीय सदस्य ताक रहे हैं मैं उसी को ध्यान में रख कर अवसर देता हूं और मैं हमेशा नियमों का परिपालन हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस कुर्सी पर बैठता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो गरीब जनता उत्तर प्रदेश के गांवों में निवास करती है उसकी प्रमुख समस्या खेती के लिए प्रमुख साधन सिंचाई है। आज ३० साल के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में जो राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति का निर्माण जो किसान करता है उसके लिए सिंचाई का साधन नहीं है।

यह वर्तमान सत्ता के लिये एक चुनौती की बात है कि जिन लोगों ने अपना अमूल्य वोट दे कर आपको अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार बनाने का दायित्व दिया उनकी समस्यायें ज्यों की त्यों हैं। आज आम जनता और बुद्धिजीवियों में एक हंगामा सा मचा हुआ है। सिंचाई विभाग के मंत्री से लेकर उच्चस्तर के अधिकारियों तक के विरुद्ध विजिलेन्स की इन्क्वायरी है। भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में केवल एक जाति और बिरादरी के लोगो को ही विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया है।

मैं जनपद बाराबंकी की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां शारदा सहायक योजना हैदरगढ़ और दरियाबाद के लिये बनायी गयी। लेकिन योजनायें बनाना ही काफी नहीं है। उनको लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। मुख्य अभियन्ता के आदेश से वहां के किसानों की फसलें खुदवा डाली गयीं, उनके खेत ले लिये गये लेकिन आज तक उनको मुआविजा नहीं दिया गया। परियोजन में जो भवन बने हैं उनमें उचित मात्रा में सीमेंट नहीं मिलायी गयी है। ईटों के दाम मुख्य अभियन्ता के आदेश पर प्रथम श्रेणी को दिखा कर छलपूर्वक करोड़ों रुपये का फर्जी पेमेंट किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका सिर्फ १ मिनट रह गया है।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित--

अंगूठे लगा लिये गये, मजदूरों को पता नहीं और पेमेंट करा दिया गया मुख्य अभियन्ता कार्यालय के एक इंजीनियर जिन्हें गोयल कहते हैं उन्होंने सिंचाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित—]

विभाग की जीप को चोरी से गायब करवा दिया लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जनता इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी । हमारे सिंचाई मंत्री जी वयो वृद्ध हैं जिनको सूबे की जनता अच्छी तरह जानती है । वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं । लेकिन हमारे पूर्वांचल के एक नौजवान उनके सहयोगी हैं । उन्होंने लाखों रुपये पक्षपात पूर्ण ट्रांसफरों के करने में कमाये हैं । उपमंत्री जी और मुख्य अभियन्ता ने मिल कर ट्रांसफरों में गोलमाल किया है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें सी० बी० आई० की जांच करवायें ।

श्री अधिष्ठाता—

सुन्दरलाल जी, आपका यह तरीका बहुत गलत है । आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठिये । आपको ५ मिनट की जगह ८ मिनट हो गये । (व्यवधान (श्री सुन्दर लाल दीक्षित के व्यवधान के मध्य बोलते रहने पर ।) आप अपनी आदत को छोड़िये । आप बैठिये ।

(श्री राम नरायन वर्मा का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री सुन्दरलाल दीक्षित के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता:—

माननीय दीक्षित जी, अब आप समाप्त करिये ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

भूतपूर्व मंत्री पंडित लोक पति त्रिपाठी व जगन्नाथ चौधरी जो थे, उनकी जो लोग चापलूसी करते थे, उन्हीं का वह काम करते थे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

दीक्षित जी, आप बैठिये ।

*श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है. . .

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप रुकिये ।

माननीय दीक्षित जी, आपने ५ मिनट की जगह ९ मिनट लिया । अब मैं माननीय सदस्यों से भविष्य के लिए कहूंगा कि इस तरह की कुचेष्टा न करें ।

श्री रामनरायन वर्मा—

उसका मैं समर्थन करता हूं । यद्यपि सिंचाई विभाग काश्तकारों के हित के लिए है, लेकिन फिर भी कुछ उसके अनैतिक कार्य हो जाते हैं, जो काश्तकारों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विरुद्ध होते हैं जैसे कुछ योजनाएं बनीं, उनकी जमीन नहर विभाग के कर्मचारियों द्वारा खोद डाली गयीं, लेकिन उनको मुआविजा नहीं दिया गया। उदाहरण के तौर पर सरनू पम्प नहर बहराइच में काश्तकारों की जमीन तो ले ली गयी, लेकिन आज तक उनको मुआविजा नहीं दिया गया। वहां के कुछ ठेकेदारों द्वारा २५ प्रतिशत हिस्सा न देने के कारण, वहां के कर्मचारियों ने उनका भुगतान रोक रखा है। ऐसे ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शारदा सहायक परियोजना का भी है। जैसे इस समय वर्तमान इग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वहां के ठेकेदार द्वारा २५ परसेंट हिस्सा न देने के कारण उनके पेमेंट रोक रखे हैं। माननीय मंत्री जी उ की समुचित जांच करवा कर उनका भुगतान कराने की कृपा करें। इसी तरह से और भी कार्य हुए हैं। वहां के काश्तकारों की जमीन खोद डाली गयी, वहां पर उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि सीतापुर जनपद तथा लखीमपुर के लिए भी पानी देने की व्यवस्था करवायें।

ऐसे ही भूतपूर्व एस० डी० ओ०, श्री एम० ए० खान तथा इग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री वकील अहमद सिद्दीकी ने पिछली सरकार के कार्यकाल में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री की इमारत, वहां के नहर विभाग से ही बनवा दिया। मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उसकी पूरी जांच करवायें। ऐसे उन्हीं के परिवार के न जाने कितनों को ठेका दिया गया, उसका उदाहरण दे रहा हूं। एक ठठेरिया खर्जा का ठेका उनके परिवार को ही दिया गया। आज तक वह खर्जा तैयार नहीं हुआ है। जो योजनाएं लागू की गयी हैं, उन्हें कार्यान्वित कराने की कृपा करें। घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिए एक पिछली सरकार की योजना थी, वह योजना २२ लाख रुपये की थी, वह कागज पर ही पूरी कर दी गयी, लेकिन नदी का कटाव नहीं रोका गया। १७ गांव नदी की धार में बह गये।

मान्यवर, इसी तरह से एक योजना महमूदाबाद क्षेत्र में बकवा योजना है। ११ लाख रुपये की यह योजना है। इस योजना को पूरा नहीं किया गया है जिससे १७ गांव डूब गये हैं।

एक सदस्य––

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

२ बजे कोरम का कोई प्रश्न नहीं होता।

एक सदस्य––

मान्यवर, २ बज गये हैं।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम नरायन वर्मा––

तो मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो योजनायें बनाई जायं वे केवल कागज पर ही न बनाई जायं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान्यवर, बांध बनाने

[श्री राम नारायन वर्मा—]

से पहले ज्यादा अच्छा होगा कि यह देख लिया जाय कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है । इसके बाद वहां पर योजनायें बनाई जायं तो ज्यादा फायदा होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुझे भी मौका दें ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

२ बज गये हैं । श्यामधर जी कटौती के प्रस्ताव पर बोलेंगे । मैं माननीय सदस्यों को बुलाने में असमर्थ हूं ।

एक सदस्य—

समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं असमर्थ हूं । ३ बजे तक यह ग्रांट्स पास करनी है ।

(शोर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, इस पर मौका मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात सही है । पर २ बजे श्यामधर जी के लिये कहा गया है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

हम लोग श्याम धर जी से निवेदन कर लेंगे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

समय अभी नहीं बढ़ सकता है ।

(शोर)

आप बैठिये । मैं माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये हूं । २ बजे श्यामधर जी के लिये कहा गया है । ३ बजे ग्रांट्स पास करनी हैं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

श्याम धरजी से हम निवेदन कर लेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। १०-१५ मिनट दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा कि श्यामधर जी ने कहा है। तो मैं ३ माननीय सदस्यों को ५, ५ मिनट और बुलवा रहा हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

देखिये। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप सबके नाम हैं।

*श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)---

मान्यवर, मुझको समय दीजिये। अध्यक्ष जी ने कहा था कि समय देंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता---

मैं आग्रह करूंगा कि मैं बहुत नियमों का परिपालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं ३ सदस्यों का भाषण कराऊंगा।

श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी---

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं मान्यवर, स्थिति आज क्या है। पश्चिमी क्षेत्र में ६४३ हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। केन्द्रीय क्षेत्र में ७७२ हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती है। पूर्वी क्षेत्र में १४२८ हेक्टेयर में सिंचाई होती है। और बुन्देलखंड में ७८ हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती है। जब कि हमारे यहां जमीन है पचीस हजार हेक्टेयर। हमारे यहां जितनी कृषि योग्य भूमि है उसके केवल ३ प्रतिशत भाग की सिंचाई होती है।

श्रीमन्, यदि बुन्देलखंड को पानी दे दिया जाय तो प्रदेश में ही नहीं देश के अन्य भागों को भी बुन्देलखंड गल्ला दे सकता है और दिया है। लेकिन आज बुन्देलखंड में २४७० हजार हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन है किन्तु उसमें ७८ हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही है। यदि यही रफ्तार चलेगी तो दो-ढाई सौ वर्ष लगेंगे जब कहीं पूरे बुन्देलखंड को पानी दे पायेंगे।

मान्यवर, अब मैं बांधों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां सजनाम, सहजाद, रोहनी, मौदहा और उरमिल बांध हैं। इन बांधों के लिये रुपया दे रखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह रुपया खर्च नहीं हो पायेगा। स्थिति यह है कि सहजाद बांध पर पिछले वर्ष ७ करोड़ की स्कीम बनायी गयी किन्तु उस पर केवल ४४ लाख रुपया खर्च हुआ और अब आपने डेढ़ करोड़ रुपया और दिया है। तो मेरा कहना है कि यदि काम की रफ्तार तेज न की गयी तो जितना रुपया है वह खर्च नहीं हो पायेगा। इसलिये वहां काम की व्यवस्था करवायें। वहां सुपरिन्टेन्डिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी—]

इंजीनियर, श्री सक्सेना कमीशन बटोरने में लगे हैं। कमीशन के लिये वह माल खरीदने में लगे हैं। वहां टेंडर के बिना पौने तीन लाख का पाइप सितम्बर में खरीदा गया है। माल गोदाम में भर रहे हैं और कोई काम नहीं है। उसका दो बार ट्रान्सफर हो चुका है लेकिन वह रुकवा लेता है। इसलिये उसको वहां से हटाया जाय।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई विभाग के अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, विषय अपने आप में गम्भीर है। चूंकि आप देश के अन्दर या प्रदेश में जो खाद्य पदार्थों की कमी है उसका संबंध सिंचाई से जुड़ा है और सिंचाई पर जब मंत्री जी सोचने के लिये तत्पर होते हैं तो उसी के साथ सूखा और बाढ़ पर भी उनको गौर करना पड़ेगा। समय कम है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पूर्वांचल में आज भी सिंचाई की कमी की वजह से वहां का किसान अपने आप में कराह रहा है। जमीन उपलब्ध होते हुये भी सिंचाई पूरी नहीं है जिससे कि जन-जीवन का सुधार हो सके। मान्यवर, जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था अपने आप में या तो बहुत कम है और जो है भी वह अधूरी है। जितने ट्यूबवेल हैं वह खराब हैं। नालियां टूट चुकी हैं। इसलिये समय के अनुसार पानी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिये मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस सारी व्यवस्था को देखें कि टूटी हुई नालियों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच पायेगा कि नहीं।

मान्यवर, ३९ शारदा सहायक योजना का संबंध हमारे क्षेत्र से है। इस योजना से हमारे यहां का किसान कराह रहा है। आये दिन इंजीनियर कभी इधर और कभी उधर पैमाइश कर रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि वहां का इंजीनियर वहां के किसानों के साथ खुले ढंग से व्यापार करना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने मंत्री जी से संपर्क करके बतला दिया था। ३९ शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत सारे लोगों की जो एक निश्चित लाइन थी उससे हटकर कभी इधर नापा जा रहा है तो कभी उधर नापा जा रहा है। मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इधर भी ध्यान रखें। सूखे की स्थिति को देखते हुए आप उस क्षेत्र के लिए ज्यादा सक्रिय ढंग से सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए कुछ योजनाओं को तत्काल कार्यान्वित करें। पिछली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक गाजीपुर के अन्दर हुई थी तो उसने पूर्वांचल की सिंचाई के लिए कुछ निश्चय किया था। उस पर भी यह सरकार ध्यान दे। मैं ज्यादा समय न लेकर इतना निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको गम्भीर ढंग से सोचें। इसके अतिरिक्त इसको सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जो बजट मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। प्रदेश के जो किसान हैं वह भी इस बजट का स्वागत करेंगे। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जहां-जहां नहर निकल रही हैं और उन नहरों से जहां चकबन्दी हो चुकी फिर से किसानों का खेत निकलने वाला है तो मेरा सुझाव है कि वहां पर राजस्व विभाग के माध्यम से पुनः चकबन्दी कराकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई विभाग चकबन्दी का खर्चा राजस्व विभाग को दे दें ताकि मुआवजा भी जमीन का न देना पड़े और किसानों को भी सुविधा हो ।

दूसरी बात यह है कि आपके नलकूप बन्द पड़े हैं । कहीं तो गूल खराब है और कहीं ट्रान्सफारमर जल गये हैं, कहीं मशीन खराब हो गयी है । सिंचाई में जहां प्रगति होनी चाहिए थी वहां इन सब कारणों से व्यवधान पैदा हो गया है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करें । जो नालियां कच्ची हैं उनको पक्की करायें और ट्रान्सफारमरों का इंतजाम करें । जिस इलाके में पानी का सहारा नहीं है वहां किसान भगवान के सहारे रहता है । वहां पर नलकूप की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वह भगवान के सहारे न बैठा रहे । तीसरी बात यह है कि जिस तरह से मंत्री जी ने अपने बजट में बहुत सी छूट देने की बात कही है तो जो डेढ़ एकड़ का किसान है उसको सिंचाई कर से मुक्त करने की मंत्री जी घोषणा करें ।

मान्यवर, हमारे जनपद देवरिया में एक छितौनी बंधा है जिसका नाम हम लोगों ने खाऊ–कमाऊ बांध रख दिया है । २२ लाख इस पर खर्चा हुआ और चार करोड़ इसकी मरम्मत पर खर्च हो चुका है । होता यह है कि जब इंजीनियरों को पैसा लेने की आवश्यकता होती है तो बांध में दरार पड़ जाती है । मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न करें । इस विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है और भारत सरकार के महानियंत्रक लेखाकार की रिपोर्ट में भी स्पष्ट है । मंत्री जी यह व्यवस्था करें कि जिस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला आये और उसके ऊपर अभियोग लगे तो तीन महीने में उसकी जांच हो जानी चाहिए । ऐसे लोगों की तो जांच की जानी चाहिए और साथ ही जो कर्मचारी उपेक्षित किये जाते रहे है उनको लाभ मिलना चाहिए । अभी हमारे उप मंत्री जी ने राय बरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद में छापे मारे । जी० के० मिश्रा, सी० डी० राव आदि के खिलाफ जीप की खरीद में हुए भ्रष्टाचार को उन्होंने पकड़ा । लेकिन पता नहीं इन मामलों को क्यों दबा रखा है जबकि यह अखबार और रेडियो पर भी आ चुके हैं । इस तरह के जहां करोड़ों के मामले प्रकाश में आये हैं और उप मंत्री जी ने पकड़े हैं उनको प्रकाश में लाया जाय । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी जैसे सीधे सादे व्यक्ति इस विभाग की सफाई करेंगे और किसानों को लाभ देंगे, उनको पानी उपलब्ध करायेंगे ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)––

मैं तहसील ठाकुर द्वारा के जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां सुमरिया बांध है । लेकिन वहां किले की खराबी से बहा पेड़ों की समस्या की वजह से उस बांध में पानी नहीं रुकता । इस वजह से नहर में पानी नहीं आता । नहर में आपको पानी नहीं मिलता है और कमांड एरिया के अन्दर होने से आबपाशी लग कर आ जाती है । एक और मुसीबत है कि कमांड एरिया होने की वजह से वहां ट्यूबवेल भी नहीं है । मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सारे मुरादाबाद की सारी तहसीलों में देख लें । अगर वहां सौ–सौ ट्यूबवेल्स हों तो मेरी तहसील में कम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकीमुर्रहमान—]

कम २५ ट्यूबवेल लगवाने का इंतजाम कर दें और दूसरी जगहों पर ३००–३०० हैं। मेरे यहां १७ हैं उस पर भी लाइन और मोटर का इंतजाम नहीं है। इस सम्बन्ध में चौधरी साहब से तीन बार मिला लेकिन कोई माकूल इंतजाम नहीं हुआ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, घड़ी देखकर केवल एक मिनट का समय मुझे भी दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है। लेकिन एक मिनट से अधिक नहीं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक मिनट का समय दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जनपद में पांच–पांच नदियां हैं जो एक जगह पर मिलती हैं। पंजाब में यह सुना था कि पांच नदियां बहती है लेकिन मेरे क्षेत्र में भी है। इनको मिलाकर पंचनद बांध बनाने की बात थी और कैबिनट डिसीजन भी हो गया था लेकिन इस पुस्तिका में उसका कोई जिक्र नहीं है। कृपा करके माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें तथा बांध बनाने की कार्यवाही करें।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, पूरे बजट में मुझे एक बार भी अवसर नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता—

केवल एक मिनट का समय आपको भी देता हूं।

श्री शिव लाल मित्तल—

मैं बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील से जो नेपाल बोर्डर पर है, का रहने वाला हूं। जहां बान गंगा नदी पर बांध बना लेकिन पानी नहीं आता। अंग्रेजों के जमाने में सागर बनाया गया था जिससे सिंचाई होती थी। लेकिन अब नहर भी हो गयी फिर भी सिंचाई नहीं हो पाती। सागर तो पट गया, बांध बना है, लेकिन पानी नहीं आता। भ्रष्टाचार इतना है कि विजोलेन्स की जांच हुई लेकिन पता नहीं रिपोर्ट कहां गयी। व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को विजीलेंस द्वारा जांच करने हेतु लिखित दिया परन्तु पता नहीं रिपोर्ट कहां गयी। नौगढ़ तहसील में केवल १२ ट्यूबवेल्स हैं जबकि खलीलाबाद में १३०, बस्ती में १०० और डुमरियागंज में ६० हैं। अतः अधिक से अधिक ट्यूबवेल्स की सुविधा वहां प्रदान की जाय। इसी तरह से नहर से अधिक से अधिक सिंचाई के साधन की व्यवस्था की जाय। नहरों की सड़कें पक्की की जायं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं केवल २/३ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे यहां नैनीताल जिले में भाभर इलाके में ट्यूबवेल बहुत लगे हैं। वहां की जमीन पथरीली है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो एक रुपये में ६००० गैलन की सिंचाई के लिये घोषणा की है, वह हमारे यहां के लिये

उपयुक्त नहीं है क्योंकि नीची–ऊंची जमीन और पथरीली जमीन की वजह से किसानों को उसमें घाटा होगा । अतः निवेदन है कि हमारे यहां भूमि के हिसाब से पानी दें और उसी हिसाब से कोई सीलिंग फिक्स करने की कृपा करें ।

दूसरा सुझाव है कि नहरों से पानी देने के लिये कुलावे दे दिये हैं । कुलावों से पानी जायेगा कि नहीं, यह वहां के किसानों पर निर्भर करता है । मेरा निवेदन है कि जितना एरिया कमान्ड एरिया में आता है वहां पानी जरूर पहुंचना चाहिये । इसलिये निवेदन है कि कुलाबों से पानी खेत तक पहुंचाने के लिये अगर सहकारिता विभाग से व्यवस्था ठीक न हो, तो वह सिंचाई विभाग द्वारा हो ।

एक सुझाव यह है कि हमारे यहां नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है और उसी माध्यम से पीने के लिये पानी मिलता है । उसके अलावा कोई निजी साधन नहीं हो सकता । अतः निवेदन है कि वहां नहरे रोज चलती रहें । नहरों में रोज पानी आना चाहिये ताकि लोग पानी पी सकें और सिंचाई भी कर सकें ।

एक सुझाव यह है कि नैनीताल में एक जिमरानी योजना चल रही है । निवेदन है कि इसको शीघ्र पूरा किया जाय, क्योंकि इससे वहां के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है ।

एक सदस्य––

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं और उत्सुक हैं, उनको एक–एक वाक्य में स्पष्टीकरण का मौका बाद में दे देंगे । अब कृपया शान्ति से सुनें ।

श्री श्यामधर मिश्र––

श्रीमन् मैं देख रहा हूं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है । कितने लोग बोलना चाहते हैं कि एक समस्या हो गयी है । इसके लिये एक दिन नहीं बल्कि दो दिन का समय देना भी पर्याप्त नहीं होता । बहरहाल, श्रीमन्, आपकी कृपा से लोग अधिक से अधिक बोल सके, जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, नियमों के अनुसार तो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा कि सम्पूर्ण अनुदान का धनराशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय और वह मैंने इसलिये किया कि इस विभाग की प्रशंसा और समालोचना हो जाय । लेकिन सही मायने में देखा जाय तो माननीय सदस्यों ने जो विस्तार से विभाग की समालोचना की है उससे पता चलता है कि इसमें क्या–क्या कमियां हैं और क्या–क्या होने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में केवल २ महीने वर्षाकाल होता है, उसका नतीजा यह है कि पानी या तो बहुत कम है या साल भर बिल्कुल नहीं होता । सवाल यह है कि पानी को हम कैसे इकट्ठा करें ? वह पानी या तो धरातल में

[श्री श्यामधर मिश्र---]

चला जाता है या समुद्र में चला जाता है । और देशों में, श्रीमन्, ७/८ महीने वर्षा होती है फलस्वरूप वहां अच्छी सिंचाई की सुविधा हो जाती है । हमारे यहां यह सुविधा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे यहां केवल २/३ महीने ही वर्षा होती है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

एक सदस्य---

कोरम को पूरा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है ।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम के लिये घण्टी बज रही है ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं श्रीमन्, बहुत सी बातें नहीं कहूंगा । विस्तृत उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे ही मैं ऐसा समझता हूं । मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी के बारे में जिसकी बात कुछ माननीय सदस्यों ने कही कि टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी भारत सरकार की है, मैं नहीं जानता यहां की है या नहीं, शायद होगी । उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम की आवश्यकता नहीं है कि भारत सरकार को दी जाय जैसा कि ज्ञानपुर अपर केनाल के बारे में उत्तर मिला कि वह भारत सरकार के टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी को दे दी गयी है । गंगा उत्तर प्रदेश की और बिहार की और सब प्रदेशों की नदी होते हुए भी वह गंगा नदी उत्तर प्रदेश से जब जाती है तो उत्तर प्रदेश में जो उसका पानी है उसका उपयोग उत्तर प्रदेश कर सकता है । यदि जोत सीमा की बात होती तो मैं कहता कि आप इसको टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी को दे दीजिए ।

उसी तरह श्रीमन् मैं बोरिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है । नये ट्यूबवेलों पर आप ध्यान दें लेकिन आप यह भी देखें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं में जो ट्यूब-वेल गाड़े गये उनकी क्षमता कैसे एक चौथाई हो गयी, आधी हो गयी । जब आधी हो गयी तब भी उसी हिसाब से आप पैसा किसानों से लेते जा रहे हैं । तो कृपा करके रिबोरिंग का कार्य आप करायें ।

जो स्कीमें पुरानी सरकार ने चलाई अच्छाई के लिए चलाई । मैं आपको उधर नहीं ले जाना चाहता । मैं अपने भाषण में कह चुका हूं कि क्या-क्या है । इस पुस्तिका में आपने स्वयं दिया है । मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जा कर आप को परेशान नहीं कर रहा हूं लेकिन जो इधर साल दो साल में सरकार की योजना चली हैं वह राजनीतिक योजना नहीं हैं । सिंचाई की योजना हैं चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे नहर हो । वे किसानों की योजनायें हैं । उनको आप चलने दें । आप भी कभी भूतपूर्व हो गये तो नई सरकार आयेगी और उसी तरह आपके लिए कहेगी मैं अभी आपके लिए सिफारिश करूंगा ।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर श्री भगवान पुनः पीठासीन हुए ।)

एक बात, श्रीमन् चीनी मिलों के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत सी चीनी मिलें हैं। मैं जानता हूं पच्चीसियों चीनी मिलों को हर जगह गन्ना मिलने वाला नहीं है। पिछली सरकार ने एक फैसला किया था कि जहां–जहां चीनी मिलें हैं। उनसे बीस मील, पच्चीस मिल के रेडियस के अन्दर अधिक ट्यूबवेल लगाये जायेंगे। यह निर्णय लिया था। फाइल में होगा। मैं नहीं जानता। मेरा निवेदन सरकार से यह होगा जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र भी किया था जब आप किसान के पैसे से चीनी मिल लगाते हैं, उसके पैसे से चीनी मिल लग रही है तो आपका, सरकार का यह फर्ज है कि वहां प्राथमिकता दी जाय जहां चीनी मिल लगा रहे हैं। एक ओर तो चीनी मिल लगा रहे हैं दूसरी ओर गन्ना न मिले।

दूसरी बात आप दफ्तर का विकेन्द्रीकरण करें। जिलों से काम नहीं चलता, तहसीलों से काम चलेगा। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का दफ्तर तहसील में ले जावें। एक माननीय सदस्य ने इस पर विवाद किया था। मैं जानता हूं यह रास्ता बहुत सुन्दर है। वह तहसील के स्तर पर श्रीमन् जाना चाहिए। लागत और मुनाफे की घोषणा आप ने स्वयं की है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। कामर्शियल बेसिस पर आप नहीं सोचेंगे। यदि आप कमर्शियल बेसिस पर न सोचें तो और घोषणा करें जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात तामिलनाडु में है। प्रगतिशील स्टेट्स का नाम ले रहा हूं जो सिंचाई में बहुत दक्ष नहीं होते लेकिन प्रयास में दक्ष हैं मुनाफा और लागत रेशियो का फारमूला आप नई योजनाओं पर लागू कीजिये। माननीय सदस्यों ने जो यह सुझाव दिया है उसकी मैं ताईद करता हूं।

पहाड़ी इलाकों में छिड़काव के जरिये सिंचाई हमारे प्रदेश में बहुत कम होती है, इसको बढ़ाया जाय। एक सुझाव मेरा यह है कि हमारे प्रदेश में ६००, ७०० इंजीनियर एडहाक बेसिस पर ७० से ७२ के दौरान रखे गये। सन् ७३ में सरकारी आदेश निकला कि इनको एबजार्व कर लिया जायगा। लेकिन अब कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने क्यू में खड़े हो जाओ। यह रवैया सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सेल्स टैक्स विभाग में नहीं अपनाया गया, इस विभाग के अभियन्ताओं के साथ फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ७, ७ वर्ष इन्होंने काम किया। इनके केस को स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाय, जैसा कि और विभागों ने किया है। करेक्टर रोल ठीक हो तो उनको रखा जाय। आपकी २० जुलाई, १९७३ की घोषणा भी मेरे पास है जिसमें यह निर्णय लिया गया था तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं का रेगुलराईजेशन करने का शासन ने निर्णय लिया है कि तदर्थ रूप से नियुक्त अभियन्ताओं के लिये अलग से चयन किया जायगा और भविष्य में यथासंभव तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जायंगी। जब ये नियुक्ति हो गयी हैं तो इनको एब्जार्व किया जाय। लेकिन इस साल आपने १२५ की नियुक्ति की मांग की है। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे किसानों को लाभ हो और सरकार को रुपये में ज्यादा नुकसान न हो। ५ फीसदी नुकसान हो तो कोई नुकसान नहीं है। देखा यह गया है कि सरकार को अगर ५ फीसदी रुपयों में नुकसान होता है तो किसान को १५ फीसदी मुनाफा होता है। आप खेत की पैदावार प्रतिवर्ष देख लीजिये।

[श्री श्यामधर मिश्र—]

प्राइवेट ट्यूबवेल्स पर कुछ माननीय सदस्यों ने विचार प्रगट किये । सरकार इस पर भी बहुत गम्भीरता से विचार करे । यह जो कमांड एरिया ट्यूबवेल्स का है बहुत बड़ा कर दिया गया है, नहरों को भी बहुत बड़ा कर दिया है जिससे पानी नहीं पहुंच पाता है ।

एक सदस्य—

पहले का है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

ठीक है पहले का है । आप उसे कम कर दें । पहले अच्छे लोग नहीं थे, अब योग्य तथा अच्छे लोग आ गये हैं वे उसे ठीक कर दें । कांग्रेस को कोसने का तरीका अब आप छोड़ दें । पहले वाले नेता भी आपके साथ हैं । यह कोई तर्क नहीं है कि पहले का है । अब आपकी सरकार है उसे बदल दें । नहीं तो हमें सरकार दे दीजिये मैं कर दूंगा । मैं तो सरकार में था नहीं । आप स्थान देंगे नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं ।

एक बात मैं बाढ़ के सम्बन्ध में कहूंगा । कहा गया कि बड़ी वृहत् योजना है लेकिन वृहत् योजना में काम बहुत सूक्ष्म हो रहा है । केवल ९ करोड़ रुपया दिया है । एक प्रश्न मैंने उपस्थित किया था कल्याणपुर तहसील में छिछुवाभररा, दोर्घ ब्लाक के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया कि ३० या ३५ लाख उस कटाव पर लगेगा । उसमें हर साल कटाव हो रहा है ६–७ सौ एकड़ कट गया है और कुछ मकान कट रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है । सदन के सामने निवेदन किया मंत्री जी से कि चलिये आप देखिये तो सही, मंत्री जी ने कहा कि हम देखेंगे लेकिन कोई गया नहीं और न कोई योजना बनी । बाढ़ के सम्बन्ध में यह आपकी प्राथमिकतायें हैं प्लान में आप कहते हैं कि पांच वर्ष में ५० लाख रु० खर्च होगा । १४ करोड़ रुपया पिछले वर्ष रखा और ८.८० करोड़ रु० इस साल कहते हैं खर्च करेंगे । मान्यवर, यह किस तरह की बात हो रही है करनी और कथनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करके बैठता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

एक गम्भीर बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं अब सिंचाई मंत्री जी बोलेंगे । आप बैठें, अब कोई बात नहीं होगी (व्यवधान) यह बिल्कुल नहीं होगा नियमानुसार यह नहीं होगा आप बैठें ।

*सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में काफी लम्बी बहस हुई है और मुझे बड़ी खुशी है काफी बड़ी तादात में माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत से सदस्य बोलने से रह गये जो कि अपना सुझाव देना चाहते थे । मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें बहस–बहस की खातिर नहीं हुई है बल्कि इसमें बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव आये हैं। इससे मैं यह समझ पाया हूं कि इस विभाग के सम्बन्ध में जो बहस हुई है उसमें माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उनको बजट की जानकारी भी अच्छी है और अपने–अपने क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी तकलीफों का भी ज्ञान है जिसकी उनको पूरी जानकारी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, जो कल मेरे सामने सुझाव रखे गये या जो बहस हुई उनके बारे में मैंने एक तरीका अपनाया है जो माननीय सदस्यों ने कहा है और उसका जो सार है उसको एक जगह मैंने इकट्ठा कर लिया है हेंड्स के नीचे नोट किया है बजाय मैं सब का अलग–अलग जवाब दूं जो कि मैं इस कम समय में दे नहीं सकता। आज जो बहस मैंने सुनी है उसमें जो सुझाव मेरे सामने आये हैं वह बहुत ही अच्छे हैं उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सिंचाई के संबंध में पूर्वी क्षेत्रों की ज्यादा समस्यायें हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और दूसरे इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मान्यवर, मैं इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं और हमेशा–हमेशा के लिए यह भ्रम निकल जाना चाहिये। मान्यवर, जहां तक इसका प्रश्न है यह किताब जो सिंचाई विभाग ने बांटी है इससे चित्र स्पष्ट हो जाता है। इसमें लिखा है प्लान से पहले कितनी भूमि सिंचित होती थी और अब १९७७ में कितनी होती है हर क्षेत्र के आंकड़े दिये हैं इनको देखने से मान्यवर, पता चलेगा पूर्वी क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में ऐसी नहीं है जैसा कि कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्र की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके संबंध में मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि इसमें कालम ६ जो है उसमें दिया गया है कि प्लान से पहले कितनी भूमि की सिंचाई होती थी। पूर्वी क्षेत्र में १०० हजार एकड़ प्लान के पहले सिंचाई होती थी और अब १९७७ तक २४३२ हजार हेक्टेयर सिंचाई होगी इसमें यह फीगर दी हैं और दूसरे क्षेत्र में इसके बराबर नहीं है तो इससे जाहिर होता है कि इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है।

इस प्लान में जो ११६ करोड़ रुपया मिला है हमें उसमें से हमने यह आंकड़ा निकाला है। इससे पता चलता है कि ७०·५७ करोड़ इसमें से खर्च किया जायेगा यानी वह ४९ परसेन्ट है और पिछले साल ७६–७७ का जहां तक मुझे याद है वह भी ऐसा था। दूसरे क्षेत्रों में सेन्टर में ७७ परसेन्ट, वेस्ट में २२ परसेन्ट, बुन्देलखण्ड में ६ परसेन्ट और पहाड़ी क्षेत्र में ३ परसेन्ट यह है। तो इससे पता चलता है कि पहले सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था और न अब है कि किसी क्षेत्र के साथ कोई ज्यादती की जा रही है। कुछ सुझाव आये हैं, एक नेगी जी का है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। वह टेहरी डैम के बारे में है। उन्होंने कहा ७० में मैंने भी उनका समर्थन किया है, तो मेरा कर्त्तव्य है उसके बारे में बताने का आपने याद दिला दिया कि इस पर पूरा–पूरा ध्यान दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं, नये टेहरी नगर का स्थल बादशाही–थौल चुना जा चुका है। उसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि मुआवजे की दर तय की जा चुकी है। इसके अलावा शहरी सम्पत्ति की मुआवजे की दरों के लिए मंत्रि–परिषद् के आदेश प्राप्त किये जाने हैं ....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मुआवजे की दर जो तय हुई है, वह क्या है, बता दें ?

श्री बलवीर सिंह--

मैं नेगी जी को इसके खत्म होने के बाद बता दूंगा । मैंने उसको देखा है, लेकिन वह इस वक्त मुझे यहां याद नहीं है । टेहरी डैम की कान्फ्रेंश थी, सारे आंकड़े थे, अब वह जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी, तब बता पाऊंगा । विस्थापितों के लिए ५५० एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त की जा रही है । नेगी जी का यह कहना कि वन विभाग कुछ इसमें ढिलाई करता था, वह ठीक थी, उस पर हमने एक कान्फ्रेंश बुलाई थी तो उस समय ५५० एकड़ की ही आवश्यकता थी । पहले उनसे हम ६०० एकड़ ले चुके हैं, वह हमें उसे दे चुके हैं । हमने उनसे कह दिया है कि जितनी भी उस योजना के लिए जमीन की हमको आवश्यकता होगी, हम वन विभाग से उसे अवश्य पायेंगे । क्योंकि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां के विस्थापित लोगों को हम उसके बाहर कहीं दूर बसा दें या मेरठ या मुजफ्फरनगर में बसा दें, भले ही वह कितना ही उत्तम कृषि योग्य स्थान हो । उनका घर छुड़वाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा । लगभग ६०० एकड़ भूमि पहले प्राप्त हुई थी और ५५० एकड़ अब प्राप्त हुई है । बिजली पेयजल आदि हेतु वहां व्यवस्था की जा रही है और कार्यवाही हो रही है । तो मैं नेगी जी और उस इलाके के दूसरे लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी-पूरी उनके लिए कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि अभी तो हर बात में शिकायत हो सकती है, लेकिन आगे उनको शिकायत करने का, न मुआवजे के रेट के संबंध में और न दूसरी बातों को, मौका नहीं हो पाएगा । नेगी जी को मैं बाद में और बातें बताने के लिए तैयार रहूंगा, जब वह चाहेंगे ।

इसके अतिरिक्त आज जो बातें हुई, उसमें माननीय सदस्यों ने जानकारी के अभाव में जीप व कारों आदि के घोटाले के बारे में कह दिया और बरेली आदि के बारे में जो पकड़े गये हैं उनके बारे में कह दिया कि उन को छिपाया जा रहा है, शायद उनको जानकारी नहीं है, वास्तविकता यह नहीं है । उसका जो कुछ होना चाहिये, हो रहा है और काफी सतर्कता के साथ कार्यवाही हो रही है । उसमें कोई ढिलाई या नरमी नहीं बरती जाएगी । मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये बातें कहीं । इसके अलावा जहां ऐसी बातें आयी हैं कि उसकी जांच करायी जाय, इस तरह की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जांच भी पूरी करायी जायेगी । एक माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात कही है । औरों ने भी कहा है । उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है । जब उन्होंने यह कहा कि इसके पनपने का कारण पालिटिकल प्रेशर भी है । मैं बहुत थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं सब सम्बन्धित सदस्य समझ लेंगे, उनका सुझाव पसन्द आया है और मैं इसको ठीक मानता हूं ।

बुन्देलखण्ड के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं । जिनको जा कर मैं खुद देखना चाहूंगा । उन्होंने इशारा किया है कि योजना में दिखाया गया है कि नहर बन गयी लेकिन नहर नहीं बनी है । कुछ उन्होंने कहा कि लिखा है कि काम जारी है लेकिन काम नहीं जारी है मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की बातों की जानकारी खाली रिपोर्ट से नहीं हो सकती, इसके लिए मैं खुद जरूर जाने की कोशिश करूंगा ।

एक नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट के बारे में कहा गया । मैंने घोषणा की थी कि सिम्पेथेटिकली कंसीडर करूंगा । उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हुए हैं ।

में उनकी भावनाओं का आदर करता हूं । लेकिन इसमें फिलहाल अभी कर देने के लिए मजबूरी है । पहले के जी० ओ० वगैरह हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस वक्त यह किया गया है । इसका साफ मतलब यह है कि कोई इस तरह की रुकावट नहीं होगी । हम हमदर्दाना विचार करेंगे । हर आदमी जो कुंआ लगाना चाहता है उसको इजाजत दे दी जाएगी । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा । संक्षेप में कह रहा हूं । जो बहस हुई है उसका थोड़े में जवाब देना चाहूंगा ।

काफी माननीय सदस्यों ने कल नलकूप के बारे में जोर दिया और उन्होंने बताया कि नलकूप बन्द करते हैं, नलकूपों के अनुपात से सिंचाई कम हुई, नलकूप की गूलें बिगड़ रही हैं, नलकूपों के लिए यथेष्ट मात्रा में बिजली नहीं मिलती है, समय से नलकूपों के लिए पुर्जों की आपूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण समय से नलकूपों की मरम्मत नहीं हो पाती है । यह निचोड़ है कल की बहस का । (व्यवधान) जहां मैंने कल कहा है परसों मान लिया जाये । बिजली के लिए बिजली विभाग से बातें की हैं । यह फैसला हुआ है कि नलकूपों के लिए बिजली १२ घंटे रोज मिलेगी । मैंने इसमें यह भी आग्रह किया है कि जो बारह घंटे नलकूपों या प्राइवेट नलकूपों के लिए बिजली मिले वह दिन के समय में मिले । और यह बात करीब–करीब मंजूर है । इसमें पूरे घंटे नहीं हो पाये हैं, कुछ घंटे रात में रखना चाहेंगे या नहीं, मैं आग्रह करूंगा बिजली विभाग से और आशा है कि वह मान लेंगे कि बिजली दिन में दी जाय और कम से कम १२ घंटे बिजली होते रहें ।

आपरेटर्स के लिए जो कहा गया है, इतनी बात सही है कि १४ हजार ७ सौ नलकूप हैं हमारे प्रदेश में और १२ हजार २३२ आपरेटर्स हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि इन नलकूपों पर आपरेटर्स कम हैं । बल्कि ऐसा है, यह शिकायत भी है, कि नलकूप पूरे समय जितना चलाना चाहिए नहीं चल पाते हैं । किसी भी कारण से कुछ नलकूप ऐसे हैं सिर्फ एक हजार घंटे ही चल पाते हैं साल भर में । हमारा प्रयास यह होगा कि सारे नलकूपों को ठीक चलाया जाये । इसके लिए हमें आपरेटर बढ़ाने पड़ेंगे और हर कुएं पर एक आपरेटर रखना पड़ेगा । ऐसी चीज सामने आयी है कि नलकूपों के पुर्जे नहीं मिल पाते हैं ....

श्री अध्यक्ष––

यह आपको २·५५ पर समाप्त करना है । ३ बजे तक यह अनुदान पास हो जाना चाहिये उसके बाद खाद्य विभाग का लिया जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह––

मान्यवर, यह बातें बड़ी महत्व की हैं और समय की कमी के कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुर्जे किस तरह से हासिल करेंगे । हम अपने वर्कशाप खोलेंगे । जहां तक नालियों का सम्बन्ध है हम उनको पक्का करेंगे जिससे जो पानी का नुकसान होता था वह नहीं होगा । मान्यवर सर्वे रिसर्च और डिजाइन के बारे में कई सुझाव आये हैं । मेरा इरादा यह है कि हम ट्रेनिंग सेन्टर खोलेंगे हमें कालागढ़ में जगह मिल जायेगी । अन्ट्रेन्ड इन्जीनियर ले लिए जाते हैं और वह इन योजनाओं पर भेजे जाते हैं तो काम चल नहीं पाता है । एक बहुत

[श्री बलवीर सिंह--]

अच्छी बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही और आपने सुझाव भी दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं ।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए पैसे की कमी होने वाली नहीं है, अगर पैसे की कमी होगी तो हम सेन्टर जायेंगे । कटान के सिलसिले में बाद में चर्चा होगी, उस पर मैं बतलाऊंगा । मैं २-३ बातें बहुत जल्दी में ही निवेदन कर देना चाहता हूं। एक तो सिंचाई में दिक्कत पैदा होती है क्योंकि इंजीनियर देहात में जा नहीं पाते हैं । इसलिए हमने आदेश दिया है कि वह दौरे पर रहेंगे और निरीक्षण भवनों को ठीक करवाया जा रहा है जिससे यह लोग वहां जाकर रह सकें और काम कर सकें । दूसरी बात यह है कि सिंचाई विभाग के पास संचार व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए कटाव को नहीं रोक पाते हैं । फ्लाइंग स्क्वाड का मैं विस्तार से जिक्र करना चाहता था लेकिन समय कम है ।

एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन ले ली जाती है उनको बड़ी तकलीफ होती है। चकबन्दी वाला मसला है इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । सरकार ने फैसला लिया है और उसका जी० ओ० भी जारी हो गया है जहां कहीं चकबन्दी होने वाली है, या चकबन्दी इस स्टेज पर है कि काश्तकारों को कब्जा दिया जा रहा है तो वहां पर फिर चकबन्दी करायी जायेगी । इस तरह से मान्यवर, उन इलाकों में चकबन्दी करा दी जायेगी । उसके बाद यह योजना हम उन इलाकों में चलायेंगे । लेकिन जहां चकबन्दी हो चुकी है, उन इलाकों के संबंध में हमने निर्णय लिया है कि ऐसे किसान जिनके खेतों का क्षेत्र-फल सवा छः एकड़ से कम है, या ३ १/८ एकड़ या उससे भी कम है, तो उन किसानों को सरकार जमीन एक्वायर करके देगी । इस तरह से इन किसानों की जो समस्या थी वह भी हल कर ली जायेगी ।

श्री दशरथ सिंह--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जो जमीन किसानों के लिए एक्वायर की जायेगी, वह कहां से की जायेगी ? वह चकबन्दी से या किसी अन्य प्रकार से ?

श्री बलवीर सिंह--

उसमें कानूनी आपत्ति हो सकती है लेकिन जो किसान चकबन्दी के फलस्वरूप बेघरबार हो गये हैं, उनके लिए क्या किया जायेगा ? इसके लिए जी० ओ० मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री श्यामधर मिश्र, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र--

यदि ब्योरेवार विवरण दिया जाता, तो मैं वापस भी ले लेता । मैं इसे वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या ६० राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

संख्या ६०-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६१-सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८५-बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६०--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,४४,३१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६१ सिंचाई अधिष्ठान-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६१--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,४७,८६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

(शोर होने पर)

यह इतनी उच्छृंखलता क्यों हो रही है ? अनुदान पर जब मतदान लिया जाता है तो शान्ति के साथ बैठना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी-गत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६१,११,०८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८५--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,४६,२५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इलाहाबाद में हुई ट्रेन दुर्घटना की सूचना

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

इस देश के इतिहास में एक बहुत दुखद घटना हो गई है....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जायं ....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जिसमें 300 व्यक्ति मारे गये हैं । उन मृतकों के प्रति सम्वेदना के लिये मैं सदन का त्याग करता हूं (श्री कौशिक सदन से उठकर चले गये) ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है । माननीय मुख्य मंत्री जी गये हुए हैं । इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार से उठाना उचित नहीं है चाहे कितनी ही दुखद घटना क्यों न हो ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या ३०--वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध-अनुदान संख्या ५१-खाद्य तथा अनुदान संख्या ८१-खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय

खाद्य मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०-वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४९,२१,४०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१-खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९१,४४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८१-खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८०,५७,८५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अच्छा होगा, इसमें आप अधिक समय न लें क्योंकि २ घंटे का इसके लिए समय निर्धारित है । कृपया आप १५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लें, बाद में माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिले और उसके बाद में आप फिर उत्तर दे दें ।

श्री हरिश्चन्द्र--

अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले अनुदान संख्या ३०-वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । यह अनुदान वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध से सम्बन्धित है । मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक सेवायें और शोध के जो कार्य अभी तक हुए हैं, मानव उनका ऋणी है । मानव के विकास और उसकी उन्नति में वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध कार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है । यह विभाग पिछले २, २ १/२ वर्षों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है । उसके पहले केन्द्र में उसकी स्थापना हुई थी लेकिन देश के अन्दर बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जो इस विभाग के अन्तर्गत चलने वाले कार्यों के अन्तर्गत सुलझायी जा सकती थीं, लेकिन खेद है कि जिस देश के पास एक विशाल भूखंड हो, जिसके पास प्राकृतिक साधन उपलब्ध हों, वहां पर भी अनेक वस्तुओं का अभाव हो । यदि विज्ञान के अनुसंधान के सहारे नयी तकनीकी योजनाएं निकाली गयी होती तो इतने बड़ा भूखंड अन्नदाता बन गया होता और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे देश में बेरोजगारी फैली हुई है उसका भी उन्मूलन हो गया होता । इसलिए इस विभाग की बड़ी ही उपयोगिता है । इसकी स्थापना के बाद पहली बैठक ७७ में हो पाई । बहुत से वैज्ञानिक इस में शामिल हैं जिनसे शोध कार्य कराया जा सकता है, नयी तकनीकी निकाली जा सकती है, जिनके माध्यम से थोड़े खर्चे में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है । मैंने इन लोगों से बात चीत की और विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विभिन्न समितियों का गठन किया जायगा जो सम्बन्धित विभागों में उनके काम में सहायता करेंगे । क्या कारण था कि शेरशाह सूरी के जमाने में बनाये गये पुल और सड़कें जो बनी थीं कितनी मजबूत हैं और आज जो सड़कें और पुल बनते हैं उनमें दो दिन में ही दरारें पड़ जाती हैं । वह कौन सी बातें हैं जिनसे इतने बड़े भूखंड में उत्पादन बढ़ाया जा

[श्री हरिश्चन्द्र]

सकता है और बेरोजगारी दूर की जा सकती है अनुसंधान के माध्यम से ऐसी तकनीक निकाली जा सकती है जिससे उनका हल निकल सके। इसलिए इस विभाग की बड़ी उपयोगिता है। अभी प्रारंभिक स्टेज पर हम प्रयास कर रहे हैं कि अनुसंधान के द्वारा विभिन्न विभागों को मश्विरा दें जिससे देश की समस्या का हल निकाला जा सके। लेकिन इन कार्यों के लिए हमें धन की आवश्यकता है जिसकी हमने मांग की है। यह बहुत थोड़ा धन है। इस धनराशि से हम मानव उत्थान के लिए अनुसंधान के कार्य में लगेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसको सर्व सम्मति से स्वीकार करेंगे। इन थोड़े ही शब्दों में, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मुझे थोड़े में विषय रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।

जहां तक अनुदान संख्या ५१-और ८१-का प्रश्न है वह खाद्य से संबंधित है। अभी-अभी विपक्ष की ओर से हमारे रियासत साहब ने कह दिया कि खाद्य में रखा ही क्या है मूल्य पर नियंत्रण तो कर नहीं पायेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता और बड़े उत्साह के साथ कहना चाहूंगा कि मूल्य के ऊपर वर्तमान शासन ने पूरी तरह काबू पा लिया है। सितम्बर के आखरी सप्ताह में जो मूल्य थे, अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से उनमें भारी गिरावट शुरू हो गयी है। जो लोग मूल्य वृद्धि की चर्चा करते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस पृष्ठभूमि के साथ में आपने बड़ी जनता पार्टी को कार्य सौंपा है, उस स्थिति के चलते हुए भी मूल्यों पर काबू पाने में हमने सफलता पाई है। मैं कहना चाहूंगा कि देश में ६ वर्षों में उत्पादन की वृद्धि वार्षिक २ प्रतिशत की गति से भी नहीं हो पायी जबकि मुद्रा का प्रसारण १९ प्रतिशत से भी अधिक गति से हुआ उसके बावजूद जो भी माल देश में पैदा हुआ वह विदेश भेज दिया गया इसके रहते क्या मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है? यह मैं समझता हूं कि बड़ा असाध्य और दुरूह कार्य है। इसके बाद भी जनता पार्टी की सरकार ने इस पर काबू पाया है।

जिस समय इस विभाग का कार्य हमारे पास आया तो मैंने विचार किया और सोचा कि जिस समय देश में माल की आवश्यकता हो उस समय गोदामों में माल रखने की क्षमता अधिक नहीं होनी चाहिए। विरासत में हमें यह स्थिति मिली कि गोदामों में एक समय में ढाई हजार क्विंटल तथा दो हजार क्विंटल तक रखने की छूट थी उसको हम नीचे लाये और वह सीमा एक हजार और ५०० क्विंटल तक की कर दी गयी है जिससे खाद्य की उपलब्धता बाजार में बढ़ जाय। लेकिन इसमें कठिनाई उपस्थित हो गयी। उत्तर प्रदेश में माल को संग्रह सीमा को घटाया लेकिन बाकी प्रदेशों में स्थिति भिन्न थी अन्न का सारे देश का एक जोन बन गया था। माल दूसरे प्रदेशों में इकट्ठा होने लगा। मैंने केन्द्र से बातचीत की और मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि केन्द्र ने समस्त देश के लिए एक सी स्टाक लिमिट घोषित कर दी है जिससे उस रूप में स्टाक इकट्ठा नहीं हो पायेगा। हमने सीमा कम कर दी थी और व्यापारी बाजार में दूसरे प्रदेशों में माल भेज देते थे और अनुचित लाभ उठाते थे। अब उसमें परिवर्तन आया है। मूल्य सूची को टांगने प्रदर्शित करने पर कड़ाई की गयी। स्टाक लिमिट का कड़ाई से चेकिंग किया गया। इसी के साथ दूसरे उपाय भी बरते गये। फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा पहले ८ किलो प्रति मास प्रति व्यक्ति गेहूं, 2 किलो प्रति मास प्रति व्यक्ति चावल दिया जाता था। उसे बढ़ा कर १० किलो और ४ किलो कर दिया गया और भी उपाय किये गये। मनीटरिंग समिति को स्थापित कर के और अन्य उपायों से इस बात का प्रयत्न किया गया कि मूल्यों में बढ़ोत्तरी न होने पाये। इन सब

उपायों से अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जिसके कारण मूल्यों में गिरावट आने लगी ।

मैं कहना चाहूंगा कि सितम्बर में जो मूल्य थे, अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में इनमें गिरावट शुरू हो गयी है । तिलहन के अन्दर ६ रुपये ५ पैसे से लेकर ३० रुपये ८५ पैसे तक की गिरावट आई है । तिलहन में मूंगफली के तेल में ८६.६७ पैसे तक की गिरावट आयी है । रेपसीड और सरसों के तेल के दाम केन्द्र ने निर्धारित कर दिये हैं । खाद्यान्नों में एक रुपये १५ पैसे से ले कर ९ रुपये २ पै० तक की गिरावट आयी है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सितम्बर से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में होने वाली गिरावट इस बात का द्योतक है कि दाम नीचे आने लगे हैं । लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जिसकी चर्चा करते हुए मैं पूछता हूं कि मूल्य बढ़े हैं ऐसा वह बतलाते हैं, वह बढ़े कहां ? यदि इन्हीं महीनों का दूसरे वर्षों में हिसाब देखा जाय तो मालूम होगा कि १९७२-७३ में ७.७ परसेन्ट, १९७३-७४ में १४·७ परसेन्ट, १९७४-७५ में १४·१ परसेन्ट, १९७६-७७ में ६·६ परसेंट की मूल्य वृद्धि हुई थी जबकि १९७७-७८ के ५ महीनों में ३·२ परसेन्ट मूल्य वृद्धि हुई । जो पृष्ठ भूमि थी उसमें यह मूल्य वृद्धि और आगे जानी चाहिए थी । लेकिन केन्द्र और प्रदेश की जनता पार्टी सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनका परिणाम है कि मूल्यों को बढ़ने की गति को हमने रोका है और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में डाउन वर्ड ट्रेन्ड शुरू हो गया है । मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाऊंगा कि आगे आने वाले दिन मूल्यों की गिरावट वाले दिन होंगे ।

हम कुछ खरीद भी करते हैं । गेहूं खरीदते थे लेवी के द्वारा । जनता पार्टी सरकार ने जबरिया लेवी को खत्म कर दिया है । हम प्रोत्साहक मूल्य पर गेहूं खरीद रहे हैं । पहले १०५ रु० क्विन्टल गेहूं की खरीदारी होती थी अब वह ११० रुपये क्विन्टल कर दी गयी है । लेकिन किसानों को अधिक दाम देने के बाद, जबरिया लेवी से उनको मुक्त करने के बाद भी १ रु० ३३ पैसे प्रति किलो जो गेहूं दिया जाता था उसमें हमने किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है । आज चावल के सम्बन्ध में सवाल खड़ा होगा । धान का दाम ३ रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ा दिया गया है और चावल के दाम में १० रुपये प्रति क्विन्टल की बढ़ोतरी कर दी गई है । लेकिन जिस तरह गेहूं के खरीद दाम में बढ़ोतरी करने के बाद भी उपभोक्ता के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है उसी प्रकार धान और चावल का खरीद मूल्य बढ़ा देने के बाद भी उपभोक्ता के ऊपर कोई असर नहीं आने देंगे ।

साथ ही फुटकर व्यापारियों से लेवी ली जाती थी। छोटे-छोटे व्यापारी १०-१५ क्विन्टल का काम करते हैं । वह कानून के शिकन्जे में बंधे थे । उनको हम लेवी से मुक्त करने जा रहे हैं । ७ हजार हलर जो गांवों में चलते थे वह बैठ गये थे केन्द्र की पिछली सरकार ने एक प्रतिबन्ध लगाया था कि जो आधुनिकीकरण करेंगे उन्हीं को चलने दिया जायगा । ४०० रुपये का एक हलर मिलता है और ७ हजार रुपये की उस पर रबड़ चढ़ती है । हमने केन्द्र सरकार से बात की और हमारे प्रयत्नों का फल निकला है । जो ७ हजार हलर बैठ गये थे वे इसी सीजन से चलने लगेंगे और धान की कुटाई करेंगे । एक बात और कह देना चाहता हूं । इन हलर्स के ऊपर जो लेवी तत्काल लगती थी उसे लेवी से मुक्त कर दिया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

बड़े मिल वालों का क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जो प्रश्न आप करेंगे उसका उत्तर बाद में दूंगा। लेकिन खरीद का सामान रखने के संबंध में जो त्रुटियां थीं जिसका हमारे शतरुद्र प्रकाश जी ने जिक्र किया था और मैंने आश्वासन दिया था कि अगली वर्षा आने तक भंडारों को भली प्रकार ठीक कर लिया जायेगा, तो वह भी हम करेंगे।

राशन कार्ड के द्वारा सामान दिया जाता है। अभी तक राशन कार्ड बनाने के लिये हलफनामा देना पड़ता था, महीनों दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था। इस सरकार ने निर्णय कर दिया है कि दो राशन कार्ड धारकों के लिख देने पर उसी दिन राशन कार्ड बना दिया जायगा। १५ दिन में हमारा विभाग आवश्यक जांच पड़ताल कर लेगा। अगर वह सही है तो राशन कार्ड रेगुलर कर दिया जायेगा। और अगर गलत होगा तो उसी के साथ दोनों राशन कार्ड धारकों के भी कार्ड रद्द कर दिये जायेंगे। इसी के साथ राशन कार्डों की चेकिंग भी करायी गयी। ४८,४७९ कार्डों के २,१९,२६९ यूनिट्स अभी तक रद्द किए गये हैं।

मैं इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि राशन कार्डों की चेकिंग का काम हमारा जारी है और जितनी भी ऐसी गलत यूनिट हैं, उन्हें निश्चित रूप से समाप्त किया जायगा। चीनी वितरण के सम्बन्ध में बड़ी शिकायत हमारे माननीय बन्धुओं ने की है कि चीनी का वितरण अनियमित हो रहा है। मैंने उस संबंध में निवेदन किया है कि विरासत में जो वितरण व्यवस्था मिली वह एक संकट के रूप में खड़ी है। शहर में हर व्यक्ति एक किलो, देहात में हर परिवार एक किलो जो कागज पर वितरण व्यवस्था है, उसका हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि ३७ हजार टन की आवश्यकता है, लेकिन मिलता है २८ हजार टन जो वितरण व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई है उसके अनुसार हम दे पावें। केन्द्र ने हमारी इस बात को सुना है और हमें एक आशा बंधाई है, लेकिन जहां तक गांव शहर का भेद है, यह वर्षों की पुरानी कमी है, उसे काटने में समय लगेगा। ज्यों-ज्यों आवंटन बढ़ता जायगा, गांव का कोटा बढ़ता चला जायेगा।

जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं कि गजटेड अधिकारी गांव में जा कर चेकिंग करें और देखें कि जिन दुकानों से चीनी नहीं बंटी, उनको देख कर दुकानें कैंसिल करें। गावों के लोगों को सुविधा दी गयी है, पहली दिसम्बर से यह सुविधा लागू हो जायेगी, मैंने निर्देश दिया है कि ३ महीने की चीनी अब एक ही साथ में मिल जाया करेगी चीनी मिलने की मात्रा बढ़ जायगी। इसलिए तीन महीने की चीनी एक साथ देने की व्यवस्था कर दी है। इन दुकानों की भी चेकिंग कराई है और दुकानों की चेकिंग करने के बाद जो निकला है अभी तक तीन महीनों के अन्दर ८७० दुकानों के खिलाफ कार्यवाही हुई, जिसमें ६८३ दुकानें निरस्त कर दी गयी हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली है।

तहसील के स्तर पर एक समिति बनने जा रही है, आवंटन के लिए वह सिफारिश करेगी। उसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर सरकारी नुमाइन्दे भी होंगे। ये दोनों मिल कर, सम्पूर्ण दूकानें जो चल रही हैं, मेरा कहना है, कि बहुत खराब चल रही है। उन सारी दुकानों की चेकिंग कर के, स्क्रीनिंग करके, नई दुकानें लगाई जायेंगी। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि थोक के दाम को देखकर फुटकर दाम न बढ़ने पायें,

इसके लिए पूरी तरह से कड़ाई की जाय । इस प्रश्न पर भी काबू पाया गया। पुलिस ने इन पर छापा डाला है। ९,८८० छापे डाले गये, ५७१ एफ० आई० आर० दर्ज हुई, १,६७१ गिरफ्तारियां हुई हैं । मार्केटिंग विभाग ने जो चेकिंग की हैं, वह २०,५०० चेकिंग हैं और ८२ प्रथम सूचनाएं दिखाई गई । ७९ गिरफ्तारियां की गयी हैं ।

इसी प्रकार से दूसरा सीमेंट का भी एक प्रश्न है । जहां तक सीमेंट के आवंटन का संबंध है पहले इसकी कमी थी । केन्द्र से ४ लाख ६७ हजार मीटर टन मिलती थी । जब कि आवश्यकता ८ लाख १८ हजार मीट्रिक टन की है तो इतने आवंटन में इतनी बड़ी मांग को पूरा करना बहुत मुश्किल था लेकिन समस्या का समाधान करना कोई सरल काम नहीं था । लेकिन अब ४ लाख ६७ हजार से कोटा बढ़कर ५ लाख १४ हजार टन हो गया है । और अब सीमेंट के वितरण में पर्याप्त सुधार आया है । समस्या का समाधान हो गया है । मान्यवर, पहले पढ़े लिखे लोग सीमेंट के लिये दफ्तर जाते थे तो उनको कुर्सी बैठने के लिये मिलती थी । लेकिन गरीब आदमी किसान जब दफ्तर जाता था तो उसकी बात पूछने वाला कोई नहीं था परमिट मिलने की कौन सी बात है । अब राशन कार्ड पर, हाउस टैक्स की रसीद पर उसको सीमेंट मिल रही है । दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है । नये भवन जो बन रहे हैं उनके लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है । मकान के नक्शे पर २५ से ७५ बोरी मिल रही हैं । इसी तरह से मरम्मत के लिये २ से लेकर ५ बोरी सीमेंट मिल रही है । अब उसे अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है । इससे ज्यादा सीमेंट की आवश्यकता पर अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा । मान्यवर, सीमेंट की मिलों से बिजली की कटौती को समाप्त कर दिया गया है । इससे उत्पादन बढ़ा है और वितरण सुधरा है ।

मान्यवर, इसी तरह से दाल और तिलहन की कमी की समस्या थी । इसमें परिवर्तन आने लगा है । मैं कृषि विभाग को बधाई दूंगा । तिलहन की पैदावार पिछली सरकार के समय में २५ लाख टन थी । ३२ लाख टन पैदा करने के लिए कृषि विभाग ने योजना बनाई है। सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जायगी । अब तक १६ लाख टन पैदावार थी । अब २२–२३ लाख टन पैदावार का प्रबन्ध किया है । खाद में सब्सिडी दे कर प्रोत्साहन दिया जायगा । इस तरह से उत्पादन बढ़ने से मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इस संबंध में एक निवेदन और है कि केन्द्र ने रेपसीड आयल का साढ़े सात रुपये प्रति किलो की दर से प्रबन्ध किया है । अभी तक ४ शहरों में हम इसको दे पाते थे । क्योंकि रिफाइन करने की समस्या थी । गणेश फ्लोर मिल इतना रिफाइन नहीं कर पाता था । केन्द्र से मुझे अधिकार मिला है, अब इसे सभी मिलों से रिफाइन करा सकते हैं । तो इस तेल का आवंटन १ लाख से अधिक आबादी वाले २२ अन्य स्थानों पर भी किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष––

कृपया यदि आप समाप्त करें तो अच्छा हो ।

श्री हरिश्चन्द्र––

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । इसी के साथ–साथ एक निवेदन यह है कि डीजल, पेट्रोल, कोयला और ईंटे की उपलब्धता बढ़ी है । मान्यवर, इस विभाग

[श्री हरिश्चन्द्र--]

में जो कुछ अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं उनके सम्बन्ध में शिकायतें आती रहती हैं। अभी तक जो कार्यवाही हुई है। इसमें सेवा समाप्ति, निलंबन, प्रत्यावर्तन आदि की जो कार्यवाही हुई है उसमें ४ अधिकारियों, ७ निरीक्षकों, एक लिपिक, ७ कामदार और एक चौकीदार के खिलाफ कार्यवाही हुई है। इसके साथ ही साथ इन सेवाओं में लगे लोगों के लिए कुछ और बातें भी की गयी हैं। २६ राजपत्रित, ७१३ अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी किया गया है। इस विभाग में सेवा नियमावली है ही नहीं। तो इसको शीघ्र लागू करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, इसी तरह से ५ जिलों के सप्लाई आफिस में काउन्टर सुविधा थी, जहां जाने वालों को सुविधा मिलती थी। इसको बढ़ा करके १५ और स्थानों पर किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ निवेदन किया है और बहुत कुछ आप कहेंगे और उसके बाद मुझे स्पष्टीकरण करने का मौका मिलेगा। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह दो शब्द जो कहे हैं। थोड़ा कहना, बहुत समझना। और जो कुछ आपके मन में प्रश्न रह गये हैं उन्हें अब आप रखेंगे। मैं उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। आपके सुझाव मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। इनके अनुसार इस विभाग में सुधार किया जायगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव रखकर इस विभाग को जन उपयोगी बनाने में हमारा मार्ग दर्शन करेंगे।

एग्रो के विधान सभा सचिवालय स्टाल से खरीदे गये जूस के अपेय होने के सम्बन्ध में शिकायतें

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, आज कैन्टीन में एग्रो की तरफ से जो जूस सप्लाई हो रहा है उसकी जांच करवायी जाय। जूस को पीने के बाद कोई भी सदस्य जिन्दा नहीं बच पायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अरुण कुमार जी यहां कोई प्रदर्शन की जगह नहीं है।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, इसको जो पियेगा वह बच नहीं सकता। इसको कोई पीयेगा नहीं। आपकी टेबिल पर रख दिया जाय तो आप टेबिल छोड़कर चले जायेंगे। आप इसको देखना नहीं पसन्द करेंगे और जो इसको पी लेगा तो उसके साथ क्या होगा ?

श्री श्याम धर मिश्र (जिला बाराणसी)--

यह कोई अनुदान से सम्बन्धित नहीं है। आपके परिसर की बात है। माननीय सदस्य ने इसको पीने के लिये लिया, तो यह देखा जिसको लेकर वह यहां चले आये हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह श्री नारायण दत्त तिवारी के जमाने का है।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिये।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३०--वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध, अनुदान संख्या ५१--खाद्य तथा अनुदान संख्या ८१--खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--खाद्य में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८१--खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

(इस समय ३ बजकर ३४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम धर मिश्र पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के वक्तव्य की तरफ थोड़ा जाऊंगा। आप देखें मंत्री जी की तरफ से एक किताब है जिसमें खाद्य पूर्ति और विज्ञान शोध के बारे में बहुत बातें की गयी हैं।

खाद्य मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जो पुस्तकें साहित्य के रूप में आयी हैं--यह जून १९७७ तक हैं। जुलाई, अगस्त और सितम्बर में जो भी कार्य हुए हैं उनका अलग साहित्य है जिसको रख दिया गया है और जिनको न मिली हो वह प्राप्त कर लें।

श्री अधिष्ठाता--

सचिव ने बताया है कि वह भी बंटी है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जो बुकलेट आये हैं, चाहे जिस सरकार के हैं इनके या पिछली सरकार के, उनको पढ़ने से मालूम होता है कि जैसे निगम रूपी सफेद हाथी पूरे देश में वैज्ञानिक शोध पर जुटा है जिसके बारे में हमारे मंत्री जी का बड़ा लम्बा भाषण हुआ। इतना उत्पादन देश में हुआ कि भुखमरी दूर हुई। इतनी तरक्की हुई कि देश आर्थिक संकट से दूर हुआ, बेकारी दूर हुई और ऐसा मालूम हुआ कि देश में समाजवादी व्यवस्था आ गयी। लेकिन मान्यवर, क्या दुनिया में जहां वैज्ञानिक शोध हुआ है, वैज्ञानिक शोध के आधार पर देश तरक्की कर चुके हैं? कृषि प्रधान देश में जहां खाद्यान उत्पादन बढ़ हैं, वहां के लोगों ने, वहां की सरकारों ने, क्या यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

बहुराष्ट्रीय पूंजी निगम के रूप में, सारे देश की अर्थ व्यवस्था को चरमरा नहीं दिया है ?

मान्यवर, आप देखें कि ढाई साल से, जैसा आपने कहा, ढिंढोरा पीटा जा रहा है। खाद्य के मामले में आपने स्टाक किया। उत्पादन बढ़ाया यह भी सही। लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ क्या राष्ट्र का और उन ८० से ९० प्रतिशत लोगों का जिनका उत्पादन से सम्बन्धित नहीं, फायदा हुआ। अगर आप देखें तो राष्ट्र का लाभ नहीं हुआ क्योंकि खाद्य के लिए गोदाम नहीं है। पिछली सरकार का भी रोना रहा और आपका भी यही रोना है कि खाद्य के गोदाम नहीं हैं। सारा गेहूं सड़ रहा है। अगर सड़ रहा है तो किसका घाटा है। एक तरफ आप गेहूं सड़ने की बात स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ खाद्य पर निर्भरता का भी निश्चय करते हैं। क्या इतना गेहूं आपके पास है कि विदेश भेज सकते हैं और क्या इतना गेहूं आपके पास है कि देश की जनता की पूर्ति से बचा हुआ है ? दोनों पहलुओं से आप देखें। एक तरफ तो कहते हैं कि देश में इतना स्टाक है कि सड़ रहा है। उसका कोई इन्तजाम नहीं है। आप कोसते हैं पुरानी सरकार को। हो सकता है उनकी अव्यवस्था रही हो लेकिन आपने जिन किताबों का हवाला दिया है इसमें भी नहीं लगता कि कोई व्यवस्था आपने की है। जिससे जितना स्टाक है उसकी रक्षा हो सके। अभी पिछले दौर में आपने स्वीकार किया करोड़ों का गेहूं सड़ चुका है जिसको न बाहर भेज सकते हैं और यदि देश की जनता खाये तो महामारी फैल जाय। इसकी सदन में चर्चा भी हुई। क्या आप इससे इंकार करेंगे कि भुखमरी नहीं है ? मैं समझता हूं कि सारा देश इस नतीजे पर पहुंचा है कि भुखमरी है। आप भले ही सदन में आंकड़े देकर कहें कि भुखमरी नहीं है। लेकिन भुखमरी का माहौल है चाहे वह उत्पादन बढ़ने से कुछ प्वाइन्ट घटा हो।

मान्यवर, वितरण प्रणाली की बात है। पुरानी सरकार से आज तक हर छः महीने में लम्बी-लम्बी स्कीमें बनती हैं। लेकिन मंत्री जी का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि क्या आपने वितरण प्रणाली को समाजवादी व्यवस्था का रूप दिया है। वही पुरानी व्यवस्था लागू है। वह नौकरशाही के हाथ में है, कलेक्टर, विकास खंड अधिकारी, इंसपेक्टर के हाथ में है। एक तरफ आपने उपभोक्ताओं को सारा सामान उपलब्ध कराने की बात कही है और दूसरी तरफ आप देखें कि आप कौन सा सामान उपलब्ध कराते हैं। आपने चीनी, मिट्टी के तेल और अन्य सामान की बात कही। मान्यवर, क्या शहरों की जनता ही सारे देश की जनता है। क्या कस्बे, टाउन एरियाज, नगरपालिकाओं और नोटीफाइड एरियाज की जनता ही सारे मुल्क की जनता है। मान्यवर, गांव की तरफ भी ले जायं। हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं। आप भी पुराने जनसेवक हैं। सारी जानकारी है। लेकिन वितरण की प्रणाली को देखें पूरे गांवों को तो मालूम होगा कि वह इतनी अनिश्चित और इतनी दूषित है कि सारे गांवों की जनता एक बोतल तेल के लिए तरसती है चाहे आप जितना ढिंढोरा पीटें। आप तो बड़े दावे के साथ कहेंगे कि चीनी और तेल का बड़ा अच्छा वितरण हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह अवश्य है कि गांव के लोग इन चीजों को बहुत कम खरीदते हैं। लेकिन वितरण प्रणाली अच्छी नहीं है।

इसी तरह से तेल और दाल के बारे में कह रहे हैं। दाल की बात तो नहीं कही, लेकिन तेल की बात कही। तेल का भाव चाहे केन्द्र से निर्धारित होता हो, या आप निर्धारित करते हों, कह रहे हैं कि पिछली सरकार के मुकाबिले तेल का भाव कम हुआ है। मान्यवर, पिछली सरकार के समय में यह १४ रुपये था। आप कह रहे हैं कि ४ महीनों में एक रुपया भाव कम कराया।

कई सदस्य—

कम कहां हुआ, वह बढ़ा है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

यह तो आप कह रहे हैं । लेकिन मान्यवर, तेल का भाव बढ़ा है—१५/१६ रुपये में भी कड़वा तेल नहीं मिल रहा है और आज तो हालत यह है कि कड़ुआ तेल लोग खाने के लिये तैयार नहीं हैं इसलिए क्योंकि उसमें बेहद मिलावट है । आप मिलावट की बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं । मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि उसकी क्या हालत है, क्योंकि मैं तो इन चीजों को देखा करता हूं, मान्यवर । एक तरफ आप अशुद्ध सामान देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि रिसर्च के लिए और मिलावट को पकड़ने के लिए विभाग काम करेंगे । एक तरफ जहां आप आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, वहीं छोटे कस्बों में व्यापारी मरते चले जा रहे हैं । जहां डालडे का उत्पादन होता है, वहां चेकिंग नहीं करेंगे । उसको वहां शुद्ध नहीं करेंगे ।

मान्यवर, कानपुर की मण्डी में जहां उपभोक्ता के सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, वहां चेकिंग नहीं करायेंगे । जहां तेल के उत्पादन की बड़ी-बड़ी मशीन हैं, वहां पर किसी प्रकार की जांच नहीं करायेंगे । क्योंकि वहां जांच कराने की आपकी हिम्मत नहीं है । क्योंकि बड़े-बड़े इजारेदारों की तरफ से जो उत्पादन होता है, उसको छू नहीं सकते, क्योंकि आपकी व्यवस्था भी इजारेदारानी व्यवस्था है । आपकी व्यवस्था में कोई भी अंतर नहीं है । इसलिये जिस कांग्रेसी व्यवस्था को आप कोसते थे और हम भी कोसते थे, उसमें और आप में कोई भी अंतर नहीं है । आपकी व्यवस्था में अमूलभूत परिवर्तन की नियत होती तो यह निगम रूपी हाथी नहीं चलाते । किसी भी समाजवादी व्यवस्था में निगमों के जरिये से काम नहीं होता । आपने दूसरे विभागों में निगम चला दिये लेकिन खाद्य तथा पूर्ति विभाग में जहां कि वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, निगमों की क्या आवश्यकता है ? लेकिन वहां भी आप करोड़ों रुपये की पूंजी लगाकर उपनिवेशी व्यवस्था का रूप निगमों के जरिये से दे रहे हैं । यह बहुत ही गलत बात होगी ।

आप अपने बजट में पैसे लेंगे और उत्पादन की बात करेंगे । सरकार की व्यवस्था की बात करें तो मान्यवर, आप इसमें फेल हुये हैं । गेहूं का भाव आपने कहा है १०५, ११० रुपये कर दिया । चौकीदार की तनख्वाह आपने १५ रुपये कर दी । आपकी यह समाजवादी व्यवस्था है ? १०५, ११० रुपये के भाव से किसान मालो-माल हो जायगा इसमें कोई दो राय नहीं है । आपके जमाने में आपके सरकार के जमाने में किसान का सारा उत्पादन का खर्च वापस हो जायगा । लेकिन मान्यवर, आपने यह नहीं बताया कि गेहूं खरीद कर किस भाव देंगे । ११० रुपये बहुराष्ट्रीय निगम की पूंजी से आप गेहूं सारे देश के गोदामों में भरेंगे और विदेश को आप सप्लाई नहीं कर पायेंगे । आपकी अर्थ व्यवस्था इतनी कमजोर है कि आप उत्पादन के भाव पर नहीं दे सकेंगे । फिर क्या करेंगे ? सड़े गेहूं को आप गांवों में १३५ रुपये में देंगे लेकिन शहर में अच्छा गेहूं देंगे । सड़ा गेहूं उनको देंगे जो पैदा करता है, उत्पादन करता है, जो मर-मर करके खेत में लागत लगाता है वही गेहूं साढ़े छः एकड़ वाले किसान को आप देंगे क्योंकि अपनी जीविका के लिए गेहूं ६ महीने में बेचता है मार्केट में और उसी को १३५ रुपये पर खरीदता है ।

मान्यवर, आप अपनी किताब में देखिये । क्या क्या आंकड़े इसमें दिये गये हैं, हंसी आती है । मालूम होता है जैसे ब्रिटेन की सरकार कहती है । इस देश की

[श्री भगवती प्रसाद सिंह—]

नहीं है । आंकड़े मैंने पढ़े । सौ आदमियों को एक साथ खिलाया गया हमने उसको पकड़ लिया । दो आदमी पकड़े गये—एक अलीगढ़ में और एक आगरा में । दो आदमी पकड़े गये और इसी को आपने पूरे बजट में छापा । सौ आदमी खिलाने से उत्पादन शक्ति घटी या देश की खेती की पूर्ति में कमी आई या आपकी व्यवस्था में कमी आई । होटलों में आपने व्यवस्था कर दी है कि ६ बजे होटल बंद हो जायेंगे, यानी कि एक बजे जो ट्रेन से आये वह भूखा सोये रहे । इसलिए मान्यवर, आप समाजवादी व्यवस्था कर रहे हैं ।

मान्यवर, रूस की बात की जाती है । यहां कुछ प्रतिक्रियावादी बैठे हैं जो जलते हैं रूस से और कुछ लोग समाजवादी बैठे हैं । मान्यवर, अगर अच्छी व्यवस्था रूस की या सारी दुनिया की कही जाय तो क्या फर्क है ? मान्यवर, इसी प्रदेश में आप देखें । यहां कितनी अव्यवस्था सरकार के अन्दर है । वितरण प्रणाली आप बंगाल के आधार पर करें । इसलिए एक तरफ इजारेदारी पर पूर्ण चोट नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में जनता पार्टी की सरकार है लेकिन यह उपलब्धि हासिल की है । चीनी में भी अजीब व्यवस्था है । जो भूतपूर्व सरकार का इजारेदारी का रवैया था वही आपने भी अख्तियार किया है । आप भी केन फैक्टरियों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छूट देंगे जिसे पहले की सरकार ने दिया था और इससे करोड़ों रुपया आप कमायेंगे जिस प्रकार भूतपूर्व सरकार ने कमाया था । आप कार से जाकर केन उत्पादक की दशा को गांवों में देखिये । उसकी आर्थिक हालत बाद से बदतर होती जा रही है । जहां केन का उत्पादन होता है वहां से फैक्टरी तक सड़क नहीं बनवाई जाती, केन उत्पादक को अपने केन का पूरा पैसा नहीं मिलता । दूसरी तरफ केन फैक्टरीज के मालिक अपने दामाद और लड़कों को शीरे का काम देते हैं । किसान को उससे कोई लाभ नहीं होता । उनके रिश्तेदारों के पास स्प्रिट व शराब के कारखाने हो जाते हैं और इस तरह से करोड़ों रुपया केन फैक्टरीज के मालिकों के रिश्तेदार कमाते हैं । लिहाजा आप समाजवादी व्यवस्था लाने की कोशिश करें हालांकि मैं यह समझता हूं कि आप ला नहीं पायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अरुण कुमार जी ने जो रस चेयर को दिया था आप उसकी जांच के आदेश देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष जी, उस पर अपनी व्यवस्था देंगे ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । सरकार की इस सम्बन्ध में जो नीति है वह गलत नहीं है । जो नीति है वह ठीक है । सबसे बढ़िया नीति वह होती है जिसकी निन्दा होती है । वैसे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और गड़बड़ी करने वाले सोचा करते हैं कि किस तरह से इसमें गड़बड़ी हो ।

(श्री रियासत हुसैन के फ्लोर क्रास करने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है । रियासत जी को बतला दिया जाय कि इस तरह से फ्लोर क्रास नहीं किया जाता है, यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह सही है कि किसी को फ्लोर क्रास करके नहीं जाना चाहिये । वैसे माननीय सदस्य नजदीक हैं वह भी बतला दें । मैं भी बतलाये देता हूं ।

श्री हर प्रताप सिंह—

चीनी का बोरा जब मिल से चलता है तो १०१ किलो ५०० ग्राम होता है लेकिन जब गोदाम में पहुंचती है तो ९८ से ९९·५ किलो का होता है । मैंने एक दो दफा इस बारे में जिलाधीश से कहा । उन्होंने कहा कि यह मालूम है। सरकार की तरफ से उस बोरे पर चीनी बेंचने वाले को १·५५ प्रति बोरा दिया जाता है लेकिन चीनी कम होने से उसे साढ़े ५ रुपये प्रति बोरे का नुकसान होता है १ रुपया ५५ पैसे तो इस हालत में चीनी के वितरण में बड़ी गड़बड़ी होती है तो या तो कमीशन बढ़ाया जाय दुकानदार का या इस वितरण प्रणाली को खत्म करके खुले बाजार में कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि कंट्रोल में बिके । जब एक दुकान खाली होती है तो व्यापारी उससे हजार रुपया खर्च करके कोटा लेना चाहता है और हर कोई कहता है कि वह ईमानदारी से बेचेगा । तो हमारा कहना यह है कि एक दुकानदार को गांव में १० बोरी या २० बोरी महीने में मिलता है एक दुकानदार को उसमें करीब–करीब उसको ४५० रु० खर्च करना पड़ता है उसको मिलता है करीब ३१ रु० तो वह कैसे उसको बेचेगा । उसको ५, ६ रु० रोज के लिखने वाले को देने पड़ते हैं और ५·५० पैसा प्रति बोरी एवरेज नुकसान आता है । ब्लाक से लाने में एक रुपया मजदूरी का लग जायगा और अगर किसी मकान को किराये में लेता है या अपने घर में रखता है तो किराया पर भी उसका खर्च होगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इंसपेक्टर का खुले आम १०० रु० बंधा होता है तो ऐसी हालत में कैसे चीनी का वितरण ठीक हो सकेगा ? इसलिए इसको खुले बाजार में बेचा जाय और दाम बांध दिये जायं भले ही १०, १५ और २५ पैसे ज्यादा कर दिये जायं ताकि गांव वालों को आसानी से चीनी मिल सके बजाय इसके कि कंट्रोल में २·१५ पैसे मिले और वह भी पूरी न मिले और ब्लैक से लेनी पड़े उसमें भी ४·५० पैसे के हिसाब से मिले और वह भी बन्द कर ले जानी पड़े जिसमें पूरी तोल भी न मिले । यह प्रणाली पिछले कई सालों से चली आ रही है इस प्रणाली को आज भी चलाया जायेगा तो गांवों के रहने वालों को दिक्कत रहेगी शहर वाले को तो चीनी नहीं मिलती है तो हड़ताल कर देता है या दूसरे तरीके उसके पास है लेकिन गांव वाला क्या अपने खेत में न जाय, अपनी भैंस को न पाले, अपने घर को न जाये । उसके पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है । गांवों में किसान को एक कार्ड में एक किलो चीनी मिलती है चाहे उसके घर में १० आदमी हों, चाहे १५ आदमी हों, चाहे दो आदमी हों । लेकिन शहर में दूसरी प्रणाली है । तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस राशनिंग की व्यवस्था को हटा कर एक दाम आप तय कर दें ताकि गांवों में आसानी से चीनी उपलब्ध हो सके । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक बात माननीय सदस्यों से कह दूं कि केवल एक घंटा बहस के लिए है। ४ बजे भगवती प्रसाद सिंह जी बोलेंगे और उसके तत्काल बाद मंत्री जी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ४ बजे विवाद खत्म हो और ५ बजे तक पूरा हो जाय। ५ बजे दूसरा काम शुरू होगा। इसलिए केवल ५, ६ मिनट प्रत्येक सदस्य को मिलेंगे। (व्यवधान) ५ मिनट रख लें तो ज्यादा ठीक होगा। अतः ५ मिनट में खतम करें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

तो मैं कह रहा था ....

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता—

आप एजेन्डे को देखिए, आज काम बहुत है, यह सम्भव नहीं है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

पिछले ३० सालों में कांग्रेसी शासन काल में खाद्य विभाग में कितना अधिक भ्रष्टाचार था, उसका सिर्फ एक नमूना इस सदन के सामने में रखकर सरकार का ध्यान उस ओर खींचना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार अब कोई ऐसा कदम उठाये कि वह पिछले ३० साल के कूड़े को जल्द उठाकर जनता को राहत दे।

मान्यवर, मैं बस्ती जिले से आता हूं, बस्ती जिले में बांसी स्थान है उस निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्णकार ब्रदर्स नाम से एक समिति चल रही थी जो कि फर्जी थी। १९७३ में जब इसकी जानकारी हम सब लोगों को हुई तो हम लोगों ने उसके खिलाफ एक आवेदन-पत्र दिया। उस पर जांचोपरान्त तहसील से रिपोर्ट हुई कि फर्म फर्जी है, उसे कैंसिल कर दिया जाए और दूकान निरस्त कर दी जाए। लेकिन मान्यवर, फर्म को चलाने वाले प्रभावशाली लोगों ने जिला पूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित सारी फाइलों को गायब करवा दिया। फिर सन् ७५ में इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया, उस पर विजीलेंस की इंक्वायरी सेट-अप हुई। उसके परिणामस्वरूप यह रिपोर्ट सरकार को की गई वह फर्म फर्जी है और फर्म से सम्बन्धित लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और दूकान निरस्त कर दी जाए। उसके बाद इमरजेंसी लगी, सारी फाइलें दबा दी गईं। मान्यवर, फिर सन् ७७ में ३० मार्च को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर में उस समय के खाद्य मंत्री जी ने, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कोई क्या मुकदमा उक्त फर्म के खिलाफ कायम हुआ है? उत्तर दिया गया कि ऐसा मुकदमा २९ जुलाई, ७५ को बांसी थाना में कायम किया गया है। इस पर मैंने जाकर मालूम किया, तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई मुकदमा यहां कायम नहीं हुआ है।

इस बार जब मैं चुनकर आया तो मेरे ३० अगस्त, ७७ के प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में गृह मंत्री की ओर से बताया गया कि बांसी थाने में कोई मुकदमा इस तरह का कायम नहीं है। एक मंत्री का उत्तर आता है कि मुकदमा कायम किया गया है और दूसरे मंत्री जी का उत्तर आता है कि मुकदमा कायम नहीं

किया गया है । तो इस तरह का भ्रष्टाचार पिछले ३० सालों में हर जिले में सैकड़ों की तादाद में आपको व्याप्त मिलेगा । मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर उसे जनता को सही राहत देनी है तो इस तरह के भ्रष्टाचार जो पिछले ३० साल के अन्दर किये गये हैं और फाइलों में दबे हुए हैं, इस तरह के मामले उभाड़ कर सामने लाए जांय और जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए । मान्यवर, २२ सितम्बर को मैंने एक आवेदन-पत्र शासन को दिया है कि इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार हैं और खासकर स्वर्णकार ब्रदर्स नाम की फर्म का मामला है, जिसमें बहुत प्रभावशाली लोग हैं, जिसमें भू० पू० केन्द्रीय मंत्री जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, वह तक शामिल हैं, उनकी कड़ाई से जांच की जाए और जांच होने के बाद ये मामले सदन के सामने लाए जायं । मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ अनुदान का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर से मंत्री जी के भाषण को सुना । हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि कंट्रोल हम समाप्त करेंगे, लेकिन जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर जी कहते हैं कि जब तक प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, प्राईज के ऊपर और कंजप्शन के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर लेंगे, तब तक कन्ट्रोल समाप्त नहीं होंगे । तो इसके बारे में हम आशा करते हैं मंत्री जी कोई खुशखबरी सुनाएंगे कि चीनी पर से कंट्रोल हटे, चीनी की कोई कमी भी नहीं है, अगर कंट्रोल हट जाता तो बेकारी की मुसीबत जो गरीब आदमी को उठानी पड़ती है, दिन भर दूकान पर बैठे रहने की वह दूर हो जाती । इस तरह की कोई चीज नहीं कही ।

चावल के जो मिल मालिक हैं उनसे लेवी ली जाती है जिसमें पालिश चावल पांच फीसदी रखते हैं । लेकिन उसमें बाजार में बेचने के लिए उन पर कोई प्रतिशत तय नहीं है । इसमें स्वास्थ्य अधिकारी उनको तंग करते हैं । सैनिटरी इंस्पेक्टर चालान करते हैं, इस तरफ मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए ।

दूसरी बात मिलावट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । चने की दाल में बड़ा भारी झगड़ा होता है, खेसारी दाल जिसको मटरी कहते हैं जिस पर बड़ा वाद-विवाद चल रहा है, घाघरा और शारदा नदियों की तलहट में फसलों में मटरी छिटक दी जाती है, वहीं इसको खेसारी कहते हैं, कहीं-कहीं अकसा कहते हैं । यह गरीब आदमी का एक तरह से भोजन है मवेशी भी खाते हैं वह दाल बना कर खाता है । प्रदेश के काफी हिस्से में यही दाल बोई जाती है । इसके बारे में निर्णय ले लेना चाहिए ।

मैं खीरी जिले की बात कह रहा हूं वहां पर सैनिटरी इंस्पेक्टर और सी० एम० ओ० मिलावट के नाम पर लोगों से पैसा लिए हैं । हर दूकानदार से सैनिटरी इंस्पेक्टर ने तय कर रखा है तीन सौ रुपया महीना । सी० एम० ओ० ने चालान किया है, जो दो तीन चार महीने पहले सी० एम० ओ० थे, उनकी बात कह रहा हूं । वर्तमान सी० एम० ओ० की नहीं । इसमें लाखों रुपया भ्रष्टाचार

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षा नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद—]

में लिया जाता है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य विभाग से भी परामर्श करना होगा। स्पष्ट इसमें नीति घोषित करे। धान का समय है, उसमें मटरी छिड़क देते हैं, वह तैयार हो जाती है। किसान डरता है कि कहीं चालान न हो जाय। इसलिए इस बारे में उनको स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए।

मान्यवर, एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो कमेटी बनी हुई है न्याय पंचायत में, जिसके परामर्श से लाइसेन्स शकर के दिये जाते हैं, उसमें सरपंच और सभापति होते हैं। जिन लाइसेन्सदारों की सिफारिश करते हैं, नम्बर १, २, ३ करके भेज देते हैं। यह काम नये लाइसेन्स देने का तहसील में भेज दिया गया है। लाइसेन्स देने का काम हाकिम परगना करेंगे। वैसे ही उनके पास काम-कम था एक काम और लाद दिया। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि विधान सभा सदस्य भी क्षेत्र में जायं जब किसी की शिकायत हो किसी दूकानदार के खिलाफ तो लिख कर भेजें उसका लाइसेन्स कैंसिल कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से करेंगे जब अपने नियम बना दिया है कि न्याय पंचायत का सरपंच और सभापति उनके मशविरे से दूकान होगी उसमें किस तरह से एम० एल० ए० का मशविरा होगा, अगर वह कमेटी कहती है कि नहीं, वह ठीक है। इसको आप देखें और दूर करें।

एक बात और कह कर खत्म करता हूं, मंत्री जी ने कहा कि रेट घट रहे हैं। जो आज बाजार में जाता है खरीदत हैं, साफ है कि रेट बिलकुल नहीं घट रहा है, जहां तक कड़वे तेल का सम्बन्ध है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि रेट प्रोडक्शन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। पिछले साल लाही और सरसों बहुत कम पैदा हुई, माहू लग जाने से नष्ट हो गयी। इसके लिए कृषि विभाग को चाहिए यह तय कर दे कि दस बिस्वा या एक बीघा लाही या सरसों जरूर बोये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)—

मान्यवर, आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जितना कम समय ले सकें उतना अच्छा है। नियम ५१ सहित ५ बजे समाप्त कर देना है। ५ बजे के अन्दर यह सब है और भी कार्यक्रम हैं।

श्री राम प्रताप शास्त्री—

मैं ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा। खाद्य समस्या का प्रश्न चल रहा है। जहां तक मैं समझता हूं कि यह बड़ा भ्रष्ट महकमा है, इसकी आलोचना सारे देश में हो रही है। चीनी के सम्बन्ध में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि देहात का कोटा लेने वाले शहर में कोटा बेच कर चले जाते हैं। मान्यवर, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ भाग इन्सपेक्टर को देना होता है, कुछ भाग ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० का रहता है तथा यही नहीं कुछ भाग दरोगा का भी रहता है। दूध के पानी जैसा मसला है। एक किलो दूध दरोगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के यहां गया तो एक किलो पानी दूध में डाल दिया गया और फिर एक किलो दूध इन्सपेक्टर साहेब के यहां गया तो फिर एक किलो पानी उसमें डाल दिया गया। इस प्रकार से वह दूध पानी का पानी हो जाता है। यही दशा उसकी है। चीनी क कोटा किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। यह मेरी स्वयं की जानकारी है। मैंने इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण एक डीलर का कोटा कैंसिल करवा दिया था, उसने मेरे पास बहुत सिफारिश करवायी तो मैंने उसको त्योहार में चीनी बंटने के लिए ए० डी० एम० से कह दिया था। वह डीलर त्योहार में १० किलो चीनी लेकर मेरे घर पर आया और कहा कि त्योहार के लिए चीनी लाया हूं तो लोगों ने कहा कि आप इस चीनी को ले जाइये नहीं तो अगर शास्त्री जी को मालूम होगा तो आफत आ जायेगी। तब वह चीनी वापस ले गया। मैं कहना चाहता हूं कि चीनी के वितरण की हालत यह है। मैं तो यह कहता हूं कि इस विभाग को समाप्त कर दिया जाये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इतना भ्रष्ट विभाग रहे। अगर आपको व्यवस्था करनी है तो जिलाधिकारी के माध्यम से इसकी व्यवस्था करें। डी० ए० ए० वगैरह की कोई जरूरत नहीं है और जो इनके पास इतना बड़ा स्टाफ रहता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मेरा एक सुझाव यह है कि विगत कांग्रेसी सरकार ने देहात की २३ प्रतिशत से अधिक भूमिहीन मजदूरों के लिए जो सस्ता गल्ला नहीं दे पाई हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि वे गल्ला सस्ती कीमत पर ले सकें। अतः सरकार उनके लिए सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाये।

दूसरी बात यह है कि जिन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को ठेके पर उठा रखा गया है, उन्हें तुरन्त खत्म किया जाय।

सरकार जो गल्ला लेती है, उसके रख–रखाव की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसा जमा किया हुआ गल्ला सड़ जाता है और उसमें चूहे लग जाते हैं कंकड़ मिला दिया जाता है जिससे गरीब आदमी भी यह महसूस करता है कि यह गल्ला खाने लायक नहीं है। आप जो गल्ला खरीदते हैं, वह कम न हो, सुरक्षित रहे। इससे गल्ला उपभोक्ताओं को पूरा–पूरा मिल सके। कम होने से बच सके। शोध संस्थान इस ओर ध्यान दे। चीनी पर से कंट्रोल समाप्त करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसे आप अवश्य करें। आपने ६० प्रतिशत चीनी मिल मालिकों को बाजार में बेचने की छूट दी और कुछ सस्ते गल्ले की दुकानों पर बेचने के लिये दी। श्री जयप्रकाश जी के आन्दोलन के समय पर हमने और अपने कसमें खाई हैं। माननीय मंत्री जी और मैं, आप याद कीजिये, एक समिति में हम दोनों थे। उसमें हमने घोषणा की थी कि हम चीनी के वितरण की व्यवस्था में सुधार करेंगे और मिल मालिकों का एकाधिकार समाप्त करेंगे। यदि आप इस ओर ध्यान देंगे तो यह एक ऐसा कदम होगा जो विरोधी दल भी महसूस करेंगे कि हमारी जनता सरकार भी कोई नया काम कर रही है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि तेल की कीमतों का जिस प्रकार से निर्धारण किया गया है, वह युक्तिसंगत नहीं है। हमारे आगरा जिले में, जहां

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]—

तेल का काफी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, इमरजेंसी के पहले इसका दाम ५-४० रु० किलो था, इमरजेन्सी लागू होते ही इसका दाम १० रु० से ११ रु० तक हो गया। उसके बाद १९७६-७७ में चुनाव से पहले इमरजेन्सी में ही यह १३-१४ रुपये किलो बिकने लगा। तो इस तरह से इमरजेन्सी में ही तेल के दाम इतने बढ़ गये जब कि कर्मचारियों का बोनस बन्द कर दिया गया। वेतन वृद्धि रोक दी गई और निर्माताओं को मुनाफा कमाने की पूरी छूट दे दी गई। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि तेल की कीमतों का निर्धारण करते समय कास्ट आफ प्रोडक्शन का भी ध्यान रखा जाय ताकि हर आदमी को उचित दामों पर तेल उपलब्ध हो सके। इन शब्दों के साथ में बजट अनुदानों का पुनः समर्थन करता हूं।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके पास एक ऐसा विभाग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितना खर्च करते हैं, क्या आंकड़े बताते हैं, इससे मेरा मतलब नहीं है। इसको आप देखें। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वस्तु की शुद्धता को सर्व प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आज चाहे आप दूध, घी, अनाज, चावल, तेल आदि जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, जिनको गरीब, अमीर सभी खाते हैं, उनको पैसा खर्च करने पर भी शुद्ध सामान नहीं मिल पाता है। अतः आपका प्रयास यह होना चाहिये कि चाहे आप बाहर से ही क्यों न मंगायें, आप शुद्ध वस्तुएं उचित दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करें। आज आप देखें कि सस्ते गल्ले के वितरण में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। हजार में से शायद ही कोई एक आदमी संतुष्ट होगा जो यह कहे कि उसे शुद्ध सामान मिल रहा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे वह उत्तम और शुद्ध समझता है।

बंगले में तो तैयार होता नहीं है, हर चीज बाजार से लेनी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई आप रिसर्च की तरह से बात सोचें ताकि घी है, तेल है, वह शुद्ध मिल सके। अगर यह नहीं होता तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में मानव जीवन जिस प्रकार से चल रहा है और जिस प्रकार के खाद्य सामग्री में मिलावट का काम चल रहा है, उससे कोई अच्छा लाभ होने वाला नहीं है। आप जितनी शुद्धता लावेंगे, उतना ही अच्छा होगा।

दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि आपकी जो वितरण प्रणाली है उसमें व्यवस्था के लिहाज से यह सब से भ्रष्ट विभाग है। हजार में से एक भी आदमी को संतोष नहीं है। चीनी का वितरण, सीमेंट का वितरण या सस्ते गल्ले की दूकानों से खाद्य सामग्री का वितरण कहीं कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दें और दैनिक जीवन के जो वस्तुएं हैं, उनमें शुद्धता लावें। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं जो विरोध पक्ष की तरफ से रखा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। शक्कर के वितरण के लिए जो सरकार कोटा देती है गांवों को, वह पुराने परम्परागत सामन्तों तथा बड़े व्यापारियों को देती है, उन्हीं के हाथ में है। मेरा सुझाव है कि उनसे लेकर छोटे जो व्यापारी हैं बनिया, उनको दे या गांवों के जो हरिजन पढ़-लिखकर बेकार बैठे हैं उनको दे। लेकिन बड़े सामन्तों को न दें। भ्रष्टाचार इतना है कि व्यापारी को पूर्ति विभाग के हेड को भी कुछ देना पड़ता है, इन्सपेक्टर को बी० एल० डब्लू० को और विकास खंड अधिकारी को देना पड़ता है। इस पर विशेष ध्यान दें।

सीमेंट की वितरण प्रणाली में जो दोष है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आप देखें कि जब सीमेंट की आवश्यकता होती है तो बाजार में लुप्त हो जाती है और जब आवश्यकता नहीं होती है तो काफी मात्रा में उपलब्ध रहती है। बरसात के शुरू में, मध्य में और अन्त में गांवों में सीमेन्ट जा नहीं पाती, उसकी कमी हो जाती है और तब उस पर ब्लैक होता है।

कपड़े के भंडार के बारे में कहना चाहता हूं कि कपड़े का स्टाक उपभोक्ता भंडार में होता है वह बिल्कुल घटिया किस्म का होता है। तीन बालिश्त की मारकीन होती है जिसका कुछ भी नहीं बन सकता। गांव के गरीब लोग जब साड़ी मांगते हैं तो उपभोक्ता भंडार में एक साड़ी नहीं रहती, जब धोती मांगने पुरुष जाता है तो धोती नहीं रहती। सारा कपड़ा मान्यवर, दूकानों पर चला जाता है। इतनी अव्यवस्था है कि कुछ हद नहीं। तहसील और जिले के स्टाक से समान नहीं मिलता है। जितने जन प्रतिनिधि हैं जिला स्तर पर वह सब ऊब से गये हैं। हमारे एक रिटायर आदमी को रख दिया गया है। माननीय सूचना मंत्री गए, उनको पकड़ा, कार में बैठाकर लखनऊ लाये, मालूम यही होता था कि कार्यवाही होगी, लेकिन वह खुले आम हमारे जिले फैजाबाद में शक्कर का वितरण करने वालों से ३० रुपया लेता है। मैंने खुद २-४ बार बाजार वालों को कहा। वह इतना करप्ट हैं कि कहा नहीं जा सकता। हमारे सूचना मंत्री जानते हैं लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सके।

अगर जन प्रतिनिधियों को जिले के सेन्टर्स के बारे में कोई शिकायत आपके पास आये तो मेरी प्रार्थना है कि आप तुरन्त कार्यवाही करें क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यहां पर आए हैं और वास्तव में मिटाना चाहते हैं। आपके मार्केटिंग इंसपेक्टर्स और सेनिटरी इन्पेक्टर्स बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं। जब से वे नौकरी में आए हैं यदि आप अपनी सी० आई० डी० या केन्द्र की सी० बी० आई० से जांच करायें या किसी अन्य अधिष्ठान द्वारा जांच करायें तो पायेंगे कि कैसे उनकी लाखों रुपयों की बिल्डिंग खड़ी हो गई है। जो मार्केटिंग इन्सपेक्टर्स हैं वे कोयले, सीमेंट और खाद्य के जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं उनसे हजारों रुपया लेते हैं। हमारे भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जानते हैं कि उनका ट्रान्सफर ८ मर्तबा शाहगंज से हुआ लेकिन वह सोर्स भिड़ा कर वहां पर बना हुआ है। उसने इतना रुपया कमाया है कि मुझे स्वयं हैरत हुई है उनकी हालत को देखकर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भगवती प्रसाद जी मेरा आपसे एक निवेदन है कि कटौती प्रस्ताव का उत्तर देते हुए जो भाषण यहां पर हुए हैं, उनकी तमाम सूचनाओं को लेना है। उसमें आप क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं ? जवाब देते समय आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। नये सुझाव न दें अन्यथा उसमें बहुत समय लग जायगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अधिकांश का तो उत्तर दे दिया है। अब जो आपने कहा है मैं उसी के तहत आता हूं। आघात प्रत्याघात इस प्रदेश को कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए कुछ सुझाव देने दीजिए ताकि विभाग को कुछ लाभ हो सके।

माननीय मंत्री जी ने छात्रों को उपभोग की सामग्री दिए जाने की बात कही। आपने कहा कि हम छात्रों को उपभोक्ता सामग्री देते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपने जो गांवों में कालेज हैं, उनके विद्यार्थियों को कोई उपभोक्ता सामग्री दी ? क्या इन कालेजों में पढ़ने वाले सभी धनवानों के बच्चे हैं ? न इन्हें कपड़ा चाहिए, न और चीज चाहिए ? आप इस समय केवल शहरों में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों को ही ये चीजें दे रहे हैं। जहां पर खुशहाल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो भूमिहीन और मजदूरों के बच्चे हैं, उनको दीजिए क्योंकि जब वे बाजार में जाते हैं तो उन्हें बहुत दाम देने पड़ते हैं।

दूसरे, आपकी चीनी की जो वितरण प्रणाली है, उसके बारे में जो आपने कहा कि उसे विकास खंड और इन्सपेक्टर के हाथ में दे दी जाय, मेरा निवेदन है कि इस वितरण प्रणाली से जो इसके वितरण में गड़बड़ी है, वह नहीं जा रही है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक गांव सभा में विधान सभा के जो प्रतिनिधि हैं, उनके हाथ में इसको दे दें तो भ्रष्टाचार में और दोषपूर्ण वितरण प्रणाली में कुछ सुधार हो सकता है। तब व्यापारी भी कुछ डरेंगे। हमारे यहां के जो इंस्पेक्टर्स हैं, वे हजारों रुपया कमा चुके हैं। मैं स्वयं परेशान हूं क्योंकि वे सारी चीजों को ब्लैक में करवा देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि अगर आप नई व्यवस्था नहीं करेंगे, समाजवाद टाइप की, तो इसमें सुधार नहीं हो सकता है। आपको विपक्ष वालों के लिए यह भी सोचना चाहिए कि उनकी गड़बड़ उनके साथ और आपकी गड़बड़ आपके साथ रहेगी।

मान्यवर, आपका बड़ा ही एडवान्स विषय है। अन्य विभागों की कमियों से जनता भूखों नहीं मरेगी, दरिया पर अगर पुल नहीं बनता है तो लोग नावों से चले जायेंगे, जंगल से अगर लकड़ी नहीं काटी जायगी तो लोग बिना लकड़ी के रह लेंगे लेकिन खाद्य सामग्री के बिना कोई नहीं रह सकता है। आपकी व्यवस्था में हर मनुष्य सम्बन्धित है, आपकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति देश और प्रदेश में ऐसा नहीं है जो आपकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ न हो। यह विभाग देश और प्रदेश में इतनी अहमियत की चीज है। आपको बहुत लोग समझते होंगे। खाद्य की कटौती देर में आयी है, कोई बोलने नहीं पाया है। सिंचाई विभाग २ दिन चला और खाद्य २ घंटे। तो आप नयी व्यवस्था समाजवादी मुल्कों से हासिल करें जो आज तरक्की कर रहे हैं और वहां की वितरण प्रणाली से सीख लेकर कार्य आरम्भ करें। यह जो ढकोसलेबाजी किताबों को छपाकर आप

कर रहें हैं इससे प्रदेश की जनता को अन्धी न करें, उनकी आंखों में धूल न झोंकें और उच्च अधिकारियों को निर्देश दें कि जसी व्यवस्था आपकी है...

श्री अधिष्ठाता--

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कोई नया प्रश्न होता तो हम कहते कि एक मिनट और ले लीजिए, लेकिन उस बात को आप दोहरा रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

इस नौकरशाही को धीरे-धीरे साफ कीजिए, जीने-दर-जीने साफ कर देंगे तो आपको ही साफ कर दगे जैसा कि कर रहे हैं। तो इनको दबाने की कोशिश करें, इसमें हिम्मत की जरूरत होगी। आप निर्भीक होकर सत्ता चलायें। कोई दूसरा भले आ जाय। आप जिनको फासिस्ट कहते हैं, मैं भी जेल में ८ महीने रहा हूं, वह आ जाय, आप हट जायं, लेकिन ये अधिकारी जो लूट-लूट कर मालामाल हो रहे हैं इनको छूने की हिम्मत करें यही आखिरी रिक्वेस्ट है।

एक सदस्य--

अधिष्ठाता महोदय, एक प्रश्न है कि जिन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिला, क्या ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि मंत्री जी को लिख कर दे दिया जाय तो वह उस पर गौर करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी को हमेशा लिख कर भेज सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव दिए हैं, उनमें से बहुत से उपयोगी हैं, मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। जहां तक यह बात है कि मैंने विपक्ष पर चोट-कसी है तो मेरे शब्दों में ऐसी कोई बात नहीं थी। यह अवश्य है कि पृष्ठभूमि के नाते पिछला जो कुछ भी मिला है वह आधार है उससे आग बढ़ना है। इसलिए उसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, मेरा विषय ऐसा है कि जिसमें सर्वाधिक जनहित जुड़ा है। इस नाते राजनीति से परे होकर पक्ष, विपक्ष की बात न सोच कर जो वास्तविक था, वही उल्लेख किया है।

सुझाव बड़े उपयोगी आये हैं लेकिन भगवती प्रसादसिंह जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनके सम्बन्ध में मित्रवत् उनसे कुछ कहना चाहूंगा। वह भी पूर्वी जिलों से आये हैं जिनमें २५ साल तक मैंने अलख जगाया है। मेरी जिन्दगी से अगर थोड़ा सा गहराई में जायेंगे तो अच्छी तरह से परिचित होंगे। बस्ती, गोरखपुर जिलों में बहुत से कम्युनिस्ट मित्र थे, उनसे वे बात करें तो उनकी समझ में आयेगा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां के पढ़े-लिखे लोग हमको नहीं मिल पाते थे। जितने नंगे भूखे और पीड़ित लोग हैं, वही हमारा साथ देते हैं। एक समय था जब निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग स्टेशंस पर वोटर लिस्ट पढ़ने के लिए मुझे विद्यार्थी लोगों को बुलाना पड़ता था। इसी से समझ लीलिए कि किन लोगों में मैंने काम किया है। साथ ही कम्युनिस्ट लोगों के साथ भी मैंने काम किया है। इसलिए इजारेदारी की बात, सरमायेदारी की बात सदन के अन्दर मित्रवत् एक व्यंग की बात हो सकती है, लेकिन मेरे साथ वह चीज चल नहीं पायेगी। अब रही बात इसकी कि वह उनका अभ्यास है, कम्युनिस्टों का बिना

[श्री हरिश्चन्द्र]

इजारेदारी, सरमायेदारी कहे उनका कथन पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

जहां तक गांव की बात है, मैं गांव से चुनकर आया हूं । पूर्वी जिले के गांव का इलाका है । पिछले २५ वर्ष तक इसमें मैंने काम किया है । कार्यभार संभालने पर जो पहला काम मैंने किया वह यह कि कागज पर जहां कहीं शहर, गांव लिखा है उसको काट कर के गांव शहर कर दिया जाय । जितने आदेश जाते हैं मैंने कहा कि गांव, शहर लिखा जाय । बस्ती जनपद की ३२ लाख आबादी है । इसमें से ३१ लाख गांवों में रहते हैं और १ लाख शहर में । ३१ लाख जब मजबूत हो जायेंगे तो १ लाख को कन्धे पर लाद कर पहाड़ पर चढ़ जायेंगे लेकिन १ लाख कितना भी मजबूत हो जायं, ३१ लाख को नहीं उठा सकेंगे । गांव और शहर में मैं कोई बड़ा भेद नहीं मानता हूं लेकिन तरक्की का रास्ता गांव से शुरू करना चाहता हूं । इसलिए गांव के सम्बन्ध में मेरे मित्र कोई भ्रम न रखें ।

कुछ बड़े उपयोगी सुझाव आये हैं । जहां तक कपड़े की बात मेरे मित्र ने कही, मेरा ध्यान उस तरफ है । कंट्रोल का कपड़ा जो दिया जाता है, मैं जरूर देखूंगा कि मिल मालिक घटिया प्रकार का कपड़ा दे कर कंट्रोल के नाम पर बेच रहे हैं । उसमें अगर किसी प्रकार की कमी देखी जायगी तो मैं आश्वासन देता हूं कि आवश्यक कार्यवाही की जायगी । शाहगंज का मामला उन्होंने बताया । मेरे सामने जब मामला आया तो मैंने पूरी तरह से कार्यवाही की है और मेरे मित्र भगवती प्रसाद सिंह जी मुझे मिलेंगे तो मैं डिटेल में उनके सामने यह चीज रख दूंगा ।

कुछ और चीजों के सम्बन्ध में बात कही गई । दुकानें जो दी जाती हैं उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आये । कुछ मित्रों ने कहा बहस के लिए मौका नहीं मिला । मैंने जुलाई से सितम्बर तक का जो साइक्लोस्टाइल्ड पेपर तैयार किया है वह पूरा अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर कहने में कुछ कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति हो जायगी । लेकिन जो दुकानों के सम्बन्ध में कहा गया है, मैंने इंसपेक्टर और सप्लाई दफ्तर को इससे हटा दिया है । एक आरोप था कि सप्लाई इंसपेक्टर खाते हैं । मैं भी इसको समझता हूं और इसीलिए सप्लाई दफ्तर से उनको मुक्त कर दिया । हर महीने सप्लाई दफ्तर में दुकानदारों को जाना पड़ता था । मैंने कर दिया है कि अब साल भर का आवंटन एक ही बार में हो जाया करेगा । इसके लिए हर महीने सप्लाई दफ्तर जाने से उसको छूट दिला दी । इससे थोड़ा परिवर्तन आया है । साथ ही अब दुकान देने का तरीका बदल गया । ग्राम सभा कुछ नामों को जो दरख्वास्त देंगे उन्हें फारवर्ड (अग्रसारित) करेगी, पहले वह रेकमेन्ड (सिफारिश) करती थी । तहसील पर जो समिति बन रही है जिसमें बी० डी० ओ०, तहसीलदार, हाकिम परगना और ५ वह मित्र हैं जो विधायकों के नामिनी होंगे, अब आपका हाथ उसमें शामिल हो जायगा, वह उन दरख्वास्तों की जांच करेगी और उसके बाद लाइसेंसिंग अथारिटी जो हम और आप नहीं हो सकते, वह एस० डी० एम० हो सकता है, उनको लाइसेन्स देगा । एक परिवर्तन और कर दिया । पहले कमिश्नर अपीलेट अथारिटी और डी० एम० लाइसेंसिंग अथारिटी होता था । अब डी० एम० अपीलेट अथारिटी और एस० डी० एम० लाइसेंसिंग अथारिटी कर दिया गया है । तहसील की समिति के अन्तर्गत काम को बांट दिया है । इसमें इन्सपेक्टर को इस तरह से

अलग कर दिया है। पहले सप्लाई दफ्तर के १२ बार चक्कर लगाने पड़ते थे अब उसको कम करके एक बार कर दिया है।

(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जहां तक गोदाम का प्रश्न है, उसके लिए जिले में अपना पड़ता था। अब उसे तहसील केन्द्र पर लाने की बात है और बड़ी तहसीलों में ब्लाक लेविल पर ले जाने की बात एफ० सी० आई० से कर रहे हैं।

हमारे भाई हर प्रताप सिंह जी ने सुझाव दिया था। दुकानदारों के कमीशन के बारे म कि उनको उचित कमीशन नहीं मिलता है। अब क्या कमीशन और दिया जायगा, लेकिन ईमानदारी से अगर कोई रहना चाहे और दूकानें अच्छे लोगों के हाथ में, तहसील के स्तर की समिति की संस्तुति के बाद मिलेंगी, तो डिफरेन्स १.६६ पैसे का जो है, मैं कोशिश में लगा हूं यह बढ़ जाय। महाराष्ट्र, गुजरात में अन्तर ज्यादा है। ढुलाई चार्जेज बहुत कम मिलते हैं, ५ मील तक कोई चार्ज नहीं है। पांच मील के बाद एक रुपया शुरू होता है। पहले होल-टाइम जाब यह था, सुबह शाम ये दूकानें खुला करती थीं। लेकिन अब टाईमिंग में परिवर्तन कर दिया गया है। गर्मियों में ७ बजे से १२ बजे तक और जाड़े में ८ बजे से १ बजे तक कर दिया गया है।

भाई भगवती प्रसाद सिंह जी ने गांव की बात कही है, जो मैंने साइक्लोस्टाइल पेपर दिया है, उसको अगर पढ़कर देखें, तो उसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों/कालेजों से सम्बद्ध छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को राशन कार्ड पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की सम्पूर्ति की जाने की बात कही गई है। शहर में था, गांवों में नहीं था, लेकिन हमने गांव में उसका प्रबन्ध कर दिया है। पहले श्रमिक क्षेत्रों में उसका प्रबन्ध नहीं था, श्रमिक क्षेत्रों के लिए भी कह दिया गया है।

भाई रघुबर दयाल और भगवती प्रसाद सिंह जी ने दूकान देने की प्रायरिटी का जिक्र किया, मैंने यह प्रायरिटी अब बनाया है। वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से दिनांक २० अगस्त, १९७७ को दूकानों के आवंटन में पुनः प्राथमिकता निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि हरिजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनैतिक बंदियों, मीसा या डी० आई० एस० आई० आर० के बंदियों की सहकारी समितियों व तत्तपश्चात् ऐसे राजनैतिक या मीसा या डी० आई० एस० आई० आर० बंदियों, जिन्होंने कम से कम ६ मास का कारावास भोगा हो, आजाद हिन्द फौज के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, लड़ाई में मारे गए सैनिक परिवारों के आश्रितों आदि को प्राथमिकता दी जायेगी और इनके बाद ही अन्य निजी फुटकर विक्रेताओं को दूकान आवंटित की जा सकेगी। सबसे पहले उन समितियों के लिए कहा गया है, चाहे वह खेतिहर मजदूर अपनी कोई समिति बना लें, प्राथमिकता इस प्रकार से निर्धारित कर दिया है।

मिलावट को रोकने का कार्य शोध संस्थान द्वारा विचार कराने की बात स्वीकार करता हूं। गोदामों का रख-रखाव, जिससे सामान कम से कम नुकसान हो, मिलावट जिससे व्यापारी न कर पायें, ऐसा कोई प्राविधान हो, शोध संस्थान इस विषय को देखेगा। जहां तक मिलावट के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है, उसमें कड़ी कार्यवाही की गई है। उसकी शिकायत आने पर जो मिलावट

[श्री हरिश्चन्द्र]

करेगा, निश्चित रूप से वह सजा का भागी होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा। बांसी के बारे में भाई विश्वनाथ जी ने जो बात कही थी, मैं उसकी पूरी छानबीन करूंगा। खेंसारी के संबंध में भी बात कही गई, स्वास्थ्य विभाग उससे जो हानि हो रही है, उसके सम्बन्ध में विचार कर रहा है।

जहां तक चीनी के वितरण का प्रश्न है, गांव और शहर में बराबर वितरण होना चाहिये, जैसा भगवती प्रसाद सिंह जी ने कहा, तो मैंने पहले कहा था कि जो आवंटन पहले से चला आ रहा है उसमें गांव और शहर का भेद है। कुछ मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि चोट कर रहे हैं। मैं सूचना दे रहा हूं कि अब परिवर्तन लाया जायगा और जो ज्यादा चीनी मिलेगी उसको गांव को दिया जायगा। यह करने के लिये आप, सबको मिलकर सोचना होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांव और शहरों के लोगों में इस सम्बन्ध में भेद रखा गया है जो ठीक नहीं है। ज्यों-ज्यों आवंटन बढ़ता जायगा मैं गांव की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि विषमता कम होती जाय और यहां तक कम हो कि खत्म हो जाय। आप कहेंगे कि चोट कर रहा हूं। मैं नहीं समझता कि हरियाणा में वही सरकार थी लेकिन ऐसा क्यों नहीं रखा? पंजाब में वही सरकार थी लेकिन विषमता क्यों नहीं रखी। गुजरात में वही सरकार थी लेकिन कोई भेद नहीं रखा। तब यू० पी० में न जाने क्या बिगड़ गया था कि गांव और शहरों में भेद रखा गया। आप ऐसा बिगाड़ कर गये कि समय लगेगा बनाने में। हम कोशिश कर रहे हैं कि बन जाय। आप कहेंगे कि मैं चोट कर रहा हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग व्यवधान न कीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, एक सुझाव रह गया कि चीनी और सीमेंट के बोरे में झरण हो जाता है। मैं स्वीकार करता हूं कि झरण हो जाता है। इससे मात्रा कम हो जाती है। मैंने इस चीज के बारे में ध्यान दिया है। रशिया से जो बीमारियां आई हैं, इस सम्बन्ध में मैं देख रहा हूं। इसमें बोरों में ऐसी चीज लगा देते हैं जिसके कारण झरण नहीं होता है।

एक सदस्य पालीथीन है—

श्री हरिश्चन्द्र—

पालीथीन नहीं है, दूसरी चीज है। पालीथीन तो महंगा पड़ता है। तो इस विषय पर मैं विचार कर रहा हूं कि ऐसी बोरियां मिलों में बनाई जायं और ऐसा कपड़ा लगा दिया जाय जिससे सीमेंट और चीनी का झरण न हो।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जैसा कहा कि गांव और शहरों में जो भेद है इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास क्या है? चीनी के सम्बन्ध में क्या प्रयास किया है?

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, जब गांव का आदमी इन चीजों को पैदा करता है तो गांव वालों को कम क्यों दिया जाता है? यह अन्याय क्यों है?

श्री हरिश्चन्द्र--

मैं जो अब तक अन्याय हुआ उसको स्वीकार करता हूं। इस अन्याय को समाप्त करने के लिये मैं आपके सहयोग की याचना करता हूं। मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार गांव के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ है और इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। इसमें दो बातें हैं। एक तो उत्पादन बढ़ जाय और गांव को मिलने वाली मात्रा बढ़ती जाय। दूसरी बात यह है कि मैंने पता किया है कि क्यों नहीं चीनी मिलती है। तो स्थिति यह है कि गांव में राशन कार्ड तक नहीं बने हैं। बने भी हैं तो दूकानों में या ठेकेदारों के पास पड़े हैं। यह समस्या है तो १५ दिन का अभियान मैं उठाने जा रहा हूं जिसमें गांव में सभी अधिकारी जायेंगे। मैंने आपको भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है कि बजट सेशन खत्म होने के बाद आप जायं और मदद करें। अधिकारी देखेंगे कि कि के पास राशन कार्ड नहीं है। जि के पास नहीं है, उनको कार्ड मौके पर बनवाया जायगा। जो भी चीनी अब हमको मिलेगी सेंटर से तो गांव में मात्रा बढ़ाते जायेंगे। इस भेद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। २८ हजार टन जो चीनी का आवंटन है उसके ३७ हजार टन हो जाने की संभावना बढ़ी है। तो अब जो भी बढ़ोतरी होगी उससे गांवों म मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि सस्ते गल्ले की दूकानों का आवंटन होगा उसमें उन्होंने बताया कि इस हिसाब से प्राथमिकता दी जायगी। आपने बताया कि मीसा के अंदर जो बंद रहे हैं उनको भी प्राथमिकता दी जायगी। तो मान्यवर, मीसा में ब्लेक मार्केटियर्स और स्मग्लर्स भी बंद रहे हैं, तो क्या आप इनको भी प्राथमिकता देने जा रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्र--

आप आदेश में देख लें। 'राजनैतिक बंदी' स्पष्ट लिखा है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो चावल है उस पर जो लेवी लगेगी तो कितनी लगेगी?

श्री हरिश्चन्द्र--

चावल का जोन एक हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश का चावल दूसरे प्रदेशों में जायेगा जैसे कि गेहूं का एक जोन बना दिया है। हमारे सामने कठिनाई है एक जोन बन जाने के कारण यहां का चावल और जगह भी जायेगा। लेवी जो ७० प्रतिशत ली जाती थी उसकी मात्रा को अब हम कम करने जा रहे हैं जिससे मार्केट में चावल और उपलब्ध हो जायेगा।

श्री राज बजराज सिंह (जिला खीरी)--

मैं एक बात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों की अनुमति नहीं है क्योंकि अभी मतदान भी कराना है।

श्री राज बजराज सिंह--

मान्यवर, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो चीनी वितरण में समानता लाने की बात आप कह रहे हैं तो शहरों में जो प्रति यूनिट एक किलो और देहात में आधा किलो प्रति परिवार है। तो इस विषय में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति यूनिट चीनी की मात्रा बढ़ाने को तैयार है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी आपको ४.५५ पर अपना भाषण समाप्त कर देना है।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, जो कुछ सुझाव आये हैं उनका उत्तर मैंने दे दिया है, इसलिये मैंने अपना भाषण पूरा कर दिया है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो व्यक्तिगत बात कही है तो मैंने सरकार और मंत्री के ऊपर कहा है। हमने आपके ऊपर निजी आक्षेप नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष--

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

वापस ले लिया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री भगवती प्रसाद सिंह को अपने तीनों कटौती के प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से कटौती के तीनों प्रस्ताव वापस लिये गये।)

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं। मत विभाजन के समय दो शब्द कहने का कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०--वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४९,२१,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१-खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९१,४४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८१--खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति से लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८०,५७,८५,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राम नरेश पाण्डेय, श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर आर्य, श्री बांके लाल, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह द्वारा जो सूचना मिली है, उसको मैंने स्वीकार किया है। यह इस प्रकार है दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को गोंडा जनपद, फैजाबाद की सीमा पर थाना क्षेत्र, नवाबगंज के अन्तर्गत टेढ़ी और सरयू नदी के बीच डाकुओं के एक गिरोह और पुलिस की मूठभेड़ में थानाध्यक्ष, श्री राम नरेश मिश्र तथा दो अन्य सिपाहियों का मारा जाना। माननीय मुख्य मंत्री इसमें शीघ्र ही वक्तव्य देने के लिए सूचित करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

कोई मंत्री नहीं है। कौन बतायें ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)--

बताना क्या है। आदेश हो गया।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर सिंचाई मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं। कोई आवश्यक नहीं कि मुख्य मंत्री ही यहां पर हों। यह सूचना मिल गयी है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आपने सूचना मुख्य मंत्री को दी होगी। उसके राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं। मुख्य मंत्री नहीं आये तो उनको आना चाहिए था। कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार यह प्रश्न उठा रहे हैं। आप निर्देश दें कि कितनी बार आपको परेशान करें कि मंत्री लोग आया करें।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ा आमूल परिवर्तन परिस्थितियों में हुआ है। आपको भी यह समझना चाहिए कि इस पक्ष के लोगों को थोड़ा समय लगेगा अपने को एडाप्ट करने में।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आज मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उसमें वह व्यवस्था चाही थी कि दर्शकदीर्घा में ऐसे लोग चले आए हैं....

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपको व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। आपने यह प्रश्न मेरे सम्मुख रख दिया है। मुझे थोड़ा अवसर दीजिये। जिस वक्त मौका होगा तब मैं इस पर अपनी व्यवस्था दूंगा। मेरे सामने है। मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है। आपका काम तो समाप्त हो गया।

न्याय एवं कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, आपने जिस ओर संकेत किया है, उस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। जो सदस्य मंत्री परिषद् के बैठे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है, सदन में क्या हो रहा है उन तक पहुंचाना। माननीय सदस्य बार-बार यह प्रश्न उठाते हैं तो पहले भी यह परम्परा रही है कि सब मंत्री एक साथ सदन में सुबह से लेकर शाम तक नहीं बैठते थे।

मान्यवर, आपकी जो आज्ञा है, जो विभागीय मंत्री जी नहीं रहते, उन तक पहुंचा देते हैं और आपके विभाग के माध्यम से भी वह उन तक पहुंच जाती है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी होते तो समय निर्धारित हो जाता और आपके सामने तय हो जाता। कितनी दिक्कत पड़ रही है?

श्री अध्यक्ष—

नियम में यह लिखा है कि उसी समय संक्षिप्त वक्तव्य या समय ले सकते हैं। यह ठीक है मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन जब ५१ की सूचना स्वीकार की जाती है तो सम्बन्धित मंत्री जी को उसकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है तो उनसे यह आशा की जाती है कि यदि कोई आवश्यक कार्य से बाहर न गये हों तो उनको ५-०० बजे या जिस समय सूचना ली जाती है, इस बात का प्रयास करना चाहिये कि सदन में उपस्थित रहें। ठीक है, मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन यहां पर राज्य मंत्री को होना चाहिये या उप मंत्री हैं, उनको यहां होना चाहिये। वैसे ठीक है, टेकनिकली संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन आप कोई एक तारीख तो नहीं बतला सकते कि कब दिया जायेगा। इसलिये इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब सूचना चली जाती है तो जब तक अनिवार्य न हो, कि सम्बन्धित मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री को यहां पर रहना चाहिये।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, हम लोगों ने फर्रुखाबाद के बारे में नियम ५१ और ५२ में लगातार तीन दिनों से दे रहे हैं। हमारे यहां तीन दिनों के अंदर १८ हत्यायें हो चुकी हैं, हाहाकार मचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। इसको ५१ और ५२ के सम्बन्ध में नहीं उठा सकते हैं। ५१ में तो एक सूचना स्वीकार करनी है, जिसको स्वीकार किया

है और जिसको उस दिन के लिये पूर्ण समझता हूं और ५२ में मेरे कक्ष में आकर बात कर सकते हैं कि वह ग्राह्य है कि नहीं। इसलिये यहां औचित्य का प्रश्न नहीं है।

एक सदस्य—

मान्यवर, हम लोग आपके कक्ष में गये थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद नहीं है। इस समय सदन में इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

बहस नहीं, तो कुछ तो सुनें।

श्री अध्यक्ष—

इस समय इस पर नहीं। आखिर कोई नियम है। ऐसा नहीं है कि ४२५ लोगों को मौका दें। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

दीर्घाओं में सी० आई० डी० के लोगों द्वारा बिना प्रवेश-पत्र के जाकर सदन की कार्यवाही लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल की जो रिपोर्ट है उसे बता रहा हूं। "आज शून्य प्रहर में माननीय सदस्य, श्री शतरुद्र प्रकाश ने माननीय अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि सदन की विभिन्न दीर्घाओं में गुप्तचर विभाग के कर्मचारी बैठे रहते हैं और वे वहां पर बैठ कर सदन की कार्यवाही आदि नोट करते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। इस चर्चा के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने मुझे आदेश दिया कि ऊपर जा कर इस घटना के विषय में जांच कर के स्थिति से अवगत कराया जाय तथा ऐसे व्यक्तियों के भी नाम दिये जायें जो कि वहां पर बैठे कुछ नोट कर रहे हों। तदनुसार माननीय अध्यक्ष के आदेश पाते ही मैं तथा डिप्टी मार्शल सदन की विभिन्न दीर्घाओं में गये और वहां पर सादे कपड़ों में तैनात सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों से उनके प्रवेश-पत्र देखे। नीचे संलग्न पताका 'क' पर एक सूची* अवलोकनार्थ प्रस्तुत है जिसमें कि २३ व्यक्ति तो ऐसे थे जिनके पास कोई प्रवेश-पत्र नहीं था अथवा उनके प्रवेश-पत्रों की अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा १० व्यक्ति ऐसे पाये गये जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जारी हुए प्रवेश-पत्रों पर अपना नाम लिख कर दीर्घा में उपस्थित थे (इस प्रकार के प्रवेश-पत्र नीचे नत्थी हैं)।"

---

*(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६३३ पर।)

† छापे नहीं गये।

[श्री अध्यक्ष]

इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ को श्री नेकराम शर्मा द्वारा इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाये जाने पर सी० आई० डी० की दीर्घाओं में उपस्थिति के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि "उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि सदन की दीर्घाओं में गुप्तचर विभाग के कर्मचारी सन् १९३६ से नियुक्त किये जाते रहे हैं। .... उन को विधान सभा सचिवालय की ओर से उन की प्रार्थना पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाते हैं और वे उन प्रवेश-पत्रों के आधार पर दर्शक दीर्घाओं में उपस्थित रहते थे। गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों का कार्य मुख्यतः संदिग्ध व्यक्तियों की गति-विधियों पर ध्यान रखना है और दर्शक दीर्घाओं का दुरुपयोग कर के सदन या उसके किसी विशेष सदस्य पर आघात करने वाले व्यक्तियों पर ध्यान रखना है।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये दीर्घाओं में गुप्तचर विभाग के कर्मचारी वैध तरीके से ड्यूटी पर रह सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि उनके पास इस सचिवालय द्वारा जारी किया हुआ प्रवेश-पत्र होना चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में संबंधित सुरक्षा अधिकारियों का बिना प्रवेश-पत्र प्राप्त अथवा दूसरे व्यक्तियों के नाम जारी हुए प्रवेश पत्रों पर दीर्घाओं में उपस्थित रहना अत्यन्त अनुचित था।

जहां तक किसी व्यक्ति के दीर्घाओं में रह कर कार्यवाही नोट करने का संबंध है, आज मुझे इस प्रकार का कोई व्यक्ति वहां पर कार्यवाही नोट करते हुए नहीं मिला।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आज प्रभारी अधिकारी, सुरक्षा विधान भवन (श्री भार्गव) ने नीचे पताका 'ख' * पर रखे पत्र द्वारा कुछ कर्मचारियों के पास बनाये जाने की प्रार्थना की है जिसमें उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किन्हीं कारणों से जिन व्यक्तियों के नाम प्रवेश-पत्र पहले बनाये गये थे वह ड्यूटी पर नहीं आ सके। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि उनके स्थान पर आज ड्यूटी पर आये हैं प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जायेंगे। यह प्रार्थना-पत्र घटना के बाद प्राप्त हुआ है।

तो उनकी रिपोर्ट यह है। मैं श्री भार्गव और सुपरिनटेन्डेन्ट, पुलिस को भी आदेश देता हूं कि यह अत्यन्त अनुचित है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। जो गुप्तचर यहां दीर्घाओं में उपस्थित रहते हैं, उनको प्रवेश-पत्र ले कर ही आना चाहिये ....

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

बैठिये मैं बोल रहा हूं और जिन लोगों के पास प्रवेश-पत्र नहीं है उन का यह कार्य भी अत्यन्त अनुचित है कि बिना सचिवालय की अनुमति के दूसरों का नाम बदल करके वे अपना प्रवेश-पत्र बनायें। इसलिए मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भविष्य में इस तरह नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वैध प्रवेश-पत्र ले कर ही दीर्घा के अंदर उपस्थित हों।

---

*देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६२६ छः पर।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, १९७६ में संशोधन

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, १९७६ से नियम २(क) निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, यह नियमावली जब बनी तो उस समय इस प्रदेश में आप जानते हैं आपात स्थिति लागू थी और जिस प्रकार अन्य लोगों को सताये जाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी तरह इस पिछले शासन ने किसानों पर एक अजीब किस्म का बोझ लादने का प्रयास किया था कि चाहे कोई किसान सिंचाई करे या न करे, ट्यूबवेल से पानी ले या न ले लेकिन इसके बावजूद भी उस को अपनी कमांड एरिया के क्षेत्र के अन्तर्गत आने के नाते उसको २१ रुपया प्रति एकड़ का अधिभार देना पड़े । मान्यवर, यह भी एक विचित्र बात है कि इतना अधिभार लगाने के लिए पिछली सरकार ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सहारा लिया, उसका दुरुपयोग किया । जो विधायनी शक्ति इस सदन ने सरकार को दी थी, उसको उसने जानबूझ कर दुरुपयोग किया अन्यथा इस सदन के पटल पर इस सत्र में २६ अगस्त, १९७७ को उस नियमावली को नहीं रखा जाना चाहिये था । उत्तम यह होता जिस प्रकार कोई विधान निर्माण करने के लिए कोई बिल पेश किया जाता है इस सदन में और विधेयक पेश करने के उपरान्त वह ऐक्ट बन जाता है, ऐसा न करके पिछली सरकार ने जो विधायनी शक्ति उसको दी गयी थी उसका उसने इस्तेमाल किया । यह टैक्सेशन का सवाल था, किसानों के ऊपर कर लगाने का सवाल था लेकिन प्रति निहित विधायनी शक्ति का इस्तेमाल करके जिस प्रकार पिछले शासन ने किसानों की हालत को बिगाड़ने का कुचक्र रचा था, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में वह अत्यन्त निन्दनीय था और वह काली घड़ी थी ।

मुझे प्रसन्नता है कि आज इस सदन में इस बात पर विचार करने का हम सभी सदस्यों को अवसर मिला है । इस बढ़े हुए रेट पर विचार करने का अवसर आपने हमें दिया है, उस पर मुझे एक निवेदन सिंचाई मंत्री से करना था । बढ़े हुए रेट का एक दूसरा शेड्यूल है सिंचाई के सम्बन्ध में । उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से शेड्यूल है । जहां तक नहर के पानी का हिसाब है उसमें यह व्यवस्था है कि चाहे जितना पानी ले लिया जाय लेकिन ट्यूबवेल के पानी के सम्बन्ध में अब तक यह व्यवस्था थी जितना पानी किसान लेगा उसका वह उतना पैसा देगा । पिछली सरकार ने यह नियम बना दिया था कि किसान चाहे एक पानी पाये या चार पानी पाये लेकिन उसको सिंचाई का पैसा एक रेट ही पर देना पड़ेगा । मंत्री जी इस नियमावली के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था करा दें कि प्रदेश के किसान को जितने पानी की आवश्यकता होगी, उतनी आवश्यकता ट्यूबवेल पूरी करेगा और जो मौजूदा रेट हैं वह उनसे लिए जायेंगे । अगर सिंचाई के लिए इस प्रकार की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है तो जो मौजूदा रेट्स नियमावली के अन्तर्गत सिंचाई के लिए रखे गये हैं, वे बहुत ज्यादा हैं । उस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये और ६,००० गैलन प्रति रुपये से बढ़ा कर उसे १२,००० गैलन प्रति रुपया कर देना चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

जो संशोधन प्रस्ताव हमारे समक्ष आया है उस पर माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह ने अपनी भावना तथा विचारों को व्यक्त किया। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसी के जमाने में ट्यूबवेल कमान्ड एरिया के अन्तर्गत २१ रुपये प्रति एकड़ सिंचाई रेट निर्धारित कर दिया गया था और चाहे उसमें जितना भी पानी ले लेकिन उस सरकार ने इस कर को भी समाप्त कर दिया था। मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि इसको समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर पूर्ववर्ती सरकार ने १ रुपये में ६,००० गैलन के स्थान पर १२,००० गैलन प्रति रुपया की व्यवस्था कर दी है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस संशोधन की क्या आवश्यकता है। तो इसका भी स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी कर दें।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सचमुच ही किसान की दुश्मन सरकार ने इस तरह की व्यवस्था सिंचाई रेट की की थी जिससे इस प्रदेश के किसानों का बड़ा अहित हुआ। कल माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई का बजट पेश किया, उसमें यह कहा था कि मैं इस विभाग को व्यापारिक संस्थान नहीं बनाना चाहता और इसे सामाजिक और सार्वजनिक विभाग बनाना चाहता हूं इससे किसानों का सचमुच में लाभ होगा। इस वक्त जो देश का संगठित वर्ग है जिनके हाथ में संपत्ति और पूंजी है वह तो जरूर अपने संगठन से फायदा उठा ले रहा है लेकिन जो असंगठित किसान है जिसका समाज निर्माण और देश के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान है वह अपनी बातों को समाज और सरकार के सामने नहीं ला पाता है। यह सरकार जो किसान के वोट से बैठी हुई है, उसका दायित्व है, कि सामाजिक न्याय के आधार पर इस पुराने प्रविधान को खत्म करे। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो घोषणा की है वह इस दिशा में पहल है और इसे वह निःसंकोच स्वीकार कर लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो संशोधन पेश किया गया है और मंत्री जी ने एलान भी किया है, उनसे बात भी हुई थी तब भी उन्होंने बताया था कि यह २१ रु० पर एकड़ टैक्स खतम किया जाये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं उसके संबंध में कि यह जो आपने फ्लेट रेट लगाया नहर के हिसाब से और साथ-साथ ट्यूबवेल का भी आपने लगाया है। वह फ्लेट रेट वाली बात तो खतम हो रही है लेकिन सुना है कि ६ हजार गैलन एक रुपये के हिसाब से लगा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू-शुरू में यह एक रुपये में २४ हजार गैलन था सन् १९५२ में ट्यूबवेल जब शुरू किये गये तो २४ हजार गैलन एक रुपये में मिलता था वह धीरे-धीरे कम कर दिया गया मेरा ख्याल गलत हो सकता है लेकिन जब फ्लेट रेट लगाया गया था तो उस वक्त ८ हजार गैलन था। तो इस वक्त भी ८ हजार होना चाहिये ६ हजार तो बहुत कम है यह बहुत मंहगा किसान को पड़ेगा। होना तो १२ हजार चाहिये क्योंकि पहले १२ हजार था और उसके पहले २४ हजार था बीच में १६ हजार गैलन हुआ। इस लिए मेरा निवेदन है कि ८ हजार गैलन किसानों को दीजिये अगर फ्लेट रेट खतम कर रहे हैं तो ६ हजार तो बहुत मंहगा पड़ेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस बात को मान लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं इस बात पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन एक बात कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह जरूरी है। यह किसानों के कमांड एरिया की बात है। मंत्री जी उसे हटा रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन मेरी इतला तो यह है कि यह भूतपूर्व सरकार ने लगाया था और उसी ने ही इसे हटा लिया था, (व्यवधान) जो आदेश दिया था वह चालू भी नहीं हुआ उससे पहले ही वह उन्होंने हटा लिया। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं श्रीमन्, यह ६ हजार हो, २० हजार हो या ८ हजार एक रुपये में यह व्यवस्था किसानों के लिए कागज पर तो बड़ी ठीक है लेकिन व्यवहारिक रूप से जरा कठिन है। मंत्री जी इसकी जांच करा लें। यह कदम किसानों के लिए दुखदाई है।

ट्यूबवेल की क्षमता कागज पर बढ़ा दी है कोई ट्यूबवेल का डिस्चार्ज १० हजार है, किसी का २० हजार, किसी का २२ हजार और किसी का १२ हजार है, एक घंटा का। किन्तु यह कागज पर है वाकिया में यह नहीं है। वाकिया में यह उससे आधा या कहीं तिहाई ही है। इससे किसान बेचारा मारा जाता है। ऐसी सूरत में यह भी प्वाइन्ट है, जिसको मंत्री जी देखवा लें क्योंकि किसानों को इससे बड़ा नुकसान होता है।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय नियम २—क के विषय में जो संशोधन रखा था, निश्चय ही पूर्व निर्णय किसान विरोधी थे और अकारण जमीन सींची जाए या न सींची जाए, किसान से २१ रुपया प्रति एकड़ अधिभार ले लिया जाता था। अच्छा है, मंत्री जी ने निर्णय इस सम्बन्ध में ले लिया है। अब दूसरी बात यह है कि विभिन्न फसलों की सिंचाई की दरें नियम २—ख में निर्धारित हैं। मंत्री जी ने कहा है कि एक रुपये में ६ हजार गैलन पानी दिया जायेगा, किन्तु मेरा कहना यह है कि जब तक २—ख संशोधित नहीं होगा, तब तक यह कैसे लागू होगा? जैसे उसमें दिया हुआ है धान के लिए ४० रुपया, तरकारियों व बाग आदि के लिए ४०, आलू के लिए ५०, तम्बाकू के लिए ४४, गेहूं, जौ के लिए ४० रुपया और कपास के लिए १६ रुपया। इस तरह से विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न रेट हैं। मंत्री जी ने एक रुपये में ६ हजार गैलन की बात उठाई है, तो उनसे मेरा निवेदन यह है कि नियम २—क को जिस प्रकार उन्होंने संशोधित किया है, २—ख को भी संशोधित कर किसान के लिए एक नई और व्यवहारिक व्यवस्था कर दें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, जो संशोधन माननीय कल्पनाथ जी ने रखा है, २१ रुपये का जो सिंचाई कर लगा था, वास्तव में उससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था और हमारे यहां ३१ अक्तूबर तक वसूल होगा और आज भी वसूल हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जब उन्होंने निर्णय ले लिया है कि इसको खत्म करना है तो जिन लोगों से यह वसूल किया जा चुका है, मैं इसे स्वयं दे चुका हूं, क्योंकि कलेक्शन अमीन ने सूचित किया था कि लगान सस्पेन्ड है, लेकिन इसकी वसूलयाबी जारी है और जब हमने कहा कि यह समाप्त हो गया है, तो उन्होंने कहा यह आगे से समाप्त किया जायेगा, लेकिन ३१ अक्तूबर तक वसूल किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

जाएगा, यह शासन से आई हुई चिट्ठी में लिखा हुआ है। तो मंत्री जी ने जो उदारता बरती है, उसके आगे इतना और कर दें कि जो रुपया वसूल किया जा चुका है, उसको अगले वाले ईरीगेशन ड्यूज में एडजस्ट कर लिया जायेगा इस बात की आज वह यहां घोषणा कर दें।

दूसरी बात यह है जो रवीन्द्र सिंह ने कहा, जो फ्लैट रेट आबपासी का निश्चय किया है। श्रीमन्, अगर ईमानदारी के साथ पानी मिल जाए, तब तो यह रेट सस्ता है। धान को तीन पानी मिल जाए और सभी फसलों को निर्धारित पानी मिल जाए, तो यह रेट सस्ता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि यह मिल नहीं पाता है। जैसा कि सिंचाई पर विवाद के समय यह बातें विभिन्न सदस्यों की ओर से बताई गई हैं, इसलिए जो दूसरा सुझाव है, एक रुपये का ६ हजार गलन पानी की बात कही है, तो मैं समझता हूं कि ६ हजार से बढ़ाकर यह १०,००० कर दिया जाय, तो यह राउन्ड फीगर ज्यादा अच्छी होगी। इन शब्दों के साथ माननीय कल्पनाथ जी ने जो अमेन्डमेंट रखा है, उसका मैं समर्थन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी ऐसी घोषणा करेंगे, जिससे यह सदन प्रसन्न हो जाये।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संशोधन के सिलसिले में एक बात कहनी है। वह यह है कि जो पानी का रेट रखा गया है एक रुपये का छः हजार गैलन यह बहुत मंहगा पड़ेगा किसानों के लिए। किसान शायद इस रेट को अदा न कर पावें। जैसा कि माननीय ऊदल जी ने कहा पहले एक रुपये का २४ हजार गैलन मिलता था। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि उद्देश्य व्यापारिक नहीं है दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि पानी किसान को दिया जाय, किसान को हर तरह से इंसेंटिव दिया जाय जिससे वह ज्यादा से ज्यादा वह पैदा करे और प्रदेश का हित हो। इस लिए दस हजार गैलन से कम रेट किसी हालत में नहीं होना चाहिए।

दूसरे, एक बात और कहनी है। बुन्देलखण्ड में काली मिट्टी है, उसमें जब तक अच्छी नाली न हो, पक्की नाली न हो पानी के साथ-साथ मिट्टी भागती हुई चली जाती है। अगर यहां से पानी छोड़ेंगे तो दर्रा निकलेगा जहां रियासत साहब बैठे हैं। रात में पता नहीं चलता कि पानी कहां जा रहा है। इसलिए जो ट्यूबवेल्स बुन्देलखंड में हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर काली मिट्टी है इसके पहले, कि रेट लगाये जायं, नालियां पक्की करवा दी जायं वरना किसान को फायदा नहीं मिल सकता।

दूसरी, इसी सदन में बिजली चली जाती है जो नहीं जानी चाहिये। देहातों में बिजली का कोई टाइम न जाने का और न आने का है।

श्री अध्यक्ष—

इसको सिंचाई का बजट समझ कर आप कह रहे हैं।

श्री शंकर सिंह—

उसी प्वाइंट पर आ रहा हूं। आपरेटर ने बटन दबाया, घंटा शुरू हो गया। बिजली चली गई, १५-२० मिनट हो गये हमारा खेत ट्यूबवेल से एक मील पड़ता है। खेत पर पानी नहीं पहुंचा बिजली चली गयी। हमको पानी नहीं मिला और

हमारे ऊपर चार्ज लग गया । इस लिए कम से कम दस-पंदरह मिनट का मार्जिन दिया जाय तब चार्ज लगे वरना किसान बिलकुल मारा जाता है । एक तो यह ध्यान रखा जाय कि पक्की गूल बनायी जाय, थोड़ा सा मार्जिन दिया जाय और तीसरे जो आपरेटर्स रहते हैं बिलकुल रंगरूट किस्म के रहते हैं । उनको ध्यान नहीं होता कि उनकी क्या जिम्मेदारी है । वहीं पर बैठे हैं किसी को चाभी दे दी । पानी किसी किसान ने लिया बिल किसी किसान को जा रहा है । इस लिए आपरेटर्स जो रखे वह प्रशिक्षित हों और जिम्मेदार हों ।

*श्री त्रिलोकचन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय कल्पनाथ सिंह जी का संशोधन है मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, वह इसे स्वीकार करें । इसके अतिरिक्त मान्यवर, जैसा रियासत भाई ने कहा, मैं भी निवेदन करूंगा कि जो गूल टैक्स और कमांड टैक्स लगाये थे उनकी वसूली बहुत ज्यादा हो चुकी है । बहुतों ने नहीं भी दिया है । क्योंकि समझते थे कि ३१ अक्तूबर तक वसूली स्थगित है । इस लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लें जो भी बकाया है उसको माफ करने की घोषणा करें । जिन्होंने दे दिया है वह अगली भराई में एडजस्ट करने की कृपा करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट आपके विभाग से मिलता था, उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है, केवल यही कहा गया है कि आसानी से मिल जायेगा । जब ५० मीटर पर और १०० मीटर पर आप आसानी से देंगे तो आप २०० मीटर की जो बात है, उसको समाप्त करने की कृपा करें और नहीं तो जो समस्या है, वह बनी ही रह जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज नलकूपों की वह दशा है कि आपरेटर वहां का मालिक है और जिसको चाहता है, उसे पानी देता है और जिसको नहीं चाहता है, उसको नहीं देता है । रोजाना यही झगड़ा है । हमारे क्षेत्र में ६ नलकूप एक छपिया ब्लाक में, १९ नलकूप दूसरे मनकापुर ब्लाक में और तीसरे वजीरगंज ब्लाक में ८ नलकूप हैं । रोजाना झगड़ा होता है और आप कहते हैं कि १ रुपये में ६,००० गैलन पानी देंगे । यह बहुत होता है, लेकिन पहले आप १६,००० गैलन देते थे, फिर इसको कम करके १२,००० गलन कर दिया, उसके बाद ८,००० गैलन कर दिया और अब ६,००० गैलन कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं, संशोधन तो माननीय कल्पनाथ सिंह ने और मोहन सिंह जी ने रखा है और वह यह है कि नियम २-क निकाल दिया जाये, जिसका मतलब यह है कि २१ रु० फ्लैट रेट जो है, उसको समाप्त कर दिया जाए। आप इस सम्बन्ध में कहें । यह तो सब लोग कह चुके हैं जो आप कह रहे हैं । पुनरावृत्ति अनुचित है ।

श्री गंगा प्रसाद—

पानी का दाम आप चाहे जो लें, लेकिन किसान चाहता है कि उसे पानी समय से मिले और दिक्कत यह है जबरदस्त आदमी पानी ले लेता है और गरीब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गंगा प्रसाद]

को पानी नहीं मिल पाता है । जबर आदमी आपरेटर को खाना खिला देता है या कुछ रुपया दे देता है और पानी उसको मिल जाता है, लेकिन गरीब को पानी नहीं मिल पाता है । गरीब के खेत में पानी नहीं जाता है, फिर भी टैक्स ले लिया जाता है । तो आप इतना तो जरूर करें कि जब पानी का टैक्स लिया जाये तो पतरौल दौरा करके नोट करें कि किस-किस खेत में सिंचाई की गई है और सही तौर से उसको नोट करें । इसके साथ ही साथ में एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो नालियां हैं, उनको पक्की कराने की कृपा करें ।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं केवल एक-दो बातें कहना चाहता हूं । जो भावनाएं माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं, उससे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य सिंचाई की समस्या को गम्भीरता-पूर्वक सोच रहे हैं और माननीय सदस्यों द्वारा इस तरह से जो दस हजार गैलन की बात कही जा रही है, इसको आप सहर्ष स्वीकार करें ।

दूसरी बात जो किसानों को अन्य सुविधाएं देनी की हैं, उनको आप अवश्य दें । जैसे पानी की, पानी के बाद उनका जो गल्ला पैदा करने में खर्च होता है । उसके बारे में सोचें । अगर आप इस समय ऐसा नहीं करते तो आगे चल कर इसके विषय में सोचना पड़ेगा । इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे माननीय सदस्यों ने आपसे निवेदन किया है, उसे आप स्वीकार करें ।

*सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)---

इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन में इस प्रश्न से सम्बन्धित दो नियमावलियां सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं । मौजूदा स्थिति यह है कि इस सरकार ने जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया खंड 'क' व खंड 'ख' के अनुसार २१ रु० व ६६० रु० की छूट के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने कहा, तो उसको तो हमने दिनांक २९ सितम्बर, १९७७ को संशोधित करके दोनों को हटा दिया है । अतः इसका प्रश्न ही नहीं रह जाता कि इसको हटाया जाय या न हटाया जाय ।

जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी और अन्य माननीय विधायकों ने कहा कि पानी की मात्रा दस, या बारह हजार गैलन कर दी जाय तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि यह कामर्शियल नहीं है । मान्यवर, यह सरकार किसानों के मामले में अत्यन्त प्रोग्रेसिव सरकार है । इसने किसानों को पर्याप्त सुविधायें देने का वायदा किया है । हम इससे एक कदम और आगे गए हैं । केवल इसी कदम से ही चैप्टर क्लोज नहीं होता है । मेहरबानी करके आप इस चीज पर ज्यादा जोर न दें । जब अगली फसल आयेगी, तो अन्य बातों पर भी विचार किया जायेगा । आपका रिश्ता तो किसानों से है । एक शेर मैं अर्ज कर दूं :---

"इब्तदाये इश्क में रोता है क्या ?

आगे-आगे देखिये होता है क्या ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और तो कोई खास बात इसमें उठी नहीं। चूंकि यह पहले ही हो चुका है, अतः यह जो प्रस्ताव की शक्ल में यह चीज आई है, मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको वापिस ले लिया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठ जायं। क्योंकि यह नियमावली सदन के पटल पर रखी जा चुकी है और संशोधित नियमावली सदन के पटल पर नहीं रखी गई है, तो क्या मैं यह समझूं कि इस नियमावली में यह जो २(क) और (ख) है, को आप शामिल करते हैं, इसलिए यही प्रस्ताव आये कि इस नियमावली में २(क) और (ख) निकाल दिए जाएं या, माननीय कल्पनाथ सिंह ने यह जो प्रस्ताव रखा है, वह रिडन्डेन्ट हो जाता है, इसलिए वह इसको वापिस ले लें और बाद में मन्त्री जी संशोधित नियमावली पुनः सदन के पटल पर रख देंगे। माननीय कल्पनाथ सिंह जी क्या आप वापिस ले रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने जितनी बातें कही हैं और जो आश्वासन सदन को दिया है और आपने जो अर्थ निकाला है, उसके बावजूद भी क्या यह बात रह जाती है कि मैं वापिस न लूं ? मैं सधन्यवाद वापिस लेता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह संशोधित हो गया था तो फिर संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और एजेन्डा में क्यों इन्क्लूड किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

संशोधित नियमावली अभी सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि संशोधित नियमावली जिसमें न 2(क) होंगे और न २(ख), सदन के पटल पर रखेंगे, लेकिन नियम के अनुसार माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसको वापिस लेने के लिए प्रश्न सदन के सम्मुख रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो रुपया पहले वसूल किया जा चुका है सिंचाई भार के रूप में, वाया उसको भविष्य में माननीय मन्त्री जी एडजस्ट कर देंगे। इसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने कह तो दिया कि अगली फसल में हम लेंगे....।

श्री रियासत हुसैन—

जो रुपया मान्यवर, ३१ अक्तूबर तक वसूल हो चुका है, उसके बारे में क्या होग, इसका स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी से दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी कह चुके हैं....।

श्री ऊदल—

उसमें से ६ करेंगे, या ८ करेंगे या १२ हजार करेंगे....।

*श्री बलवीर सिंह—

माननीय रियासत हुसैन जी ने जो बात कही है, वह ठीक है, मैंने उसके बारे में कोई स्थिति साफ नहीं की थी और न ही इसकी मैं जरूरत समझता था। मान्यवर, वह तो पिछले साल का था जब कि वह नियमावली लागू थी और वह रुपया चूंकि उ। फाइनेन्शियल ईअर में ड्यू हो चुका था, नक्शे बन चुके थे, इसलिए वह वसूल हो गया। सिंचाई विभाग के पावर्स में यह नहीं था कि जो पिछली सरकार ने तय किया था और जो ड्यू हो चुका है और जो वसूल हो चुका है, उसको खत्म कर दिया जाय। यह तो चीज आगे के लिए है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुझे आज्ञा दें कि मैं एक व्यवस्था की बात कर लूं और वह यह है कि....।

श्री अध्यक्ष—

अव्यवस्था की बात न हो।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, अगर और कोई न करे मेरी ओर से नहीं होगी। मान्यवर, २६ अगस्त, १९७७ को यह उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, १९७६ इस सदन के पटल पर रखी गई थी। आज तक यह संशोधित नहीं हुई और न सदन के पटल पर यह पुस्तिका रखी गई, जिसके ऊपर एक संशोधन के सम्बन्ध में माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कुछ सूचनायें दी हैं। यकायक यहां पर यह बात आ गई और इस संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति मांगी गई। इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि होना यह चाहिये था कि यह दूसरी पुस्तिका जो संशोधित है, जैसा कि कहा गया कि संशोधन यक यक हो गया, मैं यह मान कर चलता हूं जैसा कि माननीय मन्त्री जी कहते हैं तो आपको समय देना चाहिए था और मन्त्री जी को इसको प्रस्ताव करना चाहिए था और उनको यह संशोधित पुस्तिका सदन के पटल पर रखनी चाहिये थी। फिर वह हमारे सदन की पुस्तिका समझी जानी चाहिए थी और उस सम्बन्ध में विचार होता, तब एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीज होती । आज जो यह प्रश्न किया गया है, मैं यह नहीं कहता कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपकी व्यवस्था कभी गलत हो ही नहीं सकती । मैं यह कह रहा था कि यह कुछ ऐसा लगता है कि विरोधा भास हो रहा है । कैसे सदन चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय श्याम धर जी थोड़ा भी समझने का प्रयास करते तो उन्हे विरोधाभास नजर न आता । २६ अगस्त, १९७७ को यह नियमावली रखी गई । उसके बाद माननीय मन्त्री जी ने उसको संशोधित कर दिया और अब जो उनका आश्वासन है कि "क" और "ख" निकाल दिया है । तो वह सदन की सम्मत्ति हो गई । जो मंशा माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने व्यक्त की वह पूरी हो गई । आपको यह मान लेना चाहिए कि अनौपचारिक रूप से संशोधित नियमावली सदन के पटल पर है और औपचारिक रूप से संशोधित नियमावली को वे पुनः पटल पर रख देंगे । पुरानी नियमावली औपचारिक रूप से रखी गई है । चूंकि यह प्रश्न निबटा दिय गया है, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

सूखे, बाढ़ व कटाव के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आज सूखे, बाढ़ व कटाव के सम्बन्ध में बहस होनी थी, लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री जी ने मुझे आज सूचित किया है कि वे कल से बीमार हो गए हैं, उनका यह पत्र भी है । उन्होंने इसमें मुझसे अनुरोध किया है कि कल के लिए इस चर्चा को स्थगित कर दिया जाय और साथ ही साथ इस पर कल विवाद होगा ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय सिंचाई मन्त्री भी अगर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह भी रहेंगे और मैंने माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से यह भी अनुरोध किया है कि आप लोगों के लिए ओवरटाइम भी ६ बजे से, जब से बहस शुरू हो, दिया जाय । तो चाय और नाश्ता भी आप लोगों को मिलेगा ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१० अक्तूबर, १९७७

अवर पंचुआ संस्था

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

कृषि अमीन एवं चपरासी संघ की मांगों की सूची

१—फरवरी सन् १९७४ में कृषि अमीन एवं चपरासियों के स्थायीकरण का जो शासनादेश २९०० अमीन एवं चपरासियों के लिए हुआ था, उसे तुरन्त लागू कराया जावे ।

२—उन्हें पिछली सेवाओं का लाभ देते हुए आयु एवं शैक्षिक योग्यता से छूट देकर ज्येष्ठता के आधार पर उनके उसी वेतनमानों की जगह पर नियुक्त किया जावे ।

३—समस्त छटनी शुदा अमीनों एवं चपरासियों को जब तक समकक्ष वेतनमानों के पदों पर खपा नहीं दिया जाता है तब तक नवीन अभ्यर्थियों का चयन न किया जाय ।

४—जो अधिकारीगण उनको और उनके परिवारों के जीवन-यापन में बाधक बन कर अब तक शोषण का शिकार बनाते रहे हैं अग्रिम आदेशों पर उनके शोषण से गरीब बेरोजगार कर्मचारियों को बचाया जावे ।

विधान सभा सचिवालय

अवर सचिव एवं

नत्थी 'ख,

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर ५२९)

तालिका

तहसील	लक्ष्य (मी०टन में)			खरीद अभियान में उपलब्ध स्टाक (मी० टन में)		
	नत्रजन	फासफोटिक	पोटाश	नत्रजन	फासफेटिक	पोटाश
१	२	३	४	५	६	७
गोण्डा	२५५	३८	२१	२८७–१७२–०००	३६–५२१–०००	१२–३९९–०००
उतरौला	२५८	३७	२२	२४४–०४५–०००	३९–९३०–०००	२०–६७८–०००
तरबगंज	२१४	२६	१७	१५५–२६२–०००	२१–४१८–०००	७–५३९–०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४०. पर)

क्रैश प्रोग्राम (त्वरित योजना) के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की भौतिक प्रगति का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि०मी०में)	मिट्टी का कार्य (कि०मी० में)	ईंट की सोलिंग (कि०मी० में)	स्टोन ग्रिट/ओ०वी०बी० की आ० पू०	डाला ग्रिट की आपूर्ति (कि० मी०)	स्टोन ग्रिट ओ० बी०बी० कटाई (कि० मी०)	रंगाई (पेंटिंग) (कि० मी०)	पुलिया निर्माण (संख्या)	अन्य विवरण: यातायात योग्य सड़क की लम्बाई (कि०मी०)	अन्य विवरण: सड़क जो अब तक यातायात योग्य नहीं है (कि०मी०)	व्यय की गई धनराशि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	गोसन्देपुर धरम्मरपुर सड़क	६·०	६·०	६·०	६·००	३·०	..	..	४	६·०	..	२,८७,८१०·००
					कि०मी० में आ० अपूर्ण है							
२	गोविन्दपुर महार सड़क	४·५	४·५	४·५	४·५	२·०	२·०	..	१०	४·५	..	२,०५,०४८·००
३	बरही बोगना सड़क	३·५	३·५	३·५	३·५	१·०	१·०	..	७	३·५	..	१,७३,४४७·००
४	मरदह ब्लाक मुख्यालय	०·५	०·५	०·५	०·५	०·५	०·५	..	१	०·५	..	२०,१८३·००
५	महार कासिमाबाद सड़क	०·५	०·५	०·५	०·५	०·५	०·५	..	..	०·५	..	१६,७३०·००
६	यूसुफपुर मोहरा सड़क	६·०	६·०	६·०	६·०	४·०	३·०	..	१७	६·०	..	२,५८,५८२·००
७	भावरकाल अवथही सड़क	६·०	६·०	४·०	१·०	१·०	१·०	..	३	४·०	२·०	१,६८,१९५·००
८	बाराचवर तिराहीपुर घाट	६·०	६·०	६·०	४·०	१·५	१·०	..	८	६·०	..	२,०६,२६८·००
९	मैदानीपुर, पटकलिया सड़क	५·०	५·०	५·०	५·०	५·०	५·०	..	१४	५·०	..	३,१९,५३६·००
१०	ताजपुर ढूढ़नी सड़क	५·०	५·०	५·०	५·०	२·०	५·०	..	..	५·०	..	२,५८,२०५ ००
११	नई बाजार देवइथा माइनर	१·०	१·०	१·०	१·०	..	१·०	..	१४	१·०	..	३९,०४१·००
१२	भदौरा देवल सड़क	६·०	६·०	६·०	६·०	५·०	५·०	..	३	६·०	..	२,६८,१५७·००
१३	रामपुर माझा पहाड़पुर	६·०	६·०	६·०	६·०	४·५	६·०	..	४	६·०	..	२,६८,७८४·००
१४	सैदपुर बहरियाबाद सड़क	४·०	४·०	४·०	४·०	४·०	४·०	३·०	१०	४·०	..	१,८८,९००·००
१५	बिहारीगंज मौंधां सड़क	२·०	२·०	२·०	२·०	२·०	२·०	१·५	४	४·०	..	९२,२९६·००
१६	सादात प्यारपुर मिर्जापुर	६·०	६·०	६·०	६·०	६·०	६·०	..	१७	६·०	..	३,०२,४७०·००
१७	मदरा बढ़ानपुर सड़क	६·०	६·०	६·०	६·०	६·०	६·०	..	७	६·०	..	२,९७,२१०·००
१८	रेवतीपुर रिंग बांध	१·०	१·०	..	..	..	..	..	..	..	१·०	९,३०१·००
	योग ..	७५·०	७५·०	७२·०	६७·०	४८·०	४९·०	४·५	१२३	७२·०	३·०	३३,८०,१६३·००

अशोक प्रकाशन विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५१ पर)

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९७७ के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
९--क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७७-७८ के सीजन के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य गत वर्ष से अधिक देने की सिफारिश प्रदेश सरकार ने की है ? यदि हां, तो अगले सीजन ७७-७८ वर्ष में कितने रुपए प्रति क्विंटल दाम दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं ? और क्या इस व्यवस्था में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में एक समान कीमत प्राप्त होगी ?	९--यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

चन्द्रावती,

गन्ना विकास मन्त्री ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५१ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९७७ के छठे बुधवार के लिए निर्धारित श्री ऊदल के तारांकित प्रश्न संख्या २ व ३ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
२—क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर की एक शाखा मड़ियाहूं तहसील से होते हुए वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के गांव बरही, नेवादा, बड़ागांव होते हुये चिरई गांव तक जा रही है और इसकी चौड़ाई ८० फिट है। क्या यह सत्य है कि मड़ियाहूं तहसील जौनपुर तथा वाराणसी तहसील जिला वाराणसी में चकबन्दी हो चुकी है? यदि हां, तो नहर हेतु जमीन कहां से ली जायगी ?	२—शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत—केराकत राजबहा के ३—७ कि० मी० से बाबतपुर राजबहा प्रस्तावित है। यह शाखा मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर से होते हुए वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के गांव बरही, नेवादा, बड़ा गांव होते हुए चिरई गांव तक ले जाना प्रस्तावित है। उक्त नहर का लम्ब छिन्नक अभी अनुमोदित नहीं हुआ है। इसके लिए हेड पर अनुमानित भूमि की चौड़ाई १०० फिट एवं टेल पर ५० फिट होगी। अधिकांश ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण नहीं है वहां चकबन्दी से भूमि छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी तथा अन्य गांवों में भूमि कृषकों से ली जाएगी।
३—क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में नाद—नदी के उत्तरी क्षेत्र में शारदा सहायक कब तक पानी देने लगेगी ?	३—नाद—नदी के उत्तरी क्षेत्र में शारदा सहायक से पानी वर्ष १९७९—८० तक उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

बलवीर सिंह,
सिचाई मन्त्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

क्रम-संख्या	नाम	दीर्घा	टिप्पणी
१	२	३	४
*१	श्री राम पाल पाठक	परिषद् दीर्घा	एल० आई० यू० का० बिना प्रवेश पत्र के ।
*२	श्री राजा राम सिंह	अध्यक्ष दीर्घा	एल० आई० यू० का० बिना प्रवेश पत्र के ।
*३	कु० दुर्गेश नंदिनी राठौर	तदेव	म० होमगार्ड बिना प्रवेश पत्र के ।
४	श्री पी० पी० सिंह	वि० व० दीर्घा	उपनिरीक्षक पुलिस, प्रवेश पत्र सं० १४६२३ जो दूसरे व्यक्ति को जारी है ।
५	श्री केदार नाथ सिंह	तदेव	का० पुलिस प्रवेश पत्र सं० १४६१९ के साथ जो दूसरे व्यक्ति को जारी है ।
६	श्री सात्वकी सिंह	तदेव	का० पुलिस प्रवेश पत्र सं० १४६२१ ।
*७	श्री शिव सहाय द्विवेदी	तदेव	का० पुलिस बिना प्रवेश पत्र के ।
*८	श्री अरविन्द नाथ त्रिपाठी	तदेव	तदेव
*९	श्री उमा शंकर शुक्ल	तदेव	तदेव
*१०	श्री रमा शंकर राय	तदेव	तदेव
*११	सुश्री सावित्री वर्मा	तदेव	महिला होमगार्ड बिना प्रवेश पत्र के ।
*१२	श्री शंकर बख्श सिंह	दर्शक दीर्घा नं० २	का० पुलिस बिना प्रवेश पत्र के ।
१३	श्री देवी राम	तदेव	का० पुलिस प्रवेश पत्र सं० २५८४० जो दूसरे व्यक्ति को जारी है ।

नोट—*बिना प्रवेश पत्र दीर्घा में पाये गये
शेष दूसरे के प्रवेश पत्र पर पाये गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
*१४	जगदीश बहादुर सक्सेना	दर्शक दीर्घा नं० २	का० पुलिस प्रवेश पत्र सं० २५८२१ जो दूसरे व्यक्ति के नाम जारी है ।
*१५	कु० मुन्नी देवी	तदेव	महिला होमगार्ड बिना प्रवेश पत्र ।
*१६	कु० ममता देवी	तदेव	तदेव
*१७	श्री गंगा प्रसाद सिंह	दर्शक दीर्घा नं० ३	का० एल० आई० यू० वि० दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र सं० १३७२४ के साथ जो १-१०-७७ तक के लिये था ।
*१८	श्री श्रीराम यादव	तदेव	का० एल० आई० यू०, वि० द० दी० के प्रवेश पत्र सं० १३७२९ के साथ जो १-१०-७७ तक के लिए है ।
१९	श्रीमती सतवंत कौर	तदेव	प्रवेश पत्र सं० २५८३८ के साथ जो दूसरे के नाम जारी है ।
२०	श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा	तदेव	प्रवेश पत्र सं० २५८५० के साथ जो दूसरे के नाम जारी है ।
२१	श्रीमती प्रेमलता मेहरोत्रा	तदेव	प्रवेश पत्र सं० २५८४७ के साथ जो दूसरे के नाम जारी है ।
२२	श्री राम प्रकाश पाण्डेय	तदेव	वि० दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र सं० १४६१५ के साथ जो दूसरे के लिए जारी है ।
*२३	श्री गनेशी लाल	दर्शक दीर्घा नं० ४	एल० आई० यू० का० बिना प्रवेश पत्र के ।

नोट--*बिना प्रवेश पत्र दीर्घा में पाये गये ।

शेष दूसरे के प्रवेश पत्र पर पाये गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
*२४	श्री अमर सिंह	दर्शक दीर्घा नं० ४	एल० आई० यू० का० (अमीनाबाद) बिना प्रवेश पत्र के।
*२५	श्री रोहन लाल	तदेव	तदेव
*२६	श्री राम सजीवन लाल	तदेव	एल० आई० य० बिना प्रवेश पत्र के।
*२७	श्री राम जियावन सिंह	तदेव	तदेव
*२८	श्री रामपाल सिंह	तदेव	तदेव
*२९	कु० सरस्वती देवी	तदेव	तदेव
*३०	कु० लीलावती	तदेव	तदेव
*३१	श्री हरदेव सिंह	सचिवालय दीर्घा बिना प्रवेश पत्र के।	
३२	श्री एच० सी० दीक्षित	तदेव	इंसपेक्टर सिक्योरिटी विजिलेन्स का० श्री उचित नारायण ओझा के प्रवेश पत्र सं० २१ के साथ।
*३३	श्री राजा सिंह	तदेव	का० एल० आई० यू० प्रवेश पत्र सं० ६३ के साथ जो २९-८-७७ से २-९-७७ तक के लिए था।

नोट—*बिना प्रवेश पत्र दीर्घा में पायें गये।

शेष दूसरे के प्रवेश पत्र पर पाये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

गोपनीय/तुरन्त

कार्यालय प्रभारी निरीक्षक,
सुरक्षा शाखा विधान भवन,
लखनऊ ।

दिनांक १०-१०-७७

सेवा में,

सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
लखनऊ ।

श्रीमान् जी,

निवेदन है निम्नलिखित कर्मचारीगण जो थाना जात से सादे कपड़े में आज, विधान सभा सत्र में सुरक्षा ड्यूटी हेतु आये हैं और दर्शक दीर्घा में सुरक्षा ड्यूटी में लगे हैं, के पास दर्शक दीर्घा के पास नहीं है, क्यों कि जिनको पास दिये गये थे, वे आज ड्यूटी में नहीं आये, उनके स्थान पर ये लोग आ गये हैं। यह नये कर्मचारी पुराने पास ले कर नहीं आये। अतः नये पास प्रदान करने की आज्ञा देने की कृपा करें। दिनांक १० से १८-१०-७७ तक का पास जारी करने की कृपा करें।

१—श्रीमती सावित्री वर्मा	..	अध्यक्ष दीर्घा ।
२—कु० मुन्नी	..	दर्शक दीर्घा नं० २ ।
३—कु० ममता	..	तदेव
४—कु० सरस्वती	..	दीर्घा नं० ४ ।
५—कु० लीलावती	..	तदेव
६—कु० दुर्गेश नन्दनी	..	दीर्घा नं० १ (विशिष्ट) ।
७—श्री महमूद अली	..	सचिवालय कर्मचारी दीर्घा ।
८—श्री रमाशंकर राय	..	दीर्घा विशिष्ट ।
९—श्री अरविन्द नाथ त्रिपाठी	..	तदेव
१०—श्री बांके लाल शर्मा	..	(दर्शक) दीर्घा नं० ४ ।
११—श्री शंकर बक्स सिंह	..	(दर्शक) दीर्घा नं० २ ।
१२—श्री उमा शंकर शुक्ला	..	विशिष्ट दीर्घा ।

अमर पत्रकार सभा

१३—श्री रमेश यादव	..	दीर्घा नं० ४ ।
१४—श्री सजीवन लाल	..	तदेव
१५—श्री राज सिंह राठौर	..	सचिवालय कर्मचारी दीर्घा ।
१६—श्री हरदेव सिंह सेंगर	..	तदेव
१७—श्री आशा प्रसाद शर्मा	..	दीर्घा नं० २ ।
१८—श्री पी० पी० सिंह	..	विशिष्ट दीर्घा ।
१९—श्री राम प्रकाश पाण्डे	..	तदेव
२०—श्री सात्वकी सिंह	..	तदेव
२१—श्री केदार नाथ सिंह	..	तदेव
२२—श्री राजेन्द्र सिंह	..	तदेव
२३—श्री शिव सहाय द्विवेदी	..	तदेव

ह० ओम प्रकाश भार्गव,
प्रभारी निरीक्षक, सुरक्षा,
विधान भवन, लखनऊ ।
१०—१०—७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—५० वि० स०—१—३—७८—८४० (पीं० डी०)